लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४०, १९६०/१८८१ (शक)

[७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ४० में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला खंड ४०—अंक २१ से ३०—७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)

अंक २१—सोमवार, ७ मार्च १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ से ६४७, ६४९, ६५०, ६५२ से ६५७ और ६५९ . २१२९—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . २१५४–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४८, ६५१, ६५८ और ६६० से ६८० . . २१५५—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८१९ . . . . २१६६—८५

स्थगन प्रस्ताव—

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . . . २१८५—८९

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर की शुद्धि . . . २१८९

कार्य मन्त्रणा समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१८९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरःस्थापित . . . २१९०

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित २१९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . २१९१—२२२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २२२६—३०

अंक २२—मंगलवार, ८ मार्च, १९६०/१८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६८५, ६८७ से ६९४ और ७०० . . २२३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६, ६९६ से ६९९ और ७०१ से ७०८ . . २२५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८८४ . . . . २२६५—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२९१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २२९१—९४

कलकत्ता पत्तन में नदी सर्वेयरों और हाइड्रोग्राफरों द्वारा हड़ताल

पृष्ठ

सभा का कार्य—

सामान्य आयव्ययक के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा का क्रम . २२९३

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०—पारित २२९४

सामान्य आयव्ययकक—सामान्य—चर्चा . . . २२९४—२३३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३३२—३६

अंक २३—बुधवार ९ मार्च १९६०/१९ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७११ से ७१४, ७१७ से ७२१ और ७२३ से ७२७ . . . . . २३३७—५९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २३५९—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१६, ७२२ और ७२८ से ७४६ . . २३६१—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९३४ २३६९—९१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) चीनियों द्वारा लद्दाख के चन्थान नमक खान क्षेत्र पर कथित कब्जा . २३९१—९३

(२) ७ मार्च को शाहदरा में बिजली और पानी का बन्द हो जाना . २३९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३९४–९५

विधेयक पर राय २३९५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन २३९५

लोक लेखा समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन

कारखाना अधिनियम १९४८ के बारे में याचिका . . . २३९५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २३९६—२४४१

दैनिक संक्षेपिका २४४२—४७

अंक २४—गुरुवार, १० मार्च १९६०/२० फाल्गुन, १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८, ७४९, ७५१, ७५२, ७५४, ७५५, ७५७, ७६१, ७६३, ७६५, ७६७ से ७७५, ७७८, ७८० और ७८१ . . २४४९—७५

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २४७५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४७, ७५०, ७५३, ७५६, ७५८ से ७६०, ७६२, ७६४ ७६६, ७७६, ७७७ और ७७९ . . . . २४७७—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९९ . . . . २४८३—२५१२

स्थगन प्रस्ताव—

मिकिर पहाड़ियों में कुछ विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाया जाना . २५१२—१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१५

राज्य सभा से सन्देश २५१६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६०—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . २५१६

लोक लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन २५१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली प्रशासन द्वारा बस्तियों का अधिग्रहण . . . २५१६—१९

शाहदरा में पानी और बिजली के सम्भरण के बारे में वक्तव्य . . २५१९–२०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २५२०—५४

लेखानुदान की मांगें . . . . . २५५४—५९

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित तथा पारित . २५५९–६०

विदेशी पर्यटकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २५६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५६७—७२

अंक २५—शुक्रवार, ११ मार्च १९६०/२१ फाल्गुन १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ७९३, ७९५ से ७९८, ८०० और ७९४ . २५७३—२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ और ८०१ से ८१७ . . . २६००—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १००० से १०५४ . . . २६०८—३२

स्थगन प्रस्ताव—

जोरहाट में विमान दुर्घटना २६३२–३३

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६३३—३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेलवे को कोयले का अपर्याप्त सम्भरण	२६३६—३७
स्टेट बैंक के विवाद के बारे में वक्तव्य	२६३७—३९
सभा का कार्य	२६३९—५८
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२६३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठावनवां प्रतिवेदन	२६५८
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२६५९—७९
अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प .	२६७९—८१
निर्वाचन याचिका के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२६८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२६८७—९३

अंक २६—सोमवार १४ मार्च, १९६०/ २४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८१८, ८२० से ८२२, ८२५, ८२९, ८३०, ८३४ ८३५, ८३७ से ८३९।	२६९५—२७१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२३, ८२४, ८२६ से ८२८, ८३१ से ८३३, ८३६ और ८४० से ८४४	२७१७—२३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५५ से ११०५ . . .	२७२३—४९
स्थगन प्रस्ताव—	
१. कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . .	२७४९—५५
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय	२७५५
१० मार्च, १९६० को प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा कही गई कुछ बातों का वापस लिया जाना	२७५६—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७५७—५८
राज्य सभा से सन्देश	२७५८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	२७५८

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली के एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म हत्या . . . २७५९

अनुदानों की मांगें--

विधि मन्त्रालय २७६०--९२

दैनिक संक्षेपिका २७९३--९७

अंक २७--मंगलवार १५ मार्च, १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५, ८४७ से ८५१ और ८५३ से ८६३ . . २७९९--२८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५२ और ८६४ से ८७४ . . . २८२५--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११४४ . . . . २८३१--४९

स्थगन प्रस्ताव--

कोचीन में शिपयार्ड २८४९--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८५२-५३

राज्य सभा से सन्देश २८५३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

विश्व बैंक की विज्ञप्ति में सिंधु विकास निधि में भारत के अंशदान का उल्लेख न होना २८५३-५४

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के बारे में वक्तव्य . . २८५४--५८

अनुदानों की मांगें--

शिक्षा मन्त्रालय २८५८--२९२०

दैनिक संक्षेपिका २९२१--२४

अंक २८--बुधवार, १६ मार्च, १९६०/२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . . . . २९२५--४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२ . . . . २९४७--५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४५ से ११८७ . . . . २९५६--७४

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . . २९७४–७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९७६–७७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रूसी विदेशी व्यापार एजेन्सी और हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच समझौता . . . . . २९७७—७९

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा मन्त्रालय . . . . . २९७९—९२

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . २९९२—३०२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३०२६—२९

अंक २९—गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ से ९०७, ९०९ से ९१२, ९१४ से ९१६, ९१८ और ९१९ . . . . . ३०३१—५४

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०८, ९१३, ९१७, ९२० से ९२९ और ७१५ . ३०५४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से १२१५ . . . ३०६०—७३

सभा पटल पर कुछ पत्रों को रखने के बारे में . . . ३०७३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७३–७४

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . . ३०७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०७४

प्राक्कलन समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन ३०७५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिराडोलोमाइट खानों में विस्फोट . . . ३०७५

अनुदानों की मांगें—

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . ३०७५—३१००

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३१०१—४०

कलकत्ता गोदी के मजदूरों सम्बन्धी योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३१४१—४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१५०—५३

अंक ३०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०/२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

•प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३० से ९३२, ९३५, ९३७, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५७, ९५८ और ९३३ . . ३१५५—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . ३१८१—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४, ९३६, ९३८, ९३९, ९४२, ९४९, ९५१, ९५३ और ९५६ . . . . . ३१८२—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२६० . . . ३१८६—३२०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३२०७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर . . . ३२०८—०९

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर की शुद्धि . . . ३२०९

वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य . . . . ३२०९—१२

कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में वक्तव्य . . . ३२१२—१३

टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य . . . ३२१३—१४

सभा का कार्य ३२१४

अनुदानों की मांगें—

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३२१५—३१

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय . . . . . ३२३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . ३२५२—५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . ३२५३

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . . ३२५३

(३) प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा ३, २२ और ३२) का संशोधन)—श्री लै० अचौ० सिंह का. . . ३२५४

पृष्ठ

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक---श्री पु० र० पटेल का विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२५४-५५

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ३२५६---७०

खण्ड १ से ३१ . . . . ३२७०

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२७०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--(धारा ७३ का संशोधन)---श्री हेम राज का---

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . ३२७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२७२---७७

नोट:-मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, ११ मार्च, १९६०

२१ फाल्गुन १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बम्बई राज्य का विभाजन

+

*७८२. श्री भक्त दर्शन :
श्री पद्म देव
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सूपकार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या गृह-कार्य मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के विभाजन के प्रस्ताव के बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

421 (Ai) LSD—4

(ख) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). वर्तमान बम्बई राज्य के विभाजन के वास्ते कानून बनाने के लिये सरकार का संसद् के इस अधिवेशन में बिल पेश करने का विचार है। संविधान की धारा ३ के अनुसार बम्बई के पुनर्गठन से सम्बन्धित बिल को बम्बई के दोनों सदनों की राय जानने के लिये भेज दिया गया है।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि जिस ढंग से इस समस्या पर विचार किया जा रहा है तो देर से देर कब तक इन दो नये राज्यों के निर्माण हो जाने की आशा की जाती है ?

श्री गो० ब० पन्त : यह आशा की जाती है कि शायद पहली मई से इन का श्रीगणेश हो जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा को निर्धारित करने के लिये किन सिद्धान्तों का आश्रय लिया गया है यानी किस आधार पर सीमायें निर्धारित की जा रही हैं ? जैसे पाटस्कर फारमूला या इसी प्रकार का क्या कोई फारमूला निकाला गया है ?

श्री गो० ब० पन्त : जैसे पास्टकर फारमूला दो प्रदेश जिन से उनका सम्बन्ध था उनकी सहमति से बना था और उस सहमति के आधार पर पाटस्कर जी ने अपना जो सीमा निर्माण का कार्य होता था वह किया था। इसी प्रकार इन दो प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने जो आपस में सहमति की, उसी के अनुसार यहां की सीमा भी इस बिल में निर्धारित की गई है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि बम्बई प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति का उत्तर सरकार को प्राप्त हो गया है। क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है, और यदि हां, तो उसे किस सीमा तक स्वीकार किया गया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : किसने ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : बम्बई प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति ने।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे आशा है कि बम्बई प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति आम तौर पर उस से सहमत ही होगी क्यों कि हम लोग जो बातचीत इस विषय पर चला रहे थे उस में बम्बई राज्य के मुख्य मंत्री भावी बम्बई राज्य का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : बम्बई राज्य के विभाजन के फलस्वरूप जो वित्तीय प्रश्न उठे थे क्या उन्हें हल कर लिया गया है, और यदि हां, तो किस प्रकार ? क्या कोई समिति नियुक्त की गयी है और क्या यह सच नहीं है कि कुछ मत-भेद था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उस समय कुछ मत-भेद था लेकिन अन्ततोगत्वा यह मत-भेद दूर कर लिया गया और विधेयक में जो प्रस्ताव रखे गये हैं वह दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों अर्थात् बम्बई के मुख्य मंत्री और बम्बई के वित्त मंत्री के बीच समझौता के फलस्वरूप ही आये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति का जो वास्तव में इस मामले में महाराष्ट्र की प्रवक्ता रही है, इस तथाकथित सौहार्दपूर्ण समझौते में कतई कोई हाथ नहीं रहा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं किसी भी निकाय की पद-प्रतिष्ठा के विषय में विवाद छेड़ना पंसद नहीं करता । किसी को भी अपने आप को एक मात्र प्रतिनिधि कहने का अधिकार है, लेकिन हमें मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों से ही व्यवहार रखना पड़ता है ।

†**श्री विद्याचरण शुल्क** : क्या सरकार को पृथक विदर्भ राज्य की स्थापना के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, और यदि हां, तो सरकार ने पृथक विदर्भ राज्य बनाने के विरुद्ध निर्णय क्यों किया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : इस मसले के सभी पहलूओं पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह महसूस किया कि विदर्भ के साथ साथ बम्बई राज्य और समस्त देश, इन सभी के हित में विदर्भ को शेष महाराष्ट्र के साथ रखना ही ज्यादा अच्छा होगा ।

†**श्री बा० च० कामले** : संविधान के किस अनुबन्ध के अधीन रंगाचारी-पंचाट के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य को भुगतान करने के लिये कहा जाने वाला है ? क्या सरकार पंचाट की एक प्रति सभा-पटल पर रखने को राजी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : आज सुबह के अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार तो मेरा यही अनुमान है कि इसे बम्बई में प्रकाशित कर वहां की विधान सभा के पटल पर रखा जा चुका है लेकिन यदि कोई सदस्य चाहते हैं कि उसे यहां भी पटल पर रखा जाये तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

†**श्री बा० चं० कामले** : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर अभी नहीं दिया गया है । रंगाचारी-पंचाट संविधान के किन उपबन्धों पर आधारित है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : प्रत्येक प्रस्ताव को इस सभा के समक्ष रखना सरकार का कर्त्तव्य है और यह सभा ही इस देश के किसी भी कार्य से संबंधित किसी भी मसले की अन्तिम निर्णायक है

†**श्री खाडिलकर** : बम्बई राज्य के विभाजन के सिलसिले में वित्तीय व्यवस्था के बारे में आन्ध्र और मद्रास राज्यों के विभाजन के पूर्वोदाहरण का अनुकरण क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : परिस्थितियां भिन्न होती हैं । इन सब के ऊपर मेरे विचार से इन सब मामलों में सब से ज्यादा ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि जो नये राज्य बनाये जा रहे हैं उन में सद्भाव बना रहे और कटुता के मौके कम से कम आयें । मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के मामले में कुछ व्यवस्था की गयी थी जिसने उन राज्यों को संतुष्ट कर दिया था । कुछ व्यवस्था यहां की गयी है जिसने, मैं बता चुका हूं, उन राज्यों को संतुष्ट कर दिया है ।

†**श्री गोरे** : गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो सीमायें तय हुई हैं क्या उनके साथ-साथ सरकार मैसूर और महाराष्ट्र की सीमायें तय करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : सरकार समझौता कराने के लिये अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक यह प्रयास सफल नहीं हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री खाडिलकर : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि सहमति से सद्भाव की पुनर्स्थापना हो जायेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य को ५० लाख रुपये दिलाने से सद्भाव बढ़ेगा और भावों में और भी कटुता आजायेगी।

†श्री गो० ब० पन्त : मुझे आशा है कि सद्भावना फिर कायम हो जायेगी।

†श्री गोरे : सरकार २½ वर्ष से बम्बई के मुख्य मंत्री और मैसूर के मुख्य मंत्री के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता होने की राह देख रही है। वह कब तक इस प्रश्न पर रुकी रहेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : जब तक पारस्परिक समझौते की आशा रहेगी।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्र ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के विचारों का पता लगाया था; और यदि हां, तो यह विचार क्या थे और प्रस्तावित विभाजन के बारे में अन्य पार्टियों द्वारा प्रगट किये गये विचारों से उनमें क्या अन्तर है ?

†श्री गो० ब० पन्त : संयुक्त महाराष्ट्र समिति के वर्तमान प्रतिनिधियों ने मुझ से भेंट कर अपने विचार प्रगट किये थे। मुझे आशा है कि वे इस विधेयक को इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे।

†श्री बा० च० कामले : व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या सरकार सीमा विवाद के हल के लिये कोई अवधि निर्धारित कर देगी जिसके बाद हस्तक्षेप किया जा सकेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : हम एक प्रश्न से दूसरे पर चले जा रहे हैं। यह विभाजन के बारे में है। सीमा विवाद के बारे में नहीं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि नए बनने जा रहे गुजरात राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए महाराष्ट्र क अतिरिक्त केन्द्र से भी क्या कुछ अनुदान दिए जाने की योजना है ?

श्री गो० ब० पन्त : केन्द्र से तो सभी को दिया जाता है, महाराष्ट्र को भी दिया जायेगा। और गुजरात को भी दिया जाएगा।

पाकिस्तान में लगी भारतीय गैर-सरकारी पूंजी

+

†*७८३ { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास पाकिस्तान में लगी भारतीय गैर-सरकारी पूंजी का कुछ लेखा जोखा है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी है; और

(ग) क्या सरकार अब भी भारतियों को पाकिस्तान में पूंजी लगाने की अनुमति देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां। भारत के रक्षित बैंक ने भारत के विदेशी दायत्वों और आस्तियों का जो सर्वेक्षण किया था उसके अनुसार ३१-१२-१९५५ को पाकिस्तान में लगी भारतीय पूंजी का विवरण इस प्रकार था :—

१. पाकिस्तान के शेयरों, डिबेंचरों और प्रतिभूतियों में लगी भारतीय जायंट स्टाक कम्पनियों की पूंजी	१७.५६ करोड़ रुपये
२. भारत के निवासियों अथवा पट्टीदारों की ओर से बैंकिंग कम्पनियों द्वारा ली गयी पाकिस्तानी प्रतिभूतियों, शेयरों और डिबेंचरों में लगी पूंजी	०.२७ करोड़ रुपये
जोड़ . .	१७.८३ करोड़ रुपये

इन आंकड़ों में भारत के निवासियों अथवा पट्टीदारों द्वारा सीधे लगाई गयी पूंजी के आंकड़े शामिल नहीं हैं। उक्त तिथि के बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्यों कि बैंक ने और आगे सर्वेक्षण नहीं किया फिर भी बैंक का कहना है कि उनके पास इस सम्बन्ध में जो भी जानकारी है उससे स्थिति में कोई उल्लेखनीय अंतर होने का आभास नहीं मिलता।

(ग) जी नहीं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या भारतीय गैरसरकारी पूंजी विनियोजन कम्पनियों ने भारत सरकार से कहा है कि उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो वह कठिनाइयां क्या हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : कुछ अभ्यावेदन किये गये हैं कि उन्हें वहां से कुछ भी लाने नहीं दिया जाता। यह शिकायत है; हम भी उनकी सहायता करने में समर्थ नहीं हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सीमा-क्षेत्रों में जहां पाकिस्तान की ओर की पूंजी लगी हुई है, वहां भी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

†श्री मोरारजी देसाई : दोनों ओर से एक सी ही बात है।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता है कि कई फर्मों के कार्यालय दोनों ही देशों में हैं और वे बैंकों के विनियमों और विदेशी मुद्राओं से बचने के लिये वस्तु-विनिमय के आधार पर व्यापार चला रहे हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : मुझे इस मामले में विशेष कुछ पता नहीं है। मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि विदेशी कम्पनियों के बारे में ठीक ठीक स्थिति कैसी है।

†श्री रामनायन् चेट्टियार : क्या पाकिस्तान ने लाभांश को भारत भेजने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरा ख्याल है कि प्रतिबन्ध हैं । उसे यहां लाने नहीं दिया जाता ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार पाकिस्तान में व्यापार चलाने वाले भारतीय निवासियों द्वारा कमाये गये मुनाफे पर आय-कर वसूल करती है ? यदि हां, तो क्या आयकर केवल उन्हीं मुनाफों पर वसूल किया जाता है जो भारत में पहुंचता है या तब भी जब वह यहां नहीं आता ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जब वह यहां नहीं पहुँचता तो वसूल नहीं किया जाता; इसकी वसूली उनके यहां आने पर ही की जाती है ।

†**श्री विमल घोष** : क्या पाकिस्तान भारतीय पूंजी से अन्य विदेशी पूंजी की अपेक्षा कुछ भिन्न व्यवहार करता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कुछ भेद भाव किया जाता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे लिये यह बताना संभव नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ भेद भाव किया जाता है ।

†**श्री विमल घोष** : सरकार उसके बारे में क्या कर रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार उनसे सिर्फ यही कह सकती है कि हम इसे उचित नहीं समझते । उसके बारे में हम कोई युद्ध थोड़े ही कर सकते हैं ।

†**श्री गोरे** : क्या हम ने विरोध प्रगट किया है ?

†**श्री तंगामणि** : क्या इन आंकड़ों को नवीनतम स्तर पर लाने के लिये रक्षित बैंक द्वारा कोई नया सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरा ख्याल है कि किसी सर्वेक्षण से ठीक ठीक स्थिति का पता नहीं लगेगा और अभी मैं इसे अधिक वांछनीय भी नहीं समझता ।

इस्पात की खपत के बारे में विशेषज्ञ समिति

+

†*७८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री पांगरकर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तक चालिस से पचास लाख टन तक इस्पात का जो उत्पादन किया जायेगा उस को खपाने की हामारी क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने क्या अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; **और**

(ग) उसका विवरण क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अभी तक सरकार को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिस पर समिति के सदस्यों ने ७ मार्च, १९६० को हस्ताक्षर किये थे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा मैं ने कहा, अन्तिम प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर हो गये हैं किन्तु सरकारी तौर पर अभी वह प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या समिति ने देश में कच्चे लोहे की खपत की भी जांच की थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : उस समिति का संबंध मुख्यतः तैयार इस्पात से ही था ।

†**श्री पाणिग्रही** : जब समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्षमता के बारे में उन्होंने अपने प्रतिवेदन में क्या बताया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा मैंने कहा, अभी औपचारिक रूप से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु यह संकेत मिले हैं कि जबकि उत्पादन और खपत के बीच का अन्तर काफी कम हो गया है, विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में खपत सदा ही उत्पादन की मात्रा से अधिक होती रहेगी ।

अल्प बचत योजना

†*७८५. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या वित्त मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५८ और मार्च, १९५९ में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत क्रमशः कितना-कितना धन जमा हुआ; और

(ख) अप्रैल, १९५८ और अप्रैल, १९५९ में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत क्रमशः कुल कितना-कितना धन जमा पूंजी में से निकाला गया?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) क्रमशः ४३.६५ करोड़ और ४४.३० करोड़ रुपये ।

(ख) क्रमशः १७.६८ करोड़ और २०.२८ करोड़ रुपये ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जमा की गई इस पूंजी में से इतना अधिक धन क्यों निकाला गया?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह धन अधिकांशतः डाक घर बचत बैंकों से निकाला गया है । यह "चालू खाता" होता है और इसमें से किसी समय भी पैसा निकाला जा सकता है । अतः डाक घर बचत बैंक के लेखे से हमेशा ही काफी धन निकाला जाता है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि वित्तीय वर्ष में अल्प बचत के आंकड़े बढ़ाने के लिये वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जमा किये गये धन में से ही वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर अधिकांश धन निकाला गया था; यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मालूम करने के लिये कोई जांच कराई है कि यह आरोप सच है अथवा नहीं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुख्य उत्तर में मैं बता चुकी हूं कि कुल जमा पूंजी के मुकाबले में बहुत कम धन निकाला गया था । मैं बता चुकी हूं कि अधिकांशतः डाक घर बचत बैंक से धन निकाला गया था । हम उस विषय में अधिक नहीं कर सकते क्योंकि वह एक ऐसा "चालू खाता" है जिसमें से जमा करने वाला कभी भी धन निकलवा सकता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच है कि महिलाओं द्वारा चलाये गये बचत आन्दोलन से अन्य संगठनों द्वारा किये गये अन्य प्रयत्नों के मुकाबले में अधिक धन जमा हुआ है?

†**श्री मती तारकेश्वरी सिन्हा** : शायद माननीय सदस्य बधाई दे रहेहैं किन्तु यह सत्य है ।

†**श्री त्यागी** : एक साल में जितना धन जमा किया जाता है उसमें से उसी वर्ष कितने प्रतिशत धन निकाल लिया जाता है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा** : श्रीमान, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष कितना धन निकाला गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री केवल नवीनतम आंकड़े दे सकती हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा** : अप्रैल, १९५९ में जिसके बारे में मूल प्रश्न है, प्रमाण-पत्रों, डाक घर बचत बैंक लेखे आदि मिलाकर कुल २,३५२ लाख रुपये जमा हुये । २,०२८ लाख रूपये निकाले गये । इस का तात्पर्य यह है कि कुल ३३४ लाख रुपये की बचत हुई ।

†**श्री त्यागी** : मैं दूसरी बात पूछ रहा था । मैं स्पष्टीकरण चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री उत्तर दे चुकी हैं । माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते थे कि उसी वर्ष में जमा पूंजी का कितना प्रतिशत निकाल लिया जाता है । माननीय मंत्री ने बताया है कि लगभग २,००० लाख रुपयों में से लगभग ३०० लाख रुपये बच रहते हैं ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वह सब धन उसी वर्ष से संबंधित था । वह पहले सालों का भी हो सकता है । उसी वर्ष के बारे में यह बताना बहुत कठिन है कि कितना धन निकाला गया है ।

†**श्री त्यागी** : शायद मेरा प्रश्न ठीक तरह से नहीं रखा गया । मैं एक भ्रम दूर करना चाहता हूं । मेरा प्रश्न यह है कि यह जो धन निकाला गया उस में से कितना धन उस पूंजी से निकाला गया था जो उसी वर्ष जमा की गई ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अभी तुरन्त आंकड़े देना कठिन है । हमें देखना होगा । मैं नहीं समझता कि ऐसा करने से कोई लाभ है । किन्तु होता यह है कि कुछ राज्यों में विशेषतः दो या तीन राज्यों में आखिरी महीने में पैसा जमा कराने के लिये काफी आदोलन किया जाता है । अगले महीने में वह सब धन निकाल लिया जाता है ।

†**श्री त्यागी** : मुझे प्रसन्नता है कि वे उससे अवगत हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे इस की जानकारी है । मैं इसका विरोध कर रहा हूं और राज्यों से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए । किन्तु मैं राज्यों को बाध्य नहीं कर सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** :क्या अन्य महीनों के मुकाबले में विशेषत: अप्रैल के महीने में अधिक धन निकाला जाता है और यदि हां, तो क्या अन्तर रहता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने अभी इसका ही उत्तर दिया है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे पास इस समय तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं किन्तु यह सच है कि मार्च में काफी धन जमा किया जाता है और अप्रैल में काफी निकाला जाता है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या अब अर्थात् वर्ष १९५८-१९५९ में पहले वर्षों के मुकाबले अधिक धन निकाला गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी नहीं । पहले से कम धन निकला गया है ।

†**श्री हेडा** : उसी वर्ष विशेषत: अप्रैल के महीने में ही [धन निकालने के क्या कारण थे क्या सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई उपाय किये हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह पहले ही बता चुका हूं और मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र का अपने राज्य पर अधिक प्रभाव है ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या यह सच है कि कई राज्यों में यह प्रथा बन गई है कि स्थानीय संस्थायें, सहकारी समितियां तथा सरकार के कई विभाग अल्प बचत योजना के अन्तर्गत धन जमा करते है और फिर उन से धन निकालने के लिये कहा जाता है ताकि अन्य राज्यों के मुकाबले में जमा पूंजी के आंकड़े अधिक हो जायें ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह सच है कि दो या तीन राज्यों में ऐसा हो रहा है और मैं उनका ध्यान उसकी ओर दिला रहा हूं क्योंकि यह वास्तविक बचत नहीं है, यह केवल बढ़ाकर दिखाना है और अन्ततोगत्वा इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार को ज्ञात है कि अन्य राज्यों में तहसीलदार और बम्बई राज्य में मामलात दार अल्प बचत योजना के अन्तर्गत धन जमा करने के लिये जनता को बाध्य करते हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं ठीक-ठीक कह सकता हूं कि बम्बई राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है ।

†**श्री भा० कृ० कायकवाड़** : मेरा प्रश्न अन्य राज्यों के तहसीलदारों तथा बम्बई राज्य के मामलातदोरों के बारे में था । वे अन्य राज्यों में तहसीलदार कहलाते है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने बताया कि बम्बई राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस अल्प बचत योजना का प्रचार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे प्रश्नों का उत्तर समय समय पर दिया जाता है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : बहुत से उपाय किये जाते हैं । यह लम्बी सूची है और उन सब बातों का उल्लेख करना कठिन है किन्तु समय समय पर सदस्यों को उनके बारे में बता दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणुका राय : क्या इस लेखे के राज्यवार ब्यौरे की एक सूची सभा-पटल पर रखी जा सकती है ?

†श्री मोरारजी देसाई : पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

रूरकेला में इस्पात का उत्पादन

+

†*७८६. { श्री प्र० के० देव :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में इस्पात का उत्पादन एल० डी० (Linzer Dusenstahl) तरीके से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर प्रति दिन उक्त तरीके से कितना इस्पात तैयार किया जाता है और परम्परागत खुली भट्टी प्रक्रिया के अनुसार कितना इस्पात तैयार किया जाता है ; और

(ग) क्या एल० डी० तरीके से तैयार किये जाने वाले इस्पात की लागत खुली भट्टी प्रक्रिया से तैयार किये जाने वाले इस्पात की लागत के बराबर है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) रूरकेला में (Linzer Dusenstahl) तरीके से इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। जिसे आम बोल चाल में 'एल० डी०' प्रक्रिया कहते हैं ।

(ख) इस तरीके से उत्पादन २७ दिसम्बर, १९५९ से ही प्रारम्भ किया गया है। जनवरी और फरवरी, १९६० में इस तरीके से १०,८०२ टन इस्पात का उत्पादन किया गया है और खुली भट्टी प्रक्रिया से १०,०५९ टन इस्पात का उत्पादन किया गया है।

(ग) इस नये तरीके से तैयार किये गये इस्पात पर आने वाली लागत खुली भट्टी प्रक्रिया से तैयार किये जाने वाले इस्पात की लागत से कम है ।

†श्री प्र० के० देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस 'एल० डी०' तरीके से उत्पादन पर कम लागत आती है, क्या सरकार अन्य इस्पात कारखानों में भी इस तरीके को लागू करने का विचार रखती है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जब उन कारखानों का विस्तार कार्य प्रारम्भ किया जायेगा उस समय इसकी संभावना पर विचार किया जायेगा ?

†श्री प्र० के० देव : क्या इस तरीके को भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों में भी चालू किया जायेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रकार के प्रविधिक मामले पर इसी समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह तो प्रविधिक विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली प्रविधिक सलाह पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि यह 'एल० डी०' प्रक्रिया अभी तक आस्ट्रिया में भी प्रयोग अवस्था में ही है और उसे इस देश में अपनाने के सम्बन्ध में बड़ा अविश्वास सा प्रकट किया गया था और यदि हां, तो क्या सरकार ने रूरकेला में इसे लागू करने से पहले इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया था ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है, अतः दूसरा भाग उत्पन्न ही नहीं होता ।

†श्री साधन गुप्त : यदि 'एल० डी०' प्रक्रिया पर कम खर्च आता है, तो इसे रूरकेला के सम्पूर्ण इस्पात के उत्पादन के लिये क्यों नहीं अपनाया गया ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह निर्णय तो कई वर्ष पहले ही कर लिया गया था, उस समय 'एल० डी०' प्रक्रिया अभी नयी नयी प्रारम्भ हुई थी और उसे रूरकेला में अपनाने के सम्बन्ध में मत भेद था । परन्तु फिर भी हमने साहसपूर्वक इस प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय किया और उसके परिणामों से ज्ञात होता है कि जो निर्णय किया गया था, वह अब हितकारी सिद्ध हुआ है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को ज्ञात है कि सम्पूर्ण संसार में १६ स्थानों पर ही इस 'एल० डी०' प्रक्रिया को प्रयोगात्मक आधार पर चलाया जा रहा है और यदि हां, तो क्या हमारा इस सम्बन्ध में जोखिम लेना उचित है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बता दिया है कि इस तरीके से किये जाने वाले उत्पादन पर अपेक्षाकृत कम खर्च आता है । एक माननीय सदस्य का यह कहना है कि जब इस पर कम खर्च आता है तो इसे अन्य कारखानों में भी क्यों नहीं अपनाया जा रहा है और दूसरे माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस तरीके को प्रारम्भ ही क्यों किया गया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब 'एल० डी०' प्रक्रिया एक सामान्य तथा लोक प्रिय तरीका बन गया है और विभिन्न देशों से आने वाले विशेषज्ञों ने इस नये तरीके की समान रूप से प्रशंसा की है । अब तो यह तरीका प्रयोगात्मक अवस्था से बहुत आगे बढ़ गया है और संसार के विभिन्न देशों में अब इस तरीके से लाखों टन इस्पात तैयार किया जा रहा है ।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

*७८७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने दिसम्बर, १९५९ के अन्तिम सप्ताह में बडौदा में यह निर्णय किया है कि अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह सरकारी स्तर पर नहीं मनाया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह निर्णय विशेषतः मैसूर में अन्तर्विश्वविद्याल युवक समारोह में हुए उपद्रवों के कारण किया गया है; और

(घ) दिल्ली में हुए अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों के बारे में सरकार का क्या अनुभव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में]

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) दिल्ली में हुए अन्तर्विश्वविद्यालय समारोहों को पर्याप्त सफलता मिली ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: क्या मैं जान सकता हूं कि पांच वर्ष तक दिल्ली में और गत वर्ष मैसूर में हुए अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों के अनुभवों के आधार पर आगे भी इन समारोहों को चालू रखने का सरकार विचार रखती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, सरकार का पूरा विचार है कि यह फैस्टिवल चलता रहे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, दिल्ली में जो युवक समारोह अब तक हुए हैं, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन में अधिकांश समय नाचने गाने और मनोरंजन के सिवा और कौन से रचनात्मक कामों में लगाया गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : नाच-गाना भी होता है । वाद-विवाद भी होता है । सिम्पोजियम भी होते हैं और बहस भी होती है । विद्यार्थियों की जिन में रुचि होती है, वे सभी तरह के प्रोग्राम होते हैं । माननीय सदस्य महोदय को मालूम है कि हिन्दी की डीवेट्स भी होती हैं और अंग्रेजी की भी होती हैं । विद्यार्थियों की समस्याओं पर विचार होता है और उन के बारे में विद्यार्थी स्वयं अपने विचार व्यक्त करते हैं । मिनिस्ट्री इस पर और विचार कर रही है कि और कौन सी ऐसी योजनायें हैं, जो हम इस में ला सकते हैं, जिन में विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति करने का पूर्ण अवसर मिल सके ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि मैसूर में हुए इस अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के पश्चात् भी क्या शिक्षा मंत्रालय का इस प्रकार का अनुभव है कि इन समारोहों को पृथक पृथक राज्यों में किया जाये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : इस के बारे में मैं अभी कोई निश्चित राय नहीं दे सकता हूं । पिछली बार यह जरूर सोचा था, कुछ यूनिवर्सिटीज की भी यह इच्छा थी, राज्य सरकारें भी चाहती थीं और पार्लियामेंट के मेम्बर भी चाहते थे कि अगर अलग अलग जगहों पर यह फैस्टिवल हो, तो ज्यादा अच्छा होगा । लेकिन इस अनुभव के बाद अभी विचार करना पड़ेगा कि हर साल इस को बाहर भेजें या न भेजें । एक तो खर्चे का प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली में योजना बनी हुई है, थियेटर बना हुआ है और यहां सब इन्तजाम हो जाता है । नई नई जगह पर यह फैस्टिवल करने से प्रबन्ध में खर्च करना पड़ता है । इसके फायदे भी हैं, तो सारी समस्या पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय की ओर से प्रादेशिक आधार पर प्रादेशिक शिक्षा समारोहों का आयोजन किया जाता है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से उन विश्वविद्यालयों को इन समारोहों के लिये कोई अनुदान दिये जाते हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी, हां । विश्वविद्यालयों को सांस्कृतिक समारोहों के लिये अनुदान दिये जाते हैं । वास्तव में अन्तर्विश्वविद्यालय समारोह होने से पहले प्रति वर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय

---

†मूल अंग्रेजी में

की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय समारोह के लिये छात्रों का चुनाव करने के लिये अपने अपने समारोह किये जाते हैं और यह मंत्रालय उनके लिये अनुदान देता है।

†श्री तिम्मय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैसूर में हुई गड़बड़ का एक कारण यह भी था कि वहां पर समारोह उन समय किया गया था जब कि कक्षायें चल रही थीं, क्या सरकार इन समारोहों को उन दिनों में रखने का यत्न करेगी जिन दिनों छात्रों की छुट्टियां हों ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं नहीं समझता कि उस गड़बड़ का मुख्य कारण यह था। उसके कई कारण थे जिन पर यहां विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु मैं समझता हूं कि हमारे विद्यार्थियों में पर्याप्त मात्रा में आत्म नियंत्रण तथा आत्मानुशासन की भावना है और यदि उन दिनों में समारोह किया जाये जिन दिनों कक्षायें लगी हुई हों, तो भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिये। जहां तक मुझे ज्ञात है, मैसूर में संचालकों ने ऐसी व्यवस्था की थी जिससे छात्र बारी बारी से समारोह को देख सकें, क्योंकि वहां पर सभी विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त स्थान नहीं था। इस समारोह का अधिकांश कार्यक्रम उस समय होता है जब कि कालेजों में छुट्टी हो जाती है।

सेठ गोविन्द दास : इन आयोजनों में क्या कोई ऐसा भी विचार किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों के चरित्र का उत्थान हो और उनमें अनुशासन आये? इस प्रकार का भी प्रयोग सरकार विशेषज्ञों द्वारा या स्वयं कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : चरित्र का निर्माण तो एक ऐसा प्रश्न है कि वह दस रोज में क्या बन सकता है ? उन के सारे जीवन में चरित्र बनता रहता है। लेकिन यह अवश्य है कि जब फेस्टिवल्स में विद्यार्थी आते हैं तो उन को अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है और साथ मिल कर जब वे काम करते हैं तो यह भी चरित्र का एक अच्छा गुण है। इस से उनमें सहयोग और सहकारिता की भावना जागृत होती है। सब से अच्छी बात तो यह है कि जब अन्य अन्य प्रदेशों से लड़के आते हैं तो उनमें यह भावना पैदा होती है कि यह राष्ट्र उन का है और जब बहुत से लोग मिल कर रहते हैं तो उनमें एक राष्ट्र के होने की भावना जागृत होती है।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार ने आगामी समारोह के स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। राज्य सरकारों से उस बारे में आने वाले आमंत्रण सुझावों पर भी विचार किया जाता है। यद्यपि इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है तथापि हमारा विचार है कि वह इस वर्ष दिल्ली में ही किया जाये।

†श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि मैसूर में हुए इस युवक समारोह में शिक्षा मंत्रालय को कितना व्यय करना पड़ा ?

डा० का०ला० श्रीमाली : सन् १९५८ में जो खर्च हुआ वह तो २ लाख ६५ हजार रुपये है। मैसूर के खर्च का हिसाब मेरे पास नहीं आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेगनेशियम कारबोनेट

+

†*७८८. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइट बेसिक मेगनेशियम कारबोनेट के वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन के सम्बन्ध में हो रही बातचीत पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टि से उत्पादन कब से प्रारम्भ होगा ; और

(ग) क्या उसके लिये कोई लाइसेन्स जारी किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) अभी नहीं। (ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री स० चं० सामन्त: इसमें इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†श्री हुमायून् कबिर: इसका मुख्य कारण यह है कि जिन भी पार्टियों ने लाइसेन्स के लिये आवेदन किया है वे सभी की सभी पार्टियां सम्पूर्ण भारत के लिये लाइसेन्स चाहती हैं। दिसम्बर, १९५९ में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने उन से कहा था कि अब वे क्षेत्रीय लाइसेन्सों के लिये आवेदन करें !

†श्री स० चं० सामन्त: क्या लाइसेन्स प्राप्त करने वाली पार्टियों से कोई रायल्टी भी ली जायेगी ?

†श्री हुमायून् कबिर : इस सम्बन्ध में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा और आशा है कि उनसे रायल्टी भी ली जायेगी ।

तस्कर व्यापार तथा उत्पादन शुल्क सम्बन्धी मामले

†*७८९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से तस्कर व्यापार के रूप में लायी गयी वस्तुओं तथा अन्य उत्पादन शुल्क सम्बन्धी मामले केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से ही न्यायालयों से वापिस लिये जा सकते हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के कितने मामलों की वापिसी के लिये मंजूरी दी गयी थी ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत : (क) विधि के अधीन तस्कर व्यापार तथा उत्पादन शुल्क सम्बन्धी मामलों की न्यायालय से वापिसी से पहले केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु फिर भी सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इकट्ठा करने वाले पदाधिकारी अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों को वापिस लेने से पहले केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित कर देते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल दो मामलों की ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी सलाह ली जाती है ?

†श्री ब० रा० भगत : इन मामलों से राज्य सरकारों का कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस आरोप की ओर आकृष्ट किया गया है कि पंजाब में इस प्रकार के कई मामलों को न्यायालय से वापिस ले लिया गया है ?

†श्री ब० रा० भगत : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : इस प्रकार के कितने मामले इस समय न्यायालयों में विचाराधीन हैं; और क्या कोई मामला किसी विदेशी के विरुद्ध भी चल रहा है ?

†श्री ब० रा० भगत : मैं इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कह सकता । इसके लिये एक अलग पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारत-पाक सीमा पर नियमित रूप से तस्कर व्यापार चल रहा है; और यदि हां, तो इसकी रोक थाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री ब० रा० भगत : हम सभी प्रकार के संभव उपायों को अपना रहे हैं ।

†श्री तिरुमल राव : माननीय मंत्री ने बताया है कि गत तीन वर्षों में दो मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से वापिसी की अनुमति दी गयी है । वे किस प्रकार के मामले थे और उन मामलों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

†श्री ब० रा० भगत : एक मामला १९५७ का है जिहका सम्बन्ध अफीम के तस्कर व्यापार से था । मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वह अफीम कितनी कीमत की थी । दूसरे मामले का सम्बन्ध फारस की खाड़ी से चोरी छिपे लाये गये सोने से था । वह सोना ६०० तोले था ।

†श्री क० ड० परमार : क्या सरकार को ज्ञात है कि गुजराती समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सौराष्ट्र की एक भूतपूर्व रियासत की एक भूतपूर्व रानी ने सौराष्ट्र की सीमा पर तस्कर व्यापार प्रारम्भ कर दिया है और क्या सरकार ने इस सन्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

कालिदास अकादमी, उज्जैन

*७९०. श्री राधेलाल व्यास : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि महाकवि कालीदास की स्मृति में उज्जैन में एक कालीदास अकादमी स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) कालिदास का स्मारक बनाने के लिये अखिल भारतीय कालिदास परिषद् उज्जैन से वित्तीय सहायता के लिये एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) परिषद् से कहा गया है कि वह पहले राज्य सरकार को आवेदन पत्र दे।

श्रीराघे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस प्रकार गुरुदेव टैगोर की स्मृति बगैर राज्य सरकार के परामर्श के या बगैर उस की मार्फत कार्रवाई हुए ही कायम की जा रही है उसी प्रकार कालिदास की स्मृति के सम्बन्ध में, जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभूति हैं, भारत सरकार क्यों दिलचस्पी नहीं लेना चाहती और यह कहा जा रहा है कि वह राज्य सरकार की मार्फत आये ?

श्री हुमायून् कबिर : भारत सरकार इस में काफी दिलचस्पी ले रही है : दो दफा हमने मदद दे दी और उन से यह कहा कि इस किस्म से वक्तन फवक्तन सहायता देने से फायदा नहीं। बजाय इसके एक आल इंडियाइन्स्टिट्यूट बनाया जाय। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आयेगा तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे।

श्री राघे लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से क्या इस के पूर्व कोई योजना भारत सरकार के पास आई थी।

श्री हुमायून् कबिर : नहीं आई। बल्कि भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार से कहा गया था।

†श्री रंगा : क्या उज्जैन विश्वविद्यालय का नाम बदल कर कालिदास विश्वविद्यालय रखने और कालिदास साहित्य का अध्ययन करने के लिये एक विभाग खोलने पर कभी विचार किया गया है ?

†श्री हुमायून् कबिर : विश्वविद्यालय के बारे में मैं नहीं कह सकता; यह एक स्वायत्तशासी निकाय होता है। किन्तु हमने मध्य प्रदेश की सरकार को यह सुझाव दिया है कि कालिदास अकादमी को अखिल भारतीय भारत विद्या संस्था का रूप दिया जा सकता है जिसमें विशेष कर संस्कृत और प्राकृत साहित्य का अध्ययन एवं अड़ोस-पड़ोस के देशों के साथ भारत के मेल-जोल के बारे में जानकारी प्रदान की जाये।

सेठ गोविन्द दास : मंत्री जी ने अभी व्यास जी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमारे कुछ इस प्रकार के कवि और दार्शनिक हैं जो कि किसी प्रान्त विशेष के न होकर अखिल भारतीय स्तर के हैं और ऐसी हालत में राज्य सरकार के ऊपर ही यह प्रश्न क्यों रक्खा जाता है और केन्द्रीय सरकार स्वयं जैसे कि उसने गुरुदेव टैगोर का अलग से काम किया है उसी तरह से केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में भी कोई योजना क्यों नहीं लाती ?

श्री हुमायून् कबिर : यह जो रवीन्द्रनाथ जी के बारे में हो रहा है वह भी राज्य सरकार की मदद से हो रहा है और इसका खास मौका यह है कि गुरुदेव की हंडरेड वर्थ एनीवरसरी आ रही है अब जब कि महाकवि कालिदास के बारे में कोई खास वक्त या मौका नहीं है। यह जो आल इंडिया एकेडेमी बनाने का सवाल है, एक आल इंडिया इंस्टीच्यूट बनना चाहिए, तो यह तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : विभिन्न राज्य भाषाओं में कालिदास साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कालिदास जैसे महाकवि की रचनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि अभी तक महाकवि कालिदास का जन्म कहां हुआ, कहां उन्होंने वनवास बिताया, उसके बारे में काफी मतभेद है, तो क्या उनकी जीवनी के सम्बन्ध में कोई एक प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : जी हां, इसमें बहुत मतभेद है और अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई एक किताब लिखेंगे तो हम उसका अवश्य स्वागत करेंगे।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८[1]

\+

†*७९१ { **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ के उपबन्ध लागू करने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई तारीख निश्चित की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कोई तारीख इसलिये निश्चित नहीं की गई है कि अधिनियम के अधीन नियम बनाये जा रहे हैं।

†**श्री राधा रमण** : ये नियम किस प्रकार के हैं और उन्हें लागू करने में कितना समय लगेगा, यह बताया जा सकता है ?

†**श्रीमती आल्वा** : अधिनियम की धारा १७ के अधीन पहले तो राज्यों को नियम बनाने पड़ते हैं। तत्पश्चात् उस पर राय जानने के लिये उन्हें गजट में प्रकाशित कराया जाता है। इसके पश्चात् वे केन्द्रीय सरकार के पास उसकी आलोचना के लिये आते हैं। दिल्ली प्रशासन के प्रारूप नियम हमारे पास पिछली वर्ष किसी समय आ गए थे और अपनी आलोचना सहित वे उसे वापस भेज दिये गए थे। अब वे पुनः हमारे पास आ गए हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री सूपकार** : क्या इस अधिनियम के पारित होने से लेकर अब तक वे भारत के किसी भाग में लागू किये गए हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : मैं अपनी याददाश्त से बता सकती हूं कि बिहार में वे लागू किये गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Probation of Offenders Act, 1958.

†**श्री सूपकार** : अधिनियम के पारित हो जाने के बाद से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पारित किये बिना वे लागू किस प्रकार किये जा सकते हैं ?

†**श्री सूपकार** : भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग अधिनियम होते हैं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह अधिनियम विशेष लागू किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदया ने यही तो कहा है ?

श्री पद्म देव : क्या ये जो सेंट्रल ऐक्ट्स हैं वे जब यहां से पास हो जाते हैं तो यह स्वत: यूनियन टैरीटरीज पर लागू नहीं हो जाते हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : ये इतनी जल्दी लागू नहीं किये जा सकते। सर्वप्रथम आवश्यक मशीनरी अर्थात् परिवीक्षा सेवा होनी चाहिये। इसके अलावा मैं अभी बता चुकी हूं कि धारा १७ के अधीन राज्यों को नियम बनाने पड़ते हैं। तत्पश्चात् उस पर राय जानने के लिये उन्हें गजट में प्रकाशित कराना पड़ता है। तत्पश्चात वह गृह-कार्य मंत्रालय में आगे हैं जबकि हम अपनी आलोचना देते हैं। इसके बाद वे फिर उनके पास वापस भेज दिये जाते हैं। और उसके बाद ही उन पर अन्तिम निर्णय किया जाता है।

विधि आयोग का पांचवां प्रतिवेदन

+

†*७९२. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के पांचवे प्रतिवेदन में डा० एन० सी० सेनगुप्त के टिप्पण में दी गई इस पुर:स्थापना की जांच कर ली है कि १९२७ का भारतीय गिरजाघर अधिनियम संविधान की शक्ति से बाहर है और प्रत्यर्पण अधिनियम और १८५६ का विदेशी न्यायाधिकरण साक्ष्य अधिनियम को भारत की विद्यमान स्थिति के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण और विचार है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). प्रत्यर्पण के विषय पर एक विधेयक पहले ही तैयार किया जा चुका है जो सरकार के विचाराधीन है। विदेशी न्यायाधिकरण साक्ष्य अधिनियम, १८५६ की जांच राज्य सरकारों एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से उसका निरसन करने की दृष्टि से की जा रही है। भारतीय गिरजाघर अधिनियम, १९२७ का निरसन अथवा उसको बदलने का प्रश्न ऐसा है जिस पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है और उसकी जांच की जा रही है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस तथ्य की दृष्टि से चर्च आफ इंण्डिया एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके पास काफी पैसा है और जो भारत सरकार पर अनेक दायित्व डाल देता है विशेषकर इसलिये कि इंग्लैण्ड का सम्राट और कैण्टरबरी का आर्कबिशप इसके सर्वेसर्वा हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस मामले की जांच कराने में शीघ्रता करेगी और असमानता को सुधारने के लिये कानून बनायेगी ?

†**श्री हजरनवीस** : जहां तक प्रश्न में दिये गए सुझाव का संबंध है वह स्वीकार किया जायेगा किन्तु गिरजाघरों की सम्पत्ति और उनसे संबंधित उपबन्धों के बारे में कुछ प्रशासकीय और कानूनी कठिनाइयां हैं जिनकी जांच राज्य सरकारों और संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय के परामर्श से की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि कुछ ही समय में हम निर्णय कर लेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या संविधान के उपबन्धों से उत्पन्न इस स्थिति की सरकार ने जांच कर ली है कि भारतीय गिरजाघर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इंग्लैण्ड के गिरजाघर के ऐंग्लकनों को अब जो अवसर मिलते हैं उनसे भारत में रहने वाले अन्य धर्मावलम्बी वंचित रह जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनमें कोई भेद–भाव बरता जाता है ?

†**श्री हजरनवीस** : विधि आयोग के प्रमुख सदस्य ने यही बात कही है और जो लगभग स्वीकार भी कर ली गई है। सरकार का विचार यदि संभव हो सके तो इस अधिनियम का निरसन करना है। किन्तु अधिनियम का निरसन करने के कुछ परिणाम भी निकलते हैं जिनकी जांच की जा रही है।

†**श्री तंगामणि** : माननीय उपमंत्री यह स्वीकार करते हैं कि भेद-भाव किया गया है और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। क्या हमें उस समय के बारे में कुछ अनुमान दिया जा सकेगा जब कि भारतीय गिरजाघर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन लागू किया जा सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों को दूर करना होगा। वे विधान बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या भारत में पादरियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से कैण्टरबरी और यार्क के आर्कबिशप द्वारा की जाती है और वे ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठावान रहते हैं ? यदि हां, तो क्या इससे उनके भारतीय राष्ट्रजन होने पर असर नहीं पड़ता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री एक प्रश्न के उत्तर में पहले ही कह चुके हैं कि भेद-भाव के बारे में कोई सन्देह नहीं है। वह अधिनियम का निरसन करने अथवा उसमें संशोधन करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

भारत और जापान के बीच दोहरे कराधान सम्बन्धी करार

\+

†*७९३. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरा कराधान न होने देने के लिये भारत और जापान के बीच कोई करार किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो करार की खास-खास बातें क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां।

(ख) करार के प्रकाशित किये जाने से पहले चूंकि भारत सरकार और जापान सरकार को कुछ औपचारिकतायें अभी पूरी करनी हैं, इसलिये इस प्रक्रम पर करार की खास-खास बातें बताना संभव नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : चूंकि करार पहले ही किया जा चुका है, इस कारण क्या मैं सरकार को जो फायदे होने की संभावना है उन्हें जान सकता हूं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : लाभ देश में विदेशी विनियोजन को और अधिक प्रोत्साहन देना और कुछ कठिनाइयां भी दूर करना है।

माध्यमिक प्रक्रम पर अनिवार्य विज्ञान शिक्षा

+

†*७९५. **श्री हेम बरुआ** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय बोर्ड माध्यमिक प्रक्रम पर विज्ञान को अनिवार्य बनाने के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड के निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बोर्ड की कार्यवाही अभी अन्तिम रूप से समाप्त नहीं हुई है। कार्यवाही की एक प्रतिलिपि जिसमें बोर्ड की सिफारिशें भी साथ होंगी यथासमय सामान्यरूप लोक-सभा पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने देश में जिस समय माध्यमिक स्कूलों में यह योजना लागू होगी उस पर कितना खर्च होगा इसका हिसाब लगाया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस पर कितना खर्च होगा इसका अनुमान मेरे पास नहीं है। वस्तुतः यह सिद्धांत तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को जब स्वीकार किया गया था तभी स्वीकार कर लिया गया था और सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से सभी माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान लागू करने के लिये उपबन्ध कर दिया था। यह सिफारिश उस पहली वाली सिफारिश की पुनरुक्ति मात्र है जो माध्यमिक स्कूलों में सामान्य विज्ञान को सभी छात्रों के लिये अनिवार्य विषय लागू के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : सम्बन्धित स्कूलों को इमारत, प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक उपकरणों के लिये व्यवस्था करने हेतु वित्तीय सहायता राज्य सरकारें देंगी अथवा उनके लिये आवश्यक वित्तीय सहायता की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि राज्य सरकारें जो भी विभिन्न कार्यक्रम अथवा परियोजनायें शुरू करती हैं उनके लिये केन्द्रीय सरकार उपयुक्त अनुदान देती आ रही है । मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता किन्तु जहां तक मुझे पता है सामान्य विज्ञान के लिये भी कुछ अनुदान दिया जा रहा है किन्तु गल्ती होने पर इसमें सुधार किया जा सकता है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल बोर्ड ने जो सिफारिश की है उसमें सैकेन्डरी स्टेज को ९ से ११ तक रखा है या ८ से दस तक ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सैकिंडरी स्टेज तो ११वां क्लास समाप्त होने तक होता है। ११ क्लास तक सैकिंडरी स्टेज गिनी जाती है। कहीं १४ के बाद गिनते हैं, कहीं १३ के बाद और कहीं ११ के बाद । हर एक राज्य में अलग अलग स्टेजेज हैं। लेकिन सैकिंडरी स्टेज समाप्त होती है ११वें क्लास की पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद, और जहां तक प्रारम्भ होने का सम्बन्ध है, कुछ तो उसे मिडिल स्टेज से गिनते हैं, कुछ मिडिल को प्राइमरी स्टेज कहते हैं। इसके लिये अलग अलग राज्य में अलग अलग लिमिट है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : सरकार द्वारा भूतकाल में बहुधा यह बताये जाने को ध्यान में रखते हुए कि त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में काफी प्रगति हो रही है, क्या मैं यह समझूं कि माध्यमिक प्रक्रम पर विज्ञान की प्रारम्भिक शिक्षा देने की काफी व्यवस्था कर दी गई है अथवा यह समझूं कि इसमें कुछ कमी है जिसके परिणामस्वरूप त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम विलम्ब से लागू किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नहीं, श्रीमान् । त्रिवर्षीय स्नातक-पाठ्यक्रम में विलम्ब करने की कोई बात नहीं है । सत्य तो यह है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों ने यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया है । कुछ ने त्रिवर्षीय स्नातक-पाठ्यक्रम आरम्भ भी कर दिया है । कुछ इस बात पर सहमत हैं कि दो वर्ष में त्रिवर्षीय स्नातक-पाठ्यक्रम आरम्भ कर देंगे । उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों की कुछ कठिनाइयां हैं । उनकी कठिनाइयों की जांच हो रही है । इस प्रश्न का त्रिवर्षीय स्नातक-पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है । माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश स्वीकार करते समय हमने यह भी स्वीकार किया था कि समस्त माध्यमिक स्कूलों में सामान्य विज्ञान (जनरल साइन्स) आरम्भ करना चाहिये ? यह आवश्यकता इसलिये और भी अधिक हो जाती है कि हम उच्च स्तर पर विज्ञान तथा प्राद्यौगिकी का विकास कर रहे हैं ।

†**श्री कमल सिंह** : क्या यह सिफारिश बहु-प्रयोजनीय उच्चतर माध्यमिक तथा बहु-प्रयोजनीय प्राविधिक स्कूल खोलने की योजना से पृथक् है और क्या पहिले बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोल कर, अर्थात्, इस सिफारिश को लागू कर के योजना को सन्तोषजनक रूप में लागू करने का विचार नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : साधारणतया हाई स्कूलों को बहु-प्रयोजनीय स्कूल बनाया जा रहा है । हमारा विचार है कि यदि धन उपलब्ध हो तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक

---

†मूल अंग्रेजी में

हम अधिकांश स्कूलों को बहु-प्रयोजनीय स्कूल बना देंगे । परन्तु सामान्य विज्ञान हाई स्कूलों में भी आरम्भ किया जा सकेगा । इसके लिये इस परिवर्तन के होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्कता नहीं है । अतः साधारण हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों या बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में बदलने से इसका कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है ।

आयकर निर्धारण

+

†*७९६. डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के प्रधान मंत्री की घोषणानुसार आयकर निर्धारण सर्वविदित बनाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या विशेषतायें हैं ?

†विल उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). भारत सरकार ने आयकर निर्धारण सम्बन्धी आयकर अधिनियम के गोपनीय-उपबन्धों को ढीला करने का निश्चय किया है । सरकारी निश्चय कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित संशोधन तैयार हो रहे हैं एवं निश्चित होने पर विधेयकरूप में संसद् में उपस्थापित किये जायेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस सेशन के दरम्यान इस बिल के पेश किये जाने की कोई उम्मीद की जा सकती है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां, इसी सेशन में इस बिल के आने की संभावना है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : त्यागी समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने कहां तक विचार किया है ? क्या उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि हां तो किन सिफारिशों को लागू किया जायेगा ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन सब पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा ।

†श्री च० द० पाण्डे : क्या सरकार सभी करदाताओं की नामावली प्रकाशित करेगी या केवल उन व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करेगी जो सगुंप्ति तथा अपवंचन के अपराधी थे और जिन पर जुर्माना किया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दो प्रस्ताव हैं । एक तो यह है कि समूची सूची प्रकाशित करने की बजाये प्रार्थी को निर्धारण की प्रति दे दी जाये । दूसरा प्रस्ताव यह है कि जिन व्यक्तियों पर जुर्माना किया जाये उनकी नामावली प्रकाशित की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रमंडल नौसेना अभ्यास

+

†*७९७. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में सात राष्ट्रमंडलीय देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास हो रहा है और भारत भी उस में भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत के कितने भारतीय विमान बल के विमान तथा नौसेना जहाज इस में भाग ले रहे हैं; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेह सिंह गायकवाड़): (क) श्रीमन्, अभ्यास समाप्त हो गया। दूसरे की संभावना नहीं है। राष्ट्रमंडल के छः देशों ने, अर्थात्, भारत, पाकिस्तान, लंका, ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया ने इस में भाग लिया था। इस के अतिरिक्त, सिंगापुर के पास प्रक्रम १ में रायल मलायन नेवी ने भी भाग लिया था।

(ख) जेट अभ्यासों के चारों प्रक्रमों में भारतीय नौसेना के ग्यारह जहाजों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना बेड़ा आवश्यकता एकक[1] के चार विमानों, तथा भारतीय वायु सेना के चार विमानों ने भारत के पश्चिमी तट के पास संयुक्त अभ्यासों में भाग लिया।

(ग) संयुक्त राष्ट्रमंडलीय अभ्यासों में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक नौसेना अपना व्यय स्वयं उठाती है।

पूछी गई जानकारी देना संभव नहीं है और इस समय तो किसी भी प्रकार नहीं दी जा सकती। अभ्यास और परिणामस्वरूप व्यय सामान्य नौसेना प्रशिक्षण तथा उस के दायत्वों का भाग है।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस अभ्यास में हमारी नौसेना सफल रही ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : यह अभ्यास था, स्पर्धा नहीं। इस में इसे मिलकर कार्य करना था। जहां तक हमें विदित है सारी रिपोर्टें यही हैं कि इस का कार्य बहुत अच्छा था।

†श्री हेम बरुआ : इन अभ्यासों से क्या लाभ होता है ? क्या इन से अनुभव या मिलकर कार्य करने की भावना या मनोरंजन में वृद्धि होती है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह नौसेना के अभ्यास का अंग है। यदि नौसेना में यह जानना चाहती है कि युद्ध में कैसे कार्य करना चाहिये तो उन्हें अभ्यास करना होता है। कोई भी नौसेना, यदि वह बहुत बड़ी नौसेना नहीं है तो, अन्य नौसेनाओं के सहयोग के बिना अभ्यास नहीं कर सकती।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति

†*७९८. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या गृह-कार्य मंत्री प्राक्कलन समिति के अट्ठानवें प्रतिवेदन की अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की स्थापना के सम्बन्ध में जो गृह कार्य मंत्री से संबद्ध होगी, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Navy Fleet Requirement Unit,

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मामला विचाराधीन है ।

†सरदार अ० सिं० सहगल : इस पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री गो० ब० पन्त : अधिक समय नहीं लगेगा ।

सम्पत्ति बन्धक ऋण[1]

+

†*८००. { श्री हेम बरुआ :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने सम्पत्ति बन्धक ऋण देने और आरम्भ में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नगरों में यह योजना लागू करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की इस योजना की प्रस्तावित शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या अन्य नगरों में भी यह योजना लागू करने का विचार है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) निगम ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और हैदराबाद में स्थित सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर ऋण देने का निश्चय किया है ।

(ख) एक विवरण पटल पर, रखा जाता है ।

विवरण

सम्पत्ति बन्धक ऋण

बन्धक-कर्त्ता : ऋण केवल अनुमोदित पार्टियों को ही दिया जायेगा (ऋणी के व्यक्तिगत प्रसंविदा का अत्यधिक महत्व होने के कारण, निगम को ऋणी की वित्तीय साख और ऋण लौटाने की क्षमता से सन्तुष्ट होना आवश्यक है) ।

प्रतिभूति : ऋण सम्पत्ति के केवल प्रथम बन्धक पर ही दिया जायेगा ।

सम्पत्ति : ऋण केवल अनुमोदित सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर ही दिये जायेंगे ।

(सम्पत्तियों का अनुमोदन करने में समस्त संगत बातों पर, जैसे, स्थान सम्पत्ति की किस्म, विक्रेता, आदि का ध्यान रखना होता है)

ऋण नई और पुरानी दोनों किस्म की इमारतों पर दिया जायेगा परन्तु पुरानी इमारतों के सम्बन्ध में शर्त यह है कि वे टूटी फटी हालत में न हों ।

३० वर्ष से कम अवधि का पट्टा-सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दिये जायेंगे ।

ऋण की अवधि : ऋण की अधिकतम अवधि १५ वर्ष होगी ।

(यदि ऋण ५ वर्षों से अधिक अवधि के लिये नहीं दिया जाता है तो ऋण का अन्तरिम भुगतान अनिवार्य न होगा । यदि ऋण की अवधि ५ वर्ष से अधिक हो, तो मूल ऋण के नियमित वार्षिक भुगतान (या अधिक बार भुगतान) से परिशोधन कराने का उपबन्ध होगा) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Loans on Mortgage of Property.

ऋण की राशि : ऋण सम्पत्ति के मूल्य के ५ प्रति शत से अधिक न होगा। अग्रेतर, एक-ऋणी का न्यूनतम ऋण (इस कार्य के लिये विभिन्न सम्पत्तियों पर दो या अधिक ऋणों को एक ऋण माना जायेगा) २५,००० रु० और अधिकतम ऋण ५,००,००० रु० होगा।

व्याज की दर : ब्याज ७ प्रति शत वार्षिक लिया जायेगा जो समय पर भुगतान करने से घटाकर ६½ प्रतिशत किया जा सकता है।

सम्पत्ति का मूल्यांकन : सम्पत्ति का मूल्यांकन निगम द्वारा अनुमोदित सक्षम मूल्य निर्धारक द्वारा किया जाना चाहिये।

(ग) नहीं, श्रीमान।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण से पता चलता है कि ऋण अनुमोदित सम्पत्तियों की जमानत पर ही दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इन सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण कौन करेगा—सरकारी तंत्र या जीवन बीमा समवाय ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** निस्संदेह, जीवन बीमा निगम अपने तंत्र द्वारा सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण करेगा।

श्री तंगामणि : क्या सम्पत्तिज के आधार पर ऋण देने के बारे में विनियोग समिति ने कोई प्रस्ताव रखे हैं और नियम बना लिये गये है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अभी इसे लागू नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने यह पूछा है कि ऋण देने और बन्धक के बारे में विनियोग समिति ने कोई नियम बना लिये है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** विवरण में बताया जा चुका है कि किन शर्तों के अधीन ऋण दिये जायेंगे।

†**श्री तंगामणि :** विनियोग समिति के एक सदस्य ने पद त्याग किया और उस ने कई आरोप भी लगाये। अब बन्धक रख कर ऋण देने के बारे में एक नई योजना रखी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विनियोग समिति ने कोई प्रस्थापना पेश की है और क्या इस के अनुसार नियम बना लिये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या विनियोग समिति की सलाह ली गई थी या जो नियम बनाये गये हैं वे विनियोग समिति द्वारा अनुमोदित हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** विनियोग समिति को इस का ज्ञान है, और निश्चय ही उस के अनुमोदन से वे चीजें की गई हैं ?

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उपमंत्री ने कहा है कि इस योजना का दूसरे शहरों में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना का नागपुर, कानपुर, हैदराबाद आदि दूसरे बड़े शहरों में विस्तार न करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** निगम इसे पहले छोटे पैमाने पर चलाना और इसके परिणाम देखना चाहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विनियोग समिति के एक सदस्य, श्री सुब्बैया ने, जिन्होंने पद त्याग किया है, जीवन बीमा निगम की विनियोग नीति के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं और कहा है कि वहां कई ऐसे मामले हैं जो मून्दड़ा सौदे से भी बुरे हैं, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न होने पाये और विनियोग ठोस हो, क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : चूंकि एक व्यक्ति ने आरोप लगाये हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि यह सच है और इसके लिये तुरन्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये । माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें। इसके बारे में एक प्रश्न है और मैं उसका तथा यदि आवश्यक हुआ तो उसके पत्र का भी उत्तर दूंगा।

---

†**श्री रघुनाथ सिंह**: प्रश्न संख्या ७९४ का महत्व है। हमने नोटिस दिया है कि इसे लिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: नोटिस प्राप्त नहीं हुआ ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैंने भेजा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है, किन्तु यदि वह यह चाहते हैं कि उसका उत्तर दिया जाये तो उन्हें जल्दी नोटिस भेजना चाहिये था । यदि हम प्रश्नों का घंटा समाप्त होने के बाद मंत्री से प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहें, तो उनकी सहमति आवश्यक है । परन्तु जहां तक प्रश्नों के घंटे का संबंध है, मैं समय पूरा होने से पांच मिनट पहले सभा की सहमति से किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिये जाने की अनुमति दे सकता हूं ।

माननीय सदस्य प्रश्नों का घंटा समाप्त होने के पश्चात् इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने के लिये कह रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जी, नहीं, पांच मिनट पूर्व मैंने नोटिस दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कहा गया है :

"हम प्रार्थना करते हैं कि प्रश्न संख्या ७९४ को प्रश्नों का घंटा पूरा होने के पश्चात् लिया जाय ।"

यह माननीय मंत्री पर छोड़ा जाता है, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : मुझे उत्तर देने में कोई ऐतराज नहीं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वह तैयार हैं ।

'लिंक' पत्रिका का क्रय

†७७४. **श्री आसर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 'लिंक पत्रिका' की चार हजार प्रतियां खरीदती है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) प्रतिरक्षा विभाग के लिये पत्रिका चुनने की क्या कसौटी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इतनी बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा और कौन सी पत्रिका या समाचार-पत्र खरीदे जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये कोई पत्रिकायें नहीं चुनी जातीं । समय समय पर पत्रिकाओं की सूची सेना शिक्षा कार्यालय द्वारा यूनिट कमांडरों को भेजी जाती हैं । उनमें से वे अपने विवेक के अनुसार चुनने के लिये स्वतंत्र हैं ।

(घ) कोई नहीं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जब विभिन्न समाचार पत्रों को भूमि आवंटित की गई थी, यह केवल उन को दी गई थी जिनके पास अपने छापेखाने थे । मैं जानना चाहता हूं कि भूमि "लिंक" को क्यों आवंटित की गई थी, क्योंकि उसके पास छापाखाना नहीं था ?

†**श्री रंगा** : इसका यहां बड़ा संबंध है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसका परिचालन से कोई संबंध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री ने प्रश्न समझ लिया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने दिल्ली में भूमि का प्रशासन नहीं संभाल रखा है ।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार पत्रिकायें नहीं खरीदती और सेना शिक्षा अधिकारी खरीदने के लिये स्वतंत्र हैं । क्या सरकार और सरकार के अधिकारियों के बीच ऐसा कोई अन्तर है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरे उत्तर के बारे में कुछ गलतफहमी है । मैंने यह कहा था कि सरकार नहीं खरीदती और न ही हम उन लोगों को खरीदने के लिये प्राधिकृत करते हैं । सेना की यूनिटों को साहित्य खरीदने के लिये कुछ अनुदान दिये जाते हैं । सेना के बारे में, मेरे टिप्पणों में कहा गया है, राशि बताई नहीं जाती, क्योंकि वह अनुपातानुसार होती है और यदि मैं जानकारी दे दूं तो उससे सेना की संख्या मालूम हो जायेगी । राशि का प्रयोग यूनिटों द्वारा किया जाता है और उनकी अपनी निजी विधि का भी प्रयोग किया जाता है । सरकार तो केवल पत्रिकाओं की सूची समय पर परिचालित करती है । उनका अपना विवेक होता है और हम इन पत्रिकाओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते और मैं यह नहीं देखता कि कौनसी सूचियां जाती हैं । यह सेना शिक्षा अधिकारी का काम है ।

उत्तर को पूर्ण करने के लिये मैं यह भी कहूंगा कि यह कहना सच नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय उनको नहीं खरीदता । यहां तीन प्रतियां आती हैं, एक सशस्त्र सेना के सूचना अधिकारी के लिये, दूसरी प्रतिरक्षा पुस्तकालय के लिये और तीसरी सशस्त्र सेना मुख्यालय के आयोग के लिये केन्द्रीय प्रशासनिक संगठन के लिये ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिचालित सूची में 'लिंक' और 'पीपल्स एज' सम्मिलित हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे मालूम नहीं । इस सूची पर प्रतिबन्ध लगान की सरकारी प्रथा नहीं है । यह सेना शिक्षा अधिकारी का काम है । जब तक कि यह कार्य मंत्रालय या हमारे गुप्त सूचना विभाग से, राजनीतिक, कारण से कोई प्रतिबन्ध न लगाया गया हो, हम हस्तक्षेप नहीं करते । हम अपनी सेनाओं को संसार में होने वाली बातों से परिचित रखना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भविष्य के लिये यह नियम बन रहा है कि यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं है, तो उसका प्रश्न पूछा जा सकता है और संबद्ध मंत्री उत्तर दे सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या को पता है कि जब कोई सदस्य अनुपस्थित होता है, तो मैं प्रश्न पूछने के लिये नहीं कहता, किन्तु यदि कोई प्रश्न महत्वपूर्ण होता है और सदस्य उपस्थित नहीं होता, प्रश्नों की समाप्ति पर यदि समय होता है तो हम इसके उत्तर की अनुमति देते हैं। यहां यह भी बात नहीं। इस प्रश्न में माननीय सदस्यों को दिलचस्पी है और माननीय मंत्री इसका उत्तर देने को तैयार हैं। तथापि चाहे यह पूछा गया या नहीं, उत्तर छापे जायेंगे और प्रचलित किये जायेंगे। इसलिये मैं केवल कुछ और अनुपूरक पूछने की अनुमति दे रहा हूं और चूंकि मंत्री उत्तर देने को तैयार थे, मैंने प्रश्न पूछने के लिये कह दिया, अन्यथा नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आपने पहले इसे अनियमित ठहराया था। ऐसा कभी नहीं किया गया इसलिये हम यह जानना चाहते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं। यदि माननीय मंत्री तैयार हों तो मुझे कोई ऐतराज नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमारे नियमों के अनुसार कोई प्रश्न अन्त में भी मौखिक उत्तर के लिये तभी रखा जा सकता है, जब सदस्य ने किसी अन्य सदस्य को अधिकार दे दिया हो, अन्यथा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी बात नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : नियमों के अनुसार, जिस सदस्य ने प्रश्न रखा है, यदि वह पूछने का अधिकार दे देता है, तो वह पूछा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों के घंटे में यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूं कि क्या उसके पास अधिकार है, और मैं यह तभी करता हूं जब सब प्रश्न समाप्त हो चुकते हैं। किन्तु यदि प्रश्नों का समय पूरा हो चुका है तो माननीय मंत्री यदि चाहें, तो सूची में सम्मिलित किसी प्रश्न के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं, ताकि वह होने वाले किसी सन्देह को दूर करने की दृष्टि से, सरकार की स्थिति की पूरी तरह व्याख्या कर सके। प्रश्न के घंटे के उपरांत, इस सरकारी समय में मंत्री इस मामले के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं। अतः जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने वक्तव्य दिया। यदि कोई सदस्य चाहता है और मंत्री उसका उत्तर देने को तैयार हों तो मुझे उसकी अनुमति देने में कोई एतराज नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में आवारा बच्चे

†*७९९. { **श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सम्मेलन में समाज सुधार विभाग तथा पुलिस के पदाधिकारियों ने दिल्ली के सभी आवारा बच्चों को पकड़ लेने का निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी तक कितने बच्चों को पकड़ लिया है ;

(ग) क्या उन्हें नये 'रिमांड होम' में रखा गया है ; और

(घ) उन्हें इलाज तथा प्रशिक्षण के लिये बाल सदन में कब तक भेजा जायेगा ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) इस प्रकार का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। पर पुलिस पदाधिकारी उपयुक्त मामलों में बम्बई बाल अधिनियम, १९२४ के उपबन्धों के अधीन, जो कि दिल्ली पर भी लागू होता है, इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं।

(ख) १९५९ में १६५६ आवारा बच्चों को हिरासत में लिया गया था।

(ग) ऐसे बच्चों को 'रिमांड होम' में भेज दिया जाता है जिनका न्यायालय के मतानुसार कार्यवाही चलने के दौरान में अपने माता पिता अथवा अभिभावकों के पास रहना उचित नहीं होता।

(घ) उपयुक्त मामलों में न्यायालय के आदेश से उपयुक्त बच्चों को बाल सदन में भेज दिया जाता है।

लागोस आर्थिक मिशन

†*८०१. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार नाइजेरिया की फेडरल राजधानी लागोस में एक आर्थिक मिशन स्थापित करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग). जी, नहीं। नाइजेरिया तथा घाना में भारतीय वाणिज्यिक हितों की देख भाल करने के संबंध में लागोस स्थित भारतीय आयोग में ही एक वाणिज्यिक सेक्शन स्थापित करने के बारे में निर्णय किया गया है।

कृत्रिम वर्षा

†८०२. श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम वर्षा करने के बारे में किये गये प्रयोगों के कोई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). किसी खास नतीजे पर पहुंचने के लिये अभी बहुत जल्दी है। दिल्ली के अलावा आगरा और जयपुर में भी प्रयोग करने का इरादा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पोलैंड से उधार

†*८०३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हेम बरूआ :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौलैंड सरकार ने भारत को तृतीय पंच वर्षीय योजना की विभिन्न प्रस्थापित परियोजनाओं के लिये आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं को पौलैंड से खरीदने के लिये १५ करोड़ रुपयों का उधार मंजूर किया है ;

(ख) उस उधार का रूप क्या होगा और उसकी क्या क्या शर्तें होंगी ; और

(ग) उससे क्या क्या वस्तुयें खरीदी जायेंगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). पौलैंड की सरकार ने भारत को तृतीय पंच वर्षीय योजना की विभिन्न परियोजनाओं के लिये आवश्यक उपकरणों को पोलैंड से खरीदने और पोलैंड में निर्मित पूरे औद्योगिक संयंत्रों को खरीदने के लिये १५ करोड़ रुपयों का उधार देने का प्रस्ताव किया है। उसकी शर्तों तथा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के संबंध में अभी फैसला नहीं किया गया है।

इस्पात के डलों का निर्यात

†*८०४. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई के इस्पात के डलों के निर्यात के लिये कोई टेंडर मांगे हैं ;

(ख) क्या इसका निर्यात करने से पहले देश की पुनर्बेलन मिलों की इसकी सम्पूर्ण मांग को पूरा कर लिया जायेगा ; और

(ग) सक्षम पुनर्बेलन मिलों की दूसरी तथा तीसरी पारी में भी काम चलाने के संबंध में क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं। परन्तु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड सरकार की अनुमति के अनुसार इसका निर्यात कर सकता है।

(ख) और (ग). देश के लिये जिस भी इस्पात की आवश्कता है यह भले ही कच्चे रूप में हो या तैयार रूप में हो, उसे देश से बाहिर नहीं भेजा जायेगा। केवल अतिरिक्त इस्पात के ही निर्यात के लिये अनुमति दी जायेगी।

इस्पात के कारखानों को घटिया दर्जे के कोयले का संभरण

†*८०५. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में इस्पात के कारखानों को ऐसे घटिया दर्जे के कोयले का संभरण किया गया है जिसमें भस्म का अंश अधिक है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष के मध्य से सभी इस्पात के कारखानों को घटिया दर्जे का कोयला संभरित किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार इसकी रोक थाम के संबंध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ङ) क्या सरकार ने कोयला धोने वाले कारखानों में बचे हुये मध्यम प्रकार के कोयले तथा अवशेष चूरा कोयले का उपयोग करने के संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). जब तक कोयला धोने के नये कारखाने तैयार नहीं हो जाते, तब तक इस्पात कारखानों में अशोधित कोयले को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ।

(ग) बढ़िया किस्म के कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में यत्न किये जा रहे हैं।

(ङ) जी, हां । कोयला धोने वाले कारखाने सामान्यतया मध्यम आकार के कोयले के इस्तेमाल के लिये इसे तापीय विद्युत् कारखानों में भेज देते हैं। कोयले के चूरे को इंटें बनाने के काम में लाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*८०६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री संगण्णा :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ मार्च, १९६० से रूरकेला इस्पात कारखाने के ३०,००० मजदूरों को छंटनी में निकाल दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्य स्थानों पर काम में लगा लेने के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). ऐसा अनुमान है कि मार्च, १९६१ तक रूरकेला का निर्माण कार्य अधिकांश सीमा तक पूरा हो जायेगा । अब से उस समय तक लगभग ३०,००० मजदूरों को फालतू घोषित कर दिया जायेगा। उनमें से कुछ एक मजदूरों को इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम में लगा दिया जायेगा और कुछ एक को उस क्षेत्र के सहायक उद्योगों में लगा दिया जायेगा ।

नर्मदा नदी के तट पर भूतत्वीय महत्व के अवशेष

†*८०७. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नर्मदा नदी के तट पर सिंधु घाटी की सभ्यता के बहुत से ऐतिहासिक तथा प्राचीन शिलालेख और अवशेष असुरक्षित पड़े हुये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान

†*८०८. श्री सै० अ० मेहदी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री म० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान अभी तक अवैतनिक रूप से काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो वे कब से वेतन प्राप्त कर रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) १ मार्च, १९५९ से ।

हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्तियां

†*८०९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जरूरतमन्द छात्रों को शीघ्रता से छात्रवृत्तियां देने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). पंजाब के महालेखापाल तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन से परामर्श लेने के बाद कुछ एक योजनायें तैयार की गयी हैं जिन पर इस समय वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात कारखानों में लागत

†*८१०. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अमजद अली :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन पर आने वाली लागत के संबंध में पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधनमंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों सम्बन्धी सामग्री

†*८११. श्री प्र० के० देव :
श्री सुविमन घोष :
श्री द्वा० रा० चावन :
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आजाद हिन्द फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोष के राजनीतिक कार्यों के संबंध में सामग्री इकट्ठी करने के संबंध में कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास इस संबंध में पहले से ही कुछ सामग्री थी । वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने भी "स्वतंत्रत आंदोलन का इतिहास" लिखने के लिये आजाद हिन्द फौज और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कार्यों के संबंध में कुछ बहुमूल्य सामग्री इकट्ठी की है। हाल ही में की गयी सार्वजनिक अपील के परिणाम स्वरूप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अधीन प्रकाशित कुछ पुरानी पुस्तिकायें तथा कुछ फोटों भी प्राप्त हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाधियों का प्रयोग

†*८१२. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी कागजात में उपाधियों के प्रयोग की अनुमति न दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध भूतपूर्व राजाओं पर भी लागू होगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). जी, हां। परन्तु यह प्रतिबन्ध निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होता :—

(१) राष्ट्रपति द्वारा जिन व्यक्तियों को भारतीय रियासतों के राजाओं के रूप में स्वीकार किया गया है;

(२) वे व्यक्ति जिन्हें आयु भर के लिये पैदक रूप से उपाधियां प्राप्त हैं; और

(३) वीरता के कार्यों से प्रसन्न होकर सैनिक कर्मचारियों को दी गयी उपाधियां।

भिलाई के टेक्निशियनों का रूस में प्रशिक्षण

†*८१३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भिलाई इस्पात कारखानें के जिन टैक्निशियनों को चुना गया था, उन्हें वहां भेज दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) रूस सरकार के साथ किये गये करार की शर्तों के अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ६८६ इंजीनियरों/आपरेटरों को रूस भेजना था। उसमें केवल २४ इंजीनियर अभी तक नहीं भेजे जा सके हैं और आशा है कि उन्हें भी अगले महीने प्रशिक्षण के लिये वहां भेज दिया जायेगा।

(ख) प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम रूसी विशेषज्ञों के परामर्श से इस तरह बनाया गया है ताकि परियोजना की प्रावस्था अनुसार आवश्यकतायें पूरी की जा सकें। इस दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेजने के कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

आसाम में तेल के निक्षेप

†*८१४. श्री हेम बरूआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के नाहार काटिया-मोरान क्षेत्र के तेल निक्षेपों के सम्बन्ध में आधुनिकतम प्राक्कलन क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस क्षेत्र में अभी तक कितने कुएं खोदे गये हैं और उनमें से कितने कुएं सफल सिद्ध हुए हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कोई गैस उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी कितनी मात्रा अभी तक प्रमाणित हो सकी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १०१ लाख टन देशित तथा २५, लाख टन सम्भव तेल निक्षेपों के अतिरिक्त २८५ लाख टन या १८५० लाख इम्पीरियल बैरल।

(ख) ३१ जनवरी, १९६० तक ६५ कुएं खोदे गये थे। इनमें से ४७ तेल के कुएं, ३ गैस के कुएं ९ सूखे हैं और ६ के सम्बन्ध में अन्तिम फैसला करने से पहले एक बार फिर परीक्षण किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) ४८,१०,००० लाख घन फुट सम्बद्ध तथा असम्बद्ध गैस।

तेल शोधक कारखानों के लिये पाइप लाइनें

†*८१५. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाहार काटिया के तेल क्षेत्रों तथा गोहाटी और बरौनी के दो तेल शोधक कारखानों के बीच पाइप लाइनें लगाने पर आने वाली लागत के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हो गये हैं:

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें मूल प्राक्कलन की तुलना में कुछ कमी दिखायी गयी है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) पहले प्राक्कलन के अनुसार नाहोर काटिया के तेलक्षेत्रों तथा गोहाटी और बरौनी के बीच लगाये जाने वाली पाइप लाइनों पर कुल ५४ करोड़ रुपयों के खर्च का अनुमान था। इस नये प्राक्कलन के अनुसार उस पर कुल ४४.६ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा।

पिछड़े हुये वर्गों के लिये स्वायतशासी केन्द्रीय बोर्ड

†*८१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री हेम राज :
श्री सिदय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े हुए वर्गों के लिये एक स्वायतशासी केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की योजना के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कलकत्ता में चांदी शोधक कारखाना

†*८१७. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोट के कारण होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में अनुमान लगा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). दिसम्बर, १९५८ में उस कारखाने में हुए विस्फोट के परिणामस्वरूप संयंत्र तथा मशीनरी को १८,९९५ रुपयों का नुकसान हुआ था।

भारत-पाक सीमा पर पुलिस तैनात करने के लिये पंजाब को अनुदान

†१०००. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि भारत-पाक सीमा पर पुलिस तैनात करने के लिये अतिरिक्त अनुदान दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह अनुदान मंजूर कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वारंगल में स्मारक

†१००१. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरातत्व विभाग के संरक्षण के अधीन वारंगल के टूटे हुए स्मारकों की प्रतिवर्ष मरम्मत कराती है; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों में कितने स्मारकों की मरम्मत करायी गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां। प्रत्येक स्मारक की आवश्यकता के अनुसार मरम्मत करायी जाती है।

(ख) १९५५–५६ में १
१९५६–५७ में ३
१९५७–५८ में ४
१९५८–५९ में २

पंजाब में आयकर पदाधिकारी

†१००२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में पंजाब में भ्रष्टाचार के अपराध में जिलावार कितने आयकर पदाधिकारी पकड़े गये थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५७–५८ में पंजाब के विभिन्न जिले से जिन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

१.	फिरोजपुर . . .	१
२.	पटियाला . . .	१
३.	चण्डीगढ़ . .	२

(ख) फिरोजपुर और पटियाला के दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है। चण्डीगढ़ के दोनों पदाधिकारी रिश्वत मांगने के अपराध में पुलिस द्वारा पकड़े गये थे, परन्तु बाद में उनका मामला समाप्त कर दिया गया और दोनों पदाधिकारियों को पुनः काम पर लगा दिया।

भारत प्रशासन सेवा पदाली के पदाधिकारियों की संख्या

†१००३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि भारत प्रशासन सेवा पदाली के पदाधिकारियों की वर्तमान संख्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने सभी राज्यों के भारत प्रशासन सेवा पदाली के पदाधिकारियों की संख्या तथा रचना का पुनर्विलोकन प्रारम्भ किया है और इसलिये सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे अपनी भारत प्रशासन सेवा पदालियों की जांच करें और राज्य पदालियों के पुनरीक्षण के प्रस्तावों में तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये अपनी अपनी मांगें सम्मिलित करें।

हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय

†१००४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अगाडी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय के लिये नयी इमारत का नक्शा तथा प्राक्कलन तैयार करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) भवन निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**। (क) और (ख). राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि वह उसके लिये नकशा तैयार करा कर भेज दे। वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ऐतिहासिक पाण्डुलिपि क्रय समिति

†१००५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५९ के बाद आज तक ऐतिहासिक पाण्डुलिपि समिति द्वारा कितने कागजात खरीदे गये हैं;

(ख) उनमें से कितनी पांडुलिपियां हैं;

(ग) वे किस किस भाषा में हैं;

(घ) क्या उन के स्पष्टीकरण के लिये कोई अलग विभाग खोला गया है;

(ङ) वे पाण्डुलिपियां किस किस सन् की मानी जाती हैं; और

(च) क्या आयुर्वेद या स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में भी कोई पुराने कागजात या पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) २९।

(ख) वे सभी पाण्डुलिपियां हैं।

(ग) २८ फारसी में और एक उर्दू में।

(घ) राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग स्वयं उनका स्पष्टीकरण करता है।

(ङ) उनका सम्बन्ध भारतीय इतिहास के वर्तमान युग से है।

(च) जी, नहीं। इस योजना का सम्बन्ध केवल ऐतिहासिक कागजातों तथा पाण्डुलिपियों से ही है।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय

१००६ { श्री भक्त दर्शन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री शि० ला० सक्सेना :
श्री खुशवक्त राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनरीक्षण समिति के विचाराधीन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रत्येक मामले का निर्णय करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिनियम ३० के अन्तर्गत भारत सरकार के महा-सालीसिटर ने जो मामले पुनरीक्षण समिति को भेजे थे उनके बारे में समिति ने अपनी सिफारिशें कार्यकारी समिति को दे दी हैं। ये सिफारिशें अभी कार्यकारी समिति के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शतरंज

†१००७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या शिक्षा मंत्री १४ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता के लिये अखिल भारतीय शतरंज संधान की प्रार्थना पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) संधान को अखिल भारतीय खेल परिषद् से मान्यता प्राप्त है।

वेस्टमिन्स्टर बैंक लन्दन में हैदराबाद की राशि

†१००८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या गृह-कार्य मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वेस्टमिन्स्टर बैंक लन्दन में भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के दस लाख स्टर्लिंग को वापिस लेने का मामला किस स्थिति में है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मामला उसी हालत में है जो १ दिसम्बर, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ७२० के उत्तर में बताई गई थी।

लखनऊ और केरल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के रहन-सहन की दशा

†१००९. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० च० सामन्त :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या शिक्षा मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और केरल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रहन सहन की दशा के अग्रिम सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लखनऊ और केरल विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और प्रतिवेदनों की पड़ताल की जा रही है। मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात् सर्वेक्षण ही प्रतिवेदन तैयार होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हटमेंटों का किराया

†१०१०. **श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्यालय के प्रमुख इंजीनियर के आदेशानुसार १९५५ में हटमेंटों का किराया २० प्रतिशत बढ़ा दिया गया था और किसी भी समय वहां के निवासियों को इस की सूचना नहीं दी गई और ४ वर्ष के पश्चात् १९५९ में वह रुपया लेखा अधिकारियों द्वारा वसूल किया गया था;

(ख) इस अत्यधिक विलम्ब और राज्य के राजस्व के हानि के लिये सरकार ने क्या कार्रवाही की है ;

(ग) कितने व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं और कितनी राशि इसमें अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) क्या इस सम्बी अवधि की बकाया राशि की वसूली के मामले में कर्मचारियों को कुछ राहत देने के लिये कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) उन व्यक्तियों से ऐसी बकाया राशि की जो गैर-प्रभावी हो गये हैं, वसूली करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उनमें कितने व्यक्ति और राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). असैनिक कर्मचारियों, जिन्हें प्रतिरक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों से वेतन मिलता है, को मिले हुए अस्थायी मकानों का किराया ३१ मार्च, १९५५ को जारी किये गये सरकारी आदेशानुसार १ अप्रैल, १९५५ से २० प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। साधारणतया सामान्य सरकारी आदेश के अनुसार किराया में किया गया परिवर्तन शोधित किराया बिलों के द्वारा मकान वालों को बतला दिया जाता है। कई कारणों से दिल्ली और राजस्थान में प्रभा वित व्यक्तियों को सरकारी आदेशानुसार शोधित किराया बिल तैयार करने में विलम्ब हो गया। १९५९ में विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये और लम्बित काम पूरा कर दिया गया।

(ग) कुल लगभग ४४१ व्यक्ति प्रभावित हैं। किराया बिलों के शोधन का बकाया काम पूर्ण हो जाने पर अन्तर्ग्रस्त राशि मालूम होगी।

(घ) मामला विचाराधीन है।

(ङ) तथा (च) सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली जहां कोई व्यक्ति जिससे किराया बकाया है, गैर प्रभावी हो गया है।

एम० ई० एस० द्वारा किराया निर्धारण

†१०११. **श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७–४८ से आजतक व्यक्तियों द्वारा एम० ई० एस० द्वारा किये गये किराया निर्धारण के कितने मामले, वर्षवार असैनिक न्यायालयों में ले जाए गए हैं;

(ख) क्या न्यायालयों ने निर्णय विभागों के पक्ष में दिया या व्यक्तियों के पक्ष में; और

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने गलत निर्धारण किया था और जिन्हें न्यायालय दण्ड नहीं दे सके, कोई कार्रवाई की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) दो, एक १९५३ और दूसरा १९५८ में।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक मामले में व्यक्ति के पक्ष में निर्णय हुआ है और दूसरा न्यायालय में ।

(ग) जी, नहीं ।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण सम्मेलन

†१०१२. **श्री गोरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नई दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण सम्मेलन हुआ था;

(ख) उस सम्मेलन में पेंशन दावों की पड़ताल के सम्बन्ध में सरकार से क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सम्मेलन ने पेंशन दावों की पड़ताल सम्बन्धी विलम्बों पर सामान्य रूप से विचार किया और कोई ठोस सिफारिश नहीं की । मामला मन्त्रालय द्वारा अग्रेतर विचार के लिये छोड़ दिया गया था ।

पोलैंड में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी

†१०१३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को इस वर्ष पोलैंड में होने वाली अन्तराष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी में सम्मिलित होने का निमन्त्रण मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या भाग लेने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि इस उद्देश्य के कुछ पदार्थ प्रदर्शन के लिय चुनने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डीजल तेल

†१०१४. **श्री प्र० के० देव**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० के वर्षों में अब तक कितने हाई स्पीड और लो स्पीड डीजल तेल का आयात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा का;

(ख) उनका देश में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था जीलगोरा में किये गये अनुसन्धान के फलस्वरूप कोल तार और तार के टुकड़ों से देश में वाणिज्यिक स्तर पर हाई स्पीड और लो स्पीड डीजल तेल तैयार कर ने का विचार किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इनके उत्पादन के निमित्त कारखाना स्थापित करने पर कितनी राशि लगेगी; और

(ङ) क्या सरकार से इनके उत्पादन के लिये लाइसेंस सम्बन्धी कोई प्रार्थना की गई है अथवा क्या सरकार इसे सरकारी क्षेत्र में तैयार करने का विचार करती है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) डीजल तेल के आयात सम्बन्धी सूचना पत्री वर्ष के अनुसार उपलब्ध है, वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं, और यह नीचे दी जाती है :—

	१९५८		१९५९	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु०)
हाई स्पीड डीजल	२१३,३४५	३४९.९७	१८१,४६२	३०१.४२
लो डीजल तेल/मिडिल डीजल तेल	१०९,६९८	१६१.७१	१३३,९८७	१९८.००
जोड़	३२३,०४३	५१०.६८	३१५,४४९	४९९.२४

(ख) हाई स्पीड डीजल तेल का प्रमुखतया तेज चलने वाले ओटोमेटिक इंजनों में प्रयोग होता है । अकेले सड़क परिवहन पर देश की हाई स्पीड डीजल तेल की कुल मात्रा का लगभग ७५ प्रतिशत खर्च होता है । लाईट डीजल तेल का प्रमुखतया कम गति से चलने वाले स्टेशनरी इंजनों में प्रयोग होता है और यह अधिकतर बिजली तैयार करने वाले विद्युत् घरों में खर्च होता है ।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था डीजल गोरा (धनबाद) कम टैम्परेचर वाले तार के 'डी हाइड्रोजनेशन' द्वारा डीजल तैयार करने में अनुसन्धान कर रहा है । उन्होंने विधाएं बना ली है और उनका छोटे उत्पादन के लिये अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग किया है । जो परिणाम निकले हैं उनके आधार पर उन्होंने मध्यम क्षमता वाले प्रयोगशाला मशीनरी के लिये उपकरण के प्रारम्भिक प्रारूप के साथ एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है । वे अग्रेतर प्रयोगों के लिये अपनी प्रयोगशाला में एक कारखाना लगा रहे हैं । इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि वाणिज्यिक आधार पर ऐसा संयंत्र लगाने पर कितनी राशि की आवश्यकता होगी ।

(ङ) अभी तक सरकार को कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । उपरोक्त (ग) तथा (घ) के उत्तर की दृष्टि से, इस समय सरकार यह विचार नहीं कर सकती कि आया तार से डीजल तेल सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में तैयार किया जाएगा ।

प्रतिरक्षा कैंटीन कर्मचारियों के वेतन

†१०१५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों की विभाग द्वारा चलाई गई कैंटीनों के कर्मचारियों को उन प्रतिष्ठानों के अकुशल कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके वेतन बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कैंटीनों के कर्मचारियों को कैंटीन निधि से वेतन मिलता है। उनके वेतन प्रत्येक यूनिट में भिन्न हैं किन्तु साधारणतया अकुशल कर्मचारियों के वेतन से कम होते हैं। तथापि उनको साधारणतया मुफ्त खाना, चाय और आहार दिय जाते हैं।

(ख) वेतन आयोग ने इस मामले में कुछ सिफारिशें की हैं और सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

१२४. इन्फैन्टरी बटालियन के कमांडिंग आफिसर

†१०१६. **श्री वाजपेयी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२४ इन्फैंटरी, बलाटियन, टैरीटोरियल आर्मी, नई दिल्ली के कमांडिंग आफिसर के विरुद्ध तंग करने और दुर्व्यवहार करने की शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). शिकायतें निराधार पाई गईं ।

बंजर भूमि का उपयोग

†१०१७. **श्री पांगरकर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पर बेकार पड़ी बंजर भूमि के उपयोग करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सम्भवत: प्रश्न उन भूमियों से सम्बन्धित है जिन पर सैनिक फार्मों में खेती की गई है। जैसा कि २६ नवम्बर, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ५३१ के उत्तर में बताया गया था, सैनिक फार्मों में १९४८–४९ से पूर्व की तूलना में १९५८ में खेती बाड़ी वाला क्षेत्र दुगना हो गया है। यह रिपोर्ट मिली है कि मेरठ, गाजियाबाद और 'वाई' स्टेशन पर फालतू सैनिक भूमि पर खेती के लिये मँजूर योजनाओं के अन्तर्गत अब तक १५६ एकड़ भूमि पर खेती की गई है । नवम्बर, १९५९ से लेकर, और कोई बेकार पड़ी भूमि पर खेती नहीं की गई क्योंकि फसली मौसम के बीच में उन पर खेती नहीं की जा सकती ।

इसके अतिरिक्त तीनों कमाण्डों में विभिन्न स्थानों पर चारा, अनाज और सब्जियों के उत्पादन के लिये वर्तमान सैनिक फार्मों की भूमियों पर गहन खेती की योजनायें तथा खमारिया (जबलपुर के समीप), फैजाबाद (मांझालैण्ड) शाहजहानपुर छावनी और शाहजहानपुर रोड़ और रीमोंट डीपो सहारनपुर के समीप अस्थायी रूप से फालतू सैनिक भूमि पर सैनिक फार्म विभाग द्वारा खेती की योजनायें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं ।

जम्मू और काश्मीर में सड़कें और पुल

†१०१८. **श्री पांगरकर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली वर्षा ऋतु में भारी बाढ़ों के समय जम्मू और काश्मीर में सशस्त्र सेनाओं ने कितने पुल और कितने मील लम्बी सड़कें तैयार कीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : बाढ़ों से जो पुल बह गए थे उनके स्थान पर सेना ने १२ नये पुल बनाये । उन्होंने छ पुलों की मरम्मत की जो खराब हो गए थे । उन्होंने कोई नई सड़क नहीं बनाई किन्तु बहुत सी सड़कों की मरम्मत की और कई भूभ्रंशों तथा सड़कों पर जमा माल को भी साफ किया ।

तम्बाकू उद्योग के लिये कोयले का यातायात

†१०१९. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तम्बाकू उद्योग के आयोग के लिये कोयला लेजाने के लिये रेलवे यातायात की अपर्याप्त असुविधाओं के बारे में तम्बाकू व्यापारियों के अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : कोयला तम्बाकू सुखाने के उद्योग को संगरैनी और मध्य प्रदेश की कोयला खानों से भेजा जाता है । प्रत्येक वर्ष के अगस्त से फरवरी तक सुखाने के मौसम में बहुत हद तक कोयला भेजने में बाधा पड़ती है । नवम्बर, १९५९ में यह रिपोर्ट मिली थी कि उद्योग को कोयला सन्तोषजनक मात्रा में नहीं भेजा गया । कमी का मुख्य कारण उप भोक्ताओं द्वारा कार्यक्रमों का देरी से प्रस्तुत किया जाना और सिंगरैनी से कोयला का न मिलना है न कि यातायात का अपर्याप्त होना । तब कोयला नियन्त्रक ने १९५९ के पश्चात् सिंगरैनी से पूरा कोटा भेजने का प्रबन्ध किया । साथ ही साथ मध्य प्रदेश की खानों से भी कोयला तेजी से भेजा जाता रहा । इन उपायों के परिणामस्वरूप, सुखाने के मौसम में कोयला सन्तोषजनक मात्रा में भेजा जाने लगा । फरवरी १८, १९६० तक, इस मौसम में १३७,६४० टन कोयला भेजा गया जबकि अगस्त १९५८ से फरवरी १९५९ तक के पिछले मौसम में १३८,८५० टन भेजा गया था :

पल्लव चित्रकारी

†१०२०. **श्री नरसिंहन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ७ वीं शताब्दी ईसवी से पल्लव चित्रकारी के लिये कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन चित्रकारियों को सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त पग उठाये हैं;

(ग) क्या इन सब स्थान का रक्षण किया गया है;

(घ) क्या अभी कोई स्थान अभी तक आरक्षित है; और

(ङ) इन चित्रकारियों के रक्षण के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क)

(१) पहले और दूसरे चट्टान काट कर बनाये गये पल्लव गुफा मन्दिर, ममांदूर, उत्तर अर्काट जिला, मद्रास ।

(२) कैलाशनाथ मन्दिर, कांचीपुरम्, चिंगलपूत जिला, मद्रास

(३) जैवा चट्टान काट कर बनाये गये गुफा मन्दिर, सीतलावासल, त्रिचुरापल्ली जिला, मद्रास ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) चट्टान काट कर बनाया गया शिव गुफा मन्दिर, वारानाचिमालाई, तिरुमलापुरम्, तिरुनलवली जिला, मद्रास ।

(५) चट्टान काट कर बनाया गया गुफा मन्दिर, तिरुमंडिकारा कन्या कुमारी जिला, मद्रास ।

(६) तालगिरीश्वर या तालपुरीश्वर मन्दिर, पानामलाई, दक्षिण अर्काट जिला, मद्रास ।

(ख) जी, हां, जहां तक रक्षित चित्रकारियों का संबंध है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) चित्रकारियों के रासायनिक रक्षण पर १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में १४६ रुपये ।

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषायें

१०२१. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विदेशों के कितने विश्वविद्यालयों में हिन्दी, संस्कृत, तमिल, बंगला, गुजराती और मराठी आदि भारतीय भाषायें पढ़ाई जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): सहज प्राप्त सूचना के आधार पर एक बिवरण संलग्न है ।

विवरण

इस मन्त्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, यू० के० (इंग्लैण्ड) यू० एस० ए० (अमरीका) और फ्रांस में निम्नलिखित कुछ संस्थाएं भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिये सुविधाएं प्रदान करती हैं :—

यूनाइटेड किंगडम (इंगलैंड) :

१. स्कूल आफ ओरियन्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज लंदन यूनिवर्सिटी लन्दन ।	बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, मलयालम, मराठी संस्कृत, तमिल, तेलगू, उर्दू ।
२. आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आक्सफोर्ड . . .	संस्कृत
३. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग . . .	संस्कृत

यू० एस० ए० (अमरीका)

१. हरवर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज मैसेच्यूटेस . . .	संस्कृत
२. साउथ एशिया रीजनल स्टडीज, यूनिवर्सिटी आफ पेनसिलवेनिया फिलाडेल्फिया ।	हिन्दी, संस्कृत
३. स्कूल आफ फारिन सर्विस, जार्जटाउन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन-१७	हिन्दी, संस्कृत
४. यूनिवर्सिटी आफ केलिफोर्निया, वर्कले, केलिफोर्निया .	संस्कृत
५. प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी, प्रिन्सटन, न्यू जर्सी . . .	संस्कृत

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांस

१. इंस्टीट्यूट डि सिविलीजेशन, आदिएन (Indienne) यूनिवर्सिटी डि पेरिस, आ ला सोरबों, पेरिस। — भारतीय सभ्यता जिसमें संस्कृत भी शामिल है।

डाकुओं को शस्त्र बेचना

†१०२२. **श्री आसर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६० में प्रतिरक्षा कर्मचारियों को डाकुओं को शस्त्र बेच के शक में जबलपुर में गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जबलपुर में एक सैनिक प्रतिष्ठान में पिस्तौल रिवाल्वर गुम हो गया था और एक डाकू पुलिस अधिकारियों को सूचना दिये जाने पर, वह रिवाल्वर एक लोहार से वसूल हुआ जो प्रतिरक्षा कर्मचारी नहीं था। लोहार गिरफ्तार किया गया था और शुनवाई पर्यन्त जमानत पर है। इस मामले की जांच के दौरान उसी प्रतिष्ठान के एक असैनिक कर्मचारी को १४ दिसंबर, १९५९ को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस, प्रश्न पर कि आया भारत सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिये, पुलिस जांच और तदनुसार न्यायालय की कार्रवाई के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

त्रिपुरा में औद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†१०२३. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम पूरा होने की सम्भावना है; और

(ख) त्रिपुरा के प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण और त्रिपुरा प्रशासन के पुनर्गठन में क्या सम्बन्ध है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) अप्रैल १९६० के अन्त तक।

(ख) प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य खनन क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिये योजना बनाने में प्रशासन को सहायता पहुंचाना है जबकि प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का उद्देश्य कुशलता से कार्य निपटारा करने के दृष्टिकोण से इसे युक्तिसंगत बनाना है। दोनों में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

त्रिपुरा में पुलिस कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

†१०२४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में कुछ विवाहित अपर सुबौरडिनेटों और लोअर सुबौरडिनेटों के लिये निवास स्थान की अभी तक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उनके निवास स्थान का प्रबन्धक कब किया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) तथा (ख). त्रिपुरा पुलिस में अपर लोअर और सुबौरडिनेटों का कोई वर्गीकरण नहीं है। पुलिस के कुछ विवाहित कर्मचारियों को अभी तक मुफ्त निवास स्थान नहीं दिया गया है। तथापि उनको नियमाधीन मकान भत्ता दिया जाता है। शीघ्रता पूर्वक अधिक मकान बनाने के लिये कार्रवाई की गई है।

केन्द्रीय नष्ट-प्रायः पशु-पक्षी अध्ययन सम्बन्धी संस्था[1]

†१०२५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय नष्ट-प्रायः पशु-पक्षी अध्ययन सम्बन्धी संस्था स्थापित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) भारतीय प्राणकीय सर्वेक्षण विभाग ने नष्ट-प्रायः पशु-पक्षियों संबन्धी अध्ययन के लिये एक विभाग खोलने की योजना बनाई है। इस पर विचार किया जा रहा है और अभी कोई निर्णय नहीं किया गया।

(ख) प्राणकीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कलकत्ता में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह खोला जाएगा, यदि यह योजना सफलीभूत हुई।

हिन्दुस्तान तालीमी संघ का डिप्लोमा

१०२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हिन्दुस्तान तालीमी संघ,सेवाग्राम वर्धा द्वारा दिये जाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण के डिप्लोमा को मान्यता दे दी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): जी, हां।

भंगड़ा नृत्य

†१०२७ **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने भंगड़ा नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिये १९५८–५९ और १९५९–६० में वित्तीय अनुदान दिये हैं; और

(ख) यदि हां, दो कितनी रकम दी गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Paleontology Institute

ब्रिटेन के विशेषज्ञों पर कर

†१०२८. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स में ब्रिटेन के व्यापार मण्डल के भूतपूर्व अध्यक्ष (लार्ड चैन्डोज़) के २० जनवरी, १९६० के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत में ब्रिटेन से विशेषज्ञ कराधान की उच्च दरों के कारण यहां नहीं आना चाहते; और

(ख) क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार को पता है कि लार्ड चैन्डोज़ ने २० जनवरी, १९६० को दिल्ली स्कूल ऑफ इकानामिक्स में एक भाषण दिया था परन्तु उस भाषण की सरकारी प्रति उपलब्ध नहीं है। भाषण की गैर-सरकारी प्रति से ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वे ऐसा महसूस करते हैं कि ब्रिटेन वासी भारत में उच्च कराधान के कारण भारत नहीं आना चाहते।

(ख) सरकार का यह विचार है कि लॉर्ड चैन्डोज़ द्वारा व्यक्त किये गये विचार उचित नहीं हैं।

राज्यों को शिक्षण अनुदान

†१०२९. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने शिक्षा सम्बन्धी अपनी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन मांगा है;

(ख) क्या इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या फैसला किया है;

(घ) फरवरी, १९६० में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में और किन मामलों पर विचार किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बोर्ड की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अन्य मामलों पर विचार किया गया :

(१) राष्ट्रीय सेवा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन।

(२) धार्मिक और नैतिक शिक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन।

(३) अनिवार्य रूप से अंग्रेजी के साथ और बगैर अंग्रेजी के हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षार्थियों की परीक्षा—दो प्रकार की सार्वजनिक परीक्षाओं की वांछनीयता (जिसका सुझाव राजस्थान सरकार ने दिया था)।

(४) हायर सेकेंडरी सेक्शन में आठवीं कक्षा को मिलाना और पाठ्यक्रम को चार वर्ष का बनाना (जिसका सुझाव राजस्थान सरकार ने दिया था)।

(५) परीक्षा-पद्धति में सुधार करने के लिये राज्य मूल्यांकन यूनिटों की स्थापना (सेकेंडरी शिक्षा में विकास कार्यक्रमों के निदेशक द्वारा सुझाव दिया गया)।

(६) प्रत्येक सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था करना और इस कार्य के लिये पर्याप्त संख्या में अर्ह और प्रशिक्षित विज्ञान अध्यापक तैयार करना (इसका सुझाव सेकेंडरी शिक्षा में विकास कार्यक्रमों के निदेशक द्वारा दिया गया था।)

(७) ग्राम्य उच्च संस्थायें (इसका सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था)।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या पर भी विचार किया।

पंजाब में सांस्कृतिक केन्द्र

†१०३०. { श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को सांस्कृतिक-केन्द्र बनाने के लिये अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ख) ये केन्द्र जिले-वार कहां पर स्थित हैं; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र में कितना धन खर्च किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). यदि यह निर्देश ग्राम्य क्षेत्रों में खुले थियेटरों के निर्माण के बारे में है, तो पंजाब सरकार ने बताया है कि स्थापित किये जाने वाले पांच केन्द्रों में से जालन्धर जिले में नौरा गांव में केवल एक केन्द्र स्थापित किया गया है। इस कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई धन नहीं दिया गया है।

पंजाब में स्कूलों के छात्रावास

†१०३१. { श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को स्कूलों के छात्रावास बनाने के लिये १९५९-६० में अब तक कोई ऋण मंजूर किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था के लिये कुल कितना धन मंजूर किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी, हां। मालवा ट्रेनिंग कालिज, लुधियाना के लिये एक छात्रावास बनाने के लिये पंजाब सरकार को ३०,००० रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

†१०३२. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को १९५९–६० में अब तक कोई सहायता दी गयी है; और

(ख) उसी अवधि में कितने परिवारों को और कितना धन दिया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) तीन राजनीतिक पीड़ितों को १,६०० रुपये की एक धनराशि दी गयी।

अफीम का तस्कर व्यापार

†१०३३. श्री दलजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में अब तक अफीम के तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी अफ़ीम पकड़ी गयी; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में (८ फरवरी, १९६० तक) क्रमशः ६०४२ और ३५९९ मामले पकड़े गये।

(ख) इन अवधियों में बरामद की गयी अफ़ीम की मात्रा १६४ मन १ सेर ७३ तोला और ११० मन २० सेर ७९ तोला है।

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा की गयी मुख्य कार्यवाहियों में से कुछ निम्न प्रकार हैं :

(१) अधिक नियन्त्रण रखने की दृष्टि से समीप के क्षेत्रों में पोस्ते की खेती को सीमित करना।

(२) लाइसेंस देने के सिद्धान्तों की प्रक्रिया द्वारा गैर-उत्पादक क्षेत्रों और अनुचित उत्पादकों को समाप्त करना।

(३) लाइसेंस के सिद्धान्तों के अधीन उत्पादक की पात्रता पर निर्णय करने के लिये उसके द्वारा अपेक्षित औसत उत्पादन में प्रति वर्ष शनैः शनैः वृद्धि करना।

(४) उत्पादन क्षेत्रों में निरोधात्मक कर्मचारियों में वृद्धि।

(५) राज्य के उत्पादन-शुल्क विभाग और पुलिस की सहायता से मादक द्रव्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण अड्डों पर सड़क से आने-जाने वालों की जांच करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) हवाई अड्डों, डाकखानों और रेलवे में उपचारात्मक उपायों को दृढ़ करना।

(७) १—४—१९५९ से अफीम की प्राइवेट दुकानों को समाप्त करना।

(८) मादक द्रव्य जानकारी विभाग द्वारा तस्कर-व्यापार निरोधी सब-एजेंन्सियों के प्रयत्नों को एकीकृत करना।

(९) एक दूसरे को जानकारी देने और स्थिति सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये वर्तमान तस्कर व्यापार निरोधी बलों का पुनर्समायोजन करने के विचार से भारत में तस्कर व्यापार-विरोधी एजेंसियों की जोनल आधार पर सामयिक बैठक करना।

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय

†१०३४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो वर्षों से जब से यह कार्यालय बना है, सरकार के प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में पंजीयन के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) वे रचनाएं किस श्रेणी की हैं जिनके लिये प्रतिलिप्यधिकार के आवेदन-प्राप्त हुए हैं; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र रद्द किये गये और कितने मंजूर किये गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) ७०० (२१ जनवरी, १९६० तक)।

(ख) साहित्यिक . . .६३१
कलात्मक . . . ६५
सिनेमा की फिल्में . . . ४

(ग) २१ जनवरी, १९६० तक ५४८ रचनाओं का (साहित्यिक—५००, कलात्मक—४७, और सिनेमा फिल्म—१) प्रतिलिप्यधिकार पंजीबद्ध किया गया। बाकी १९२ आवेदन-पत्रों में कुछ औपचारिकतायें पूरी होनी बाकी हैं।

विदेशी मुद्रा

†१०३५. **श्री त्रिविव कुमार चौधरी :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में उन समवायों के क्या नाम हैं जिन्होंने वर्ष १९५९ में और इस वर्ष अब तक अमरीका के आयात-निर्यात बैंक और भारत के औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम से ऋण के रूप में अन्य किसी प्रकार विदेशी मुद्रा की सहायता प्राप्त की है और प्रत्येक को कितना धन दिया गया है ; और

(ख) इस विदेशी मुद्रा की सहायता की बातचीत सरकार द्वारा की गयी या संबंधित पक्षों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्यां ५४]** ।

त्रिपुरा के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

†१०३६. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के अध्यक्ष ने त्रिपुरा प्रशासक से त्रिपुरा के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-स्तर पर पुनर्विचार करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

†१०३७. **श्री दसरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने के कारण त्रिपुरा के अगरताला कस्बे नें कालिज तिल्ला और झगारीभूरा में बहुत से व्यक्तियों को स्थान खाली करने के नोटिस दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने नोटिस दिये गये ; और

(ग) इन व्यक्तियों ने इस भूमि पर कब से कब्जा कर रखा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). प्रश्नाधीन भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने के लिये ६३ व्यक्तियों को सरकारी भू-गृहादि (बेदखली) अधिनियम, १९५० के अधीन खाली करने के लिये नोटिस दिये गये थे । इसमें आगे और कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि इसे अधिनियम शक्ति के बाहर घोषित कर दिया गया था । सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत निवासियों की बेदखली) अधिनियम, १९५८ के अधिनियमन के परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों को, जो लगभग १० वर्षों से अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, निकालने का प्रश्न विचाराधीन है ।

अगरताला में प्राइमरी स्कूल

†१०३८. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के अगरताला कस्बे में कितने प्राइमरी स्कूल हैं ;

(ख) इनमें कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ;

(ग) क्या कस्बे में तत्काल प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है ; और

(घ) यदि हां, तो उनको बढ़ाने में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३६ (इसमें जूनियर बेसिक स्कूल और हाई/हायर सेकेंडरी/जूनियर हाई और सीनियर बेसिक स्कूलों में सम्बद्ध प्राइमरी सेक्शन शामिल हैं) ।

(ख) ६६०३ ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्तमान स्कूलों में और प्राइमरी यूनिटों की व्यवस्था की जा रही है और स्कूलों को दोहरी पारी पर चलाया जा रहा है ।

क्षेप्यास्त्रों[1] की खरीद

†१०३६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार क्षेप्यास्त्र और रडार प्राप्त करने के लिये किसी ब्रिटिश फर्म के साथ बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इन नये अस्त्रों के इस्तेमाल में भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अन्दमान में गोले का तेल निकाला जाना

†१०४०. **सरदार अ० सिंह सहगल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में डून्दास पाइन्ट आयल मिल द्वारा कितना गोला पेरा गया ;

(ख) उससे कितना तेल निकाला गया ; और

(ग) फरवरी, १६५६ में इस मिल में कार्य आरम्भ होने से प्रथम वर्ष के भीतर इस मिल पर कितना उत्पादन-शुल्क लगाया गया और कितना वसूल किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ८१६ हंडर्डवेट और १२ पौंड ।

(ख) ४६२ हंडर्डवेट, २ क्वार्टर और ५ पौंड ।

(ग) १५ जनवरी, १६५६ से ३१ मई, १६५६ तक के मिल के कार्यकाल में २,५७५.०६ रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया और वसूल किया गया । गोले के अभाव के कारण मिल ने १ जून, १६५६ से काम करना बन्द कर दिया ।

शिक्षा पर व्यय

†१०४१. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा वर्ष १६५८–५६ में प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा कुल कितना धन खर्च किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : विश्वविद्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Missiles.

रडार और क्षेप्यास्त्र

†१०४२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारी सीमा की रक्षा के लिये रडार और क्षेप्यास्त्रों की खरीद के लिये विदेशी सार्थों के साथ बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन आधुनिक अस्त्रों का मूल्य विमानों के मूल्य की तुलना में कितना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी पूंजी

†१०४३. **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री अरबिन्द घोषाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगायी गयी ;

(ख) क्षेत्रवार इस विनियोजन की कितनी धनराशि है ; और

(ग) विभिन्न देशों द्वारा कितनी कितनी विदेशी पूंजी लगायी गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें १९५४ से १९५८ तक भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में गैर-बैंकिंग विदेशी विनियोजन के आंकड़े दिये गये हैं। वर्ष १९५९ के लिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	विनियोजक देश	१९५४–५५ (वार्षिक औसत)	१९५६	१९५७	१९५८ (अस्थायी)
१.	ब्रिटेन	९·६	१·५७	६·३	–१·२
२.	अमरीका	४·९	७·१	१०·४	२·९
३.	जर्मनी	१·२	०·२	०·८	०·१
४.	स्विटजरलैंड	०·३	१·६	–१·५	०·२
५.	अन्य देश	०·२	०·१	०·९	०·६
६.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	१·४	१२·१	३२·०	२५·३
	कुल	१७·६	३६·८	४८·९	२७·९

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक सरकारी क्षेत्र के समवायों में विदेशी पूंजी के विनियोजन का संबंध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

मनीपुर में जनगणना

†१०४४. **श्री ले० अवौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के लिये जनगणना संबंधी योजना बना ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर में गांवों के सामाजिक-आर्थिक रूप से सर्वेक्षण की व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) क्या जातियों और आदिम जातियों की जनगणना भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अनुसूची के आधार पर की जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) मनीपुर में १९६१ की जनगणना के बारे में अखिल भारतीय पद्धति अपनाई जायेगी । मनीपुर के लिये कोई पृथक जनगणना योजना नहीं है ।

(ख) जैसा कि अन्य सभी राज्यों में होगा, मनीपुर के लगभग ३५ गांवों में १९६१ के जनगणना कार्य के भाग के रूप में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जायेगा ।

(ग) अगली जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को ही गिना जायेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती

†१०४५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में १९५९-६० में कुल कितने क्षेत्र में तम्बाकू की खेती की गयी ;

(ख) उससे उत्पादन-शुल्क के रूप में कितनी आय हुई ;

(ग) १९५९-६० में विदेशों को तम्बाकू का निर्यात करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ; और

(घ) खरीदारों की कमी के कारण आंध्र प्रदेश में १९५९-६० में उत्पादकों के पास कितनी तम्बाकू पड़ी है और उसका क्या मूल्य है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]**

असिस्टेंटों के रिक्त स्थान

†१०४६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में असिस्टेंटों के कितने स्थान खाली पड़े हैं ;

(ख) क्या (१) संघ लोक सेवा आयोग से अर्ह उम्मीदवारों से असिस्टेंटों के पद भरने; और (२) विभागीय स्थायी उम्मीदवारों से पदोन्नति द्वारा असिस्टेंटों के पद भरने के लिये कोई पृथक अभ्यंश है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो १ अक्तूबर, १९५८ के बाद से उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में कितने खाली स्थान रखे गये ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पदोन्नति न करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना म आन वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में असिस्टेंटों के खाली स्थानों की संख्या इस समय शून्य के बराबर है ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में असिस्टेंट श्रेणी में स्थायी रूप से रिक्त स्थानों में से ५० प्रतिशत स्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती करने के लिये सुरक्षित रख दिये गये हैं । बाकी सब खाली स्थान विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

(ग) प्रत्येक मामले में यह संख्या लगभग १९० है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चतुर्थ श्रणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां

†१०४७. **श्री राम गरीब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार वर्दी दी जाती है ; और

(ख) क्या उनके लिये कोई वित्तीय सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क मंत्रणा परिषद् की बैठक

†१०४८. **श्री सै० अ० मेहदी** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ और ७ फरवरी, १९६० को सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क मंत्रणा परिषद् की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) परिषद् की बैठक में जो विचार किया गया वह अन्तिम निर्णय के रूप में नहीं था परन्तु सिफारिश के तौर पर था क्योंकि परिषद् का कार्य परामर्श देने का है । तथापि, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर विचार करेगी और उन पर उचित निर्णय करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मद्यपान-विरोधी प्रचार

†१०४९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मद्यपान के विरुद्ध किस प्रकार का प्रचार किया गया है ;

(ख) १९५९-६० में अब तक इस कार्य पर कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) उससे अभी तक क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) दिल्ली में मद्यपान के विरुद्ध विभिन्न तरीकों से प्रचार किया जाता है, जैसे प्रदर्शनियां, चलचित्र प्रदर्शन, नाटक, गाने, भजन और सार्वजनिक सभा। इन माध्यमों द्वारा जनता को मद्यपान की बुराइयां और संयम के गुण बताये जाते हैं। इस समय यह प्रचार गरीब जनता में किया जा रहा है।

(ख) १९५९-६० में २९ फरवरी, १९६० तक इस प्रचार पर ४,९८६ रुपये व्यय किये गये। मार्च, १९६० में ३,२९२ रुपये खर्च होने की संभावना है।

(ग) यह प्रचार अक्तूबर, १९५९ में आरम्भ किया गया था, अतः इसके परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

सतलज के किनारों पर कोयले के निक्षेप

†१०५०. **श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सतलज नदी के किनारों पर मंडी जिले के कारसोंग तहसील में कोयले के निक्षेप हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या क्रियात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). इस क्षेत्र में तृतीय श्रेणी के कोयले और चूने के पत्थर के होने का पता लगा है परन्तु भारत के भूतत्वीय विभाग ने इनकी परीक्षा करके किसी को भी आर्थिक महत्व का नहीं बताया।

लोहे के कबाड़ का निर्यात

†१०५१. { **श्री चांडक** :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २२, दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८ और १९५९ में (श्रेणीवार) कुल कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में लोहे के कबाड़ का निर्यात किया गया ; और

(ख) १९५७, १९५८ और १९५९ में वस्तु विनिमय के आधार पर जो लोहे का कबाड़ निर्यात किया गया उसकी (श्रेणीवार) मात्रा व मूल्य क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) १९५७ में वस्तु विनिमय के आधार पर निर्यात नहीं किया गया। वर्ष १९५८ के मध्य से वस्तुविनिमय के सौदे पर लगभग २,७८,०९,६०० रुपये के मूल्य का १६०,००० टन लोहे का कबाड़ निर्यात किया गया है। श्रेणीवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

लोहे के कबाड़ की उपलब्धता

†१०५२. **श्री चांडक** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में अब तक देश में (१) भारी गलने वाला कबाड़, (२) चादरों की छांटन संख्या १, (३) संख्या २, (४) संख्या २ क और (५) संख्या ३ की लोहे के कबाड़ की कितनी अनुमानित मात्रा उपलब्ध है ;

(ख) इन विभिन्न श्रेणियों के कबाड़ में से स्थानीय उद्योगों द्वारा कितने कबाड़ की खपत की गयी ;

(ग) कबाड़ की इन श्रेणियों के लिये स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा कितना मूल्य दिया गया है ; और

(घ) कबाड़ की इन श्रेणियों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) वर्ष १९५७ से १९६० तक देश में उपलब्ध लोहे के कबाड़ की अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार है :

	भारी गलाये जाने वाला कबाड़	चादरों की छांट	
		संख्या १	संख्या २, २क और ३
	टन	टन	टन
१९५७ . .	१८०,०००	१५,०००	१८०,०००
१९५८ . .	१९५,०००	१५,०००	२००,०००
१९५९ . .	२००,०००	१८,०००	२२०,०००
१९६०	२२०,०००	२१,०००	२३०,०००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केवल बिजली की भट्टियों में काम आने वाले कबाड़ की कुल मात्रा के आंकड़े उपलब्ध हैं जो निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	टन
१९५६	९६,३७२
१९५७	१०९,३८६
१९५८	१०७,५३६
१९५९	८४,३८६

(ग) भारत में गलाये जाने वाले इस्पात के कबाड़ के निर्धारित मूल्य १०० रुपये प्रति टन और हल्की चादरों के कबाड़ के ९० रुपये प्रति टन हैं।

(घ) गलाये जाने वाले भारी कबाड़ और चादरों के छांट संख्या १ के कबाड़ के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग १६ पौंड (२१३·३ रुपये) प्रति टन है और चादरों की छांट संख्या २, २क और ३ के मूल्य लगभग १३ पौंड (१७३·३ रुपये) प्रति टन हैं।

दिल्ली यातायात पुलिस में भर्ती

†१०५३. श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस में भर्ती के लिये मैट्रिकुलेशन को अर्हता निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली यातायात पुलिस में प्रत्यक्ष रूप से भर्ती नहीं होती। इसके लिये समूचे बल में से व्यक्ति चुने जाते हैं। पुलिस के लिये मैट्रिकुलेशन को न्यूनतम शिक्षा स्तर नहीं रखा गया है। तथापि, विशेष प्रकार की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुये इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या यातायात विभाग में लगाये गये पुलिस कर्मचारी मैट्रिकुलेट न हों।

बस्तर (मध्य प्रदेश) में चांदी के निक्षेप

†१०५४. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बस्तर के समीप बिन्जन में ऐसे खनिज पदार्थ पाये गये हैं जिनमें १० प्रतिशत चांदी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) बस्तर के पास के क्षेत्र में भारत के भू-परिमाप विभाग को चांदी पाई जाने का पता नहीं लगा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगन प्रस्ताव

जोरहाट में विमान दुर्घटना

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री हेम बरुआ ने निम्नलिखित विषय का एक स्थगन प्रस्ताव भेजा है :

"कल जोरहाट में कथित विमान दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप दो वरिष्ठ विमान चालकों की मृत्यु"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इसके बारे में हमने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की भी सूचना भेजी है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : एक अल्पसूचना प्रश्न की सूचना भी दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का वक्तव्य सुनिये, संभव है कि उसमें माननीय सदस्यों को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जायें।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : ब्रिटिश निर्माताओं का एक ट्विन पायोनियर विमान प्रदर्शन के लिये भारत आया था। वह आसाम की तरफ गया था और जोरहाट से उड़ने के तुरन्त बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्रिटिश कैप्टन, टैम्पलटन तथा आई० ए० सी० के कैप्टेन पिंटो की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक पदाधिकारी के हल्की चोंटे आईं। दुर्घटना के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इतनी ही जानकारी है। इसके बारे में एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की तथा अल्पसूचना प्रश्न की सूचना भी आई है। माननीय मंत्री ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत होने पर इसके बारे में और कुछ बतायेंगे।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : क्या यह सच है कि यह विमान नेफा में विमानों से खाद्यान्न डालने की संभाव्यता की जांच करने के लिये भेजा गया था, क्योंकि एयर कमोडोर लाल ने यह कहा था कि नेफा में विमान उड़ाना संसार में सबसे खतरनाक है। नेफा के क्षेत्रों में हाल के दो वर्षों में दो विमान दुर्घटना हो चुकी हैं जिसमें हमारे दो योग्य विमान चालक, गुंली तथा कैप्टेन पिंटो मारे गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरी स्थिति की जांच कर रही है, ताकि उस क्षेत्र के उपयुक्त किसी विमान को वहां काम में लाया जा सके ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता लगता है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिलने पर उन्होंने पूरी जानकारी हासिल करने का प्रयत्न नहीं किया। यह एक विदेशी विमान था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक पता है, यह एक विदेशी विमान था। हमारी अनुमति से प्रायः उसे प्रदर्शन के लिये यहां लाया जाता रहा है। वह अपने विमानों को हमें बेचना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि उनके विमान ठीक प्रकार से काम कर सकते हैं। विमान चालक उन्हीं के होते थे। इस प्रदर्शन में यह दुर्घटना हुई। हम नहीं जानते कि यह दुर्घटना किस प्रकार हुई। जांच न्यायालय ही इसका पता लगायेगा। जांच न्यायालय का काम पूरा होने से पहले कोई वक्तव्य देना ठीक नहीं होगा। क्योंकि उससे संबंधित व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है। तथ्य यही है कि यह विमान इसका प्रदर्शन कर रहा था कि नेफा के क्षेत्रों में भी वह सफलतापूर्वक उड़ सकता है। परन्तु वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना किस प्रकार हुई इसकी जांच की जा रही है।

†**श्री गोरे** (पूना) : जब विमान प्रदर्शन उड़ान कर रहा था तो हमने इसमें अपने विमान-चालकों को क्यों भेजा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: विमान चालक स्वयं यह जानना चाहता था कि विमान हमारे काम के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं। वह अपनी इच्छा से उसमें गया था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक वायुसेना का विमान चालक था तथा दूसरा आई० ए० सी० का विमान चालक था। हमने अपने वरिष्ठ विमान चालकों को इनमें क्यों भेंजा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई व्यक्ति मोटर कार खरीदना चाहता है तो वह यह देखने के लिये कि मोटर, कार चलाई जा सकती है अथवा नहीं अपने ड्राइवर को भेजता है परन्तु दुर्भाग्यवश कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो क्या वह फिर कभी कार खरीदेगा ही नहीं। अगर शुरू से मुझे यह पता होता कि यह विदेशी विमान था तो मैं इस पर इतनी बात ही नहीं होने देता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह नये प्रकार का विमान नहीं था। निर्माता हमें यही दिखाना चाहते थे कि पहाड़ी इलाकों में भी इसको उड़ाया जा सकता है। हमारा एक व्यक्ति यही देखने के लिये विमान में उनके साथ गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्थगन प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७५।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१९७७/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९७८/६०]

इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड तथा उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत २२ अगस्त, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० —१९७९/६०]

(तीन) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १५ नवम्बर, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(चार) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९८०/६०]

(पांच) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिए उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(छै) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० —१९८१/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश में संशोधन तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : श्री हुमायून् कबिर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कापीराइट अधिनियम १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ फरवरी १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४५१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या १९८२/६०]

(दो) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या १९८३/६०]

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और दान कर अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): डा० बे० गोपाल रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०९ में प्रकाशित सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९८४/६०]

(दो) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २११ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९८६/६०]

(तीन) दान कर अधिनियम १९५८ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दान कर नियम १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ फरवरी १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९८५/६०]

(चार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय जत्पादन-शुल्क नियम १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ मार्च १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २३९ ।

[पुस्ताकालय में रखो गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९८७/६०]

---

†मल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे को कोयले का अपर्याप्त संभरण

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अवलिम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अपर्याप्त कोयला मिलने के कारण सवारी और मालगाड़ियों को चलाने में आशंकित बाधा"

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वर्ष के इन महीनों में अन्य वस्तुओं के यातायात की अधिकता के कारण मालडिब्बों की मांग अधिक होती है इसलिए सामान्यतः रेलवे में कोयले का स्टॉक कम हो जाता है। रेलवे मंत्रालय और इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय में नियमित बैठकें की जाती है जिन में समय समय पर कोयला भेजने के सामान्य कार्यक्रम का समायोजन किया जाता है और अलग अलग लोको शैडों के लिए कोयले के संभरण को नियमित किया जाता है। यद्यपि कुछ शैडों में निर्धारित न्यूनतम स्टॉक कम हो गया है परन्तु ऐसी शंका का कोई आधार नहीं है कि इसके कारण कुछ आवश्यक मालगाड़ियों अथवा यात्री गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया जायेगा।

सरकार स्थिति का गंभीरता से अध्ययन करती रहेगी और इस प्रकार की कार्यवाही करेगी जिससे रेलवे की आवश्यकतायें पूरी होती रहें।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : आज के समाचारपत्रों में समाचार है कि कुछ रेल-गाड़ियां बन्द कर दी गई हैं। अभी माननीय मंत्री ने बताया कि इन को चलाये रखने के सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा के समय रेलवे मंत्री ने बताया था कि रेलवे मंत्रालय तथा कोयला कमिश्नर के बीच मतभेद हो गया था। मैं नहीं जानता कि यह मतभेद दूर हो गया है अथवा नहीं। हम यही जानना चाहते हैं कि रेलवे तथा उद्योग बन्द तो नहीं हो जायेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : उत्तर प्रदेश विधान सभा में मुख्य मंत्री ने हाल में ही बताया है कि उन्होंने इस्पात खान और ईधन मंत्री को तथा रेलवे मंत्री को लिखा है कि यदि उनका कोयले का कोटा नहीं दिया गया तो राज्य में सारे कारखाने आदि बन्द हो जायेंगे उन्होंने कहा है कि कोयले की सख्त कमी है और ईंटों के भट्टे बन्द हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के उद्योगों को इस प्रकार नष्ट होने दिया जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** मैं सभा को बताना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन तथा कोयला नियंत्रक में किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं है। अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ साथ मांग बढ़ती है और उसके अनुसार पुनः समायोजन किया जाना होता है। हम वही कर रहे हैं और करते रहेंगे जिससे उपभोक्ताओं को हानि न उठानी पड़े।

अभी बताया गया कि समाचारपत्रों में कुछ समाचार छपे हैं। मैं ने तथा रेलवे मंत्री जी ने मिल कर मामले पर विचार किया और हमें खेद है कि समाचारपत्रों में ये समाचार कुछ बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित किये गये हैं; यहां वहां कोयले की कुछ कमी हो सकती है।

एक प्रश्न उत्तर प्रदेश विधान सभा में मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बात से सम्बन्धित है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझे तथा रेलवे मंत्री को ईंट पकाने के लिए कोयले की कमी के बारे में लिखा है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को इसका पता होना चाहिए कि

---

†मूल अंग्रेजी में

ईंट पकाने के कोयले को लादने में उतनी प्राथमिकता नहीं रखी जाती है जितनी प्राथमिकता रेलवे, बिजली घर उद्योग आदि को कोयला पहुंचाने में बरती जाती है। इसके अतिरिक्त मुगलसराय से आगे भेजे जाने वाले कोयले के बारे में पाकिस्तान को कोयला भेजने का भी ध्यान रखा जाता है। परन्तु अब उत्तर प्रदेश को कोयला भेजने के बारे में भी कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलगाड़ियां बन्द की गई हैं ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई रेलगाड़ी बन्द की गई है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यह वक्तव्य दोनों मंत्रियों की सहमति के आधार पर ही दिया गया है।

†**श्री त्यागी** : उस में यह नहीं बताया गया है कि कोई रेलगाड़ी बन्द कर दी गई है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं ने अभी इसका पता नहीं लगाया है। मैंने समाचारपत्रों में समाचार पढ़ा है परन्तु अभी इसके बारे में जानकारी नहीं की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : खैर अब वह बन्द नहीं होंगी।

स्टेट बैंक के विवाद के बारे में वक्तव्य

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: सभा जानती है कि औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय अधिनियम, १९५५ के उपबन्धों के अनुसार बैंक पंचाट (संशोधित रूप में) की अवधि ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हो गई थी। विधि शास्त्रियों की राय के अनुसार पंचाट के अधीन बैंक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ३१ मार्च १९५९ के बाद भी लागू होंगी जब तक बाद में न्यायनिर्णय अथवा दोनों पक्षों की सहमति से उन में कोई परिवर्तन या संशोधन न किया जाये। कुछ समय से सरकार विवाद को निबटाने के बारे में किसी अच्छे तरीके को अपनाने पर विचार कर रही है और इस सिलसिले में मार्च १९५९ में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मैंने बातचीत की। ८ अगस्त १९५९ को एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था और सम्मेलन में प्रकट किये गये विचारों के आधार पर तथा दोनों पक्षों में बाद में चर्चा के आधार पर मामले की और जांच की गई।

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार सामान्यतः अनुशासन संहिता के विकास तथा कर्मचारी-मालिक में आपसी परामर्श तथा सहयोग के आधार पर विचार करती है। न्यायालय द्वारा निर्णय के स्थान पर मजूरी बोर्ड तथा सहयोग के आधार पर इस प्रकार के तरीकों से निबटारा करना वह हमेशा अच्छा समझती है इस नीति के अनुसरण में सरकार ने हाल में ही सूती कपड़ा तथा सीमेंट उद्योग के लिए मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में भी मजूरी बोर्ड बनाने का सरकार का विचार है। मैंने बैंकरों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बैंकिंग विवाद दूर करने के तरीकों को ढूंढ निकालने के बारे में कई बार बातचीत की है। मजूरी बोर्ड अथवा जांच आयोग नियुक्त करने के सुझावों पर विचार किया गया है। विवाद में अन्तर्ग्रस्त समस्याओं की गंभीरता के कारण तथा पक्षों के अलग-अलग मत होने के कारण सरकार को अन्तिम निर्णय करने में समय लगना ही था। इस मामले पर पर्याप्त विचार करने के बाद सरकार का विचार है सब से अच्छा तरीका यही होगा कि औद्योगिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

विवाद अधिनियम के अधीन एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये जो स्टेट बैंक के कर्मचारियों समेत सभी बैंकों के कर्मचारियों के विवादों पर विचार करे । तदनुसार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त किये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

सभा चाहेगी कि मैं स्टेट बैंक में हो रही हड़ताल के बारे में दो शब्द कहूं । मेरे साथी माननीय वित्त मंत्री ७ मार्च, १९६० को इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दे चुके हैं । मुझे अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के सभापति का जनवरी, १९६० के आरम्भ में एक पत्र मिला था जिस में उन्होंने सुझाव दिया था कि स्टेट बैंक में विवाद ऐच्छिक मध्यस्थ निर्णयन से तय होना चाहिये । सरकार ने इस सुझाव पर पूरी तरह से विचार किया तथा उन्हें ४ फरवरी को सूचित किया कि एक ही प्रकार की मांगों के बारे में दो प्राधिकार बनाने में सर्वदा खतरा रहता है । मैं ने उन्हें बताया कि स्टेट बैंक आठ सहायक बैंकों की पूंजी अर्जित करने जा रहा है और इस प्रकार उस के सामने ज्यादातर वही समस्यायें हैं जो सभी वाणिज्यिक बैंकों के सामने हैं । इस बीच केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था से दोनों पक्षों से बातचीत करने को कहा गया और उन्होंने १५ फरवरी, १९६० को बातचीत की भी । सभा जानती है कि ४ मार्च, १९६० से स्टेट बैंक में हड़ताल है । अब सरकार ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय कर लिया है, इसलिये मैं कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल समाप्त कर के अपने काम पर आ जायें ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का नोटिस दिया है; मैं जानना चाहता हूं कि इस न्यायाधिकरण में उस पर भी विचार होगा ।

†**श्री नन्दा** : यद्यपि रिजर्व बैंक के कर्मचारियों का प्रश्न इस वक्तव्य में नहीं आया है परन्तु मैं समझता हूं कि इस विवाद को भी इसी तरीके से निपटाने में कोई हिचक नहीं हो सकती ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने ऐच्छिक मध्यस्थ निर्णय द्वारा विवाद निपटाने की मांग की थी जो ठुकरा दी गई है; अब एक न्यायाधिकरण बनाया जा रहा है । कर्मचारियों का यह विचार है कि निर्णय करने में बड़ा विलम्ब हो जायेगा इसलिये क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि निर्णय लेने में विलम्ब नहीं होगा ?

†**श्री नन्दा** : मैं आश्वासन देता हूं कि न्यायाधिकरण की स्थापना में कोई विलम्ब नहीं होगा । बाद में तो मामला न्यायाधिकरण तथा दोनों पक्षों के हाथ में ही होगा ।

†**श्री तंगामणि**: (मदुरै) : मद्रास में भारतीय श्रम सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि मध्यस्थ निर्णय के द्वारा मामले तय होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि अब सरकार मध्यस्थ निर्णय का विरोध क्यों कर रही है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री जानते हैं कि कर्मचारी न्यायाधिकरण का विरोध इस आधार पर करते हैं कि उस के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है । क्या माननीय मंत्री आश्वासन दे सकते हैं कि इस न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा ?

†**श्री नन्दा** : ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता है । यह तो पक्षों पर निर्भर करता है कि फैसला मानें और उच्च न्यायालयों में न जायें । भारतीय श्रम सम्मेलन इस बात को जानता था कि कर्मचारी और मालिक दोनों विलम्ब होने के बारे में चिन्तित हैं । इसलिये हम अन्य तरीके निकालने का प्रयत्न

†मूल अंग्रेजी में ।

करते रहे हैं। परन्तु भारतीय श्रम सम्मेलन ने वर्तमान पद्धति को कभी भी रद्द नहीं किया। कल ही बताया गया था कि सामान्य व्यवस्था को भंग करना संभव नहीं। इसलिय भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों के विपरीत कुछ नहीं किया जा रहा है।

सभा का कार्य

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : संसद्-कार्य मंत्री की ओर से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार १५ मार्च, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा :—

(१) विधि मंत्रालय

(२) शिक्षा मंत्रालय

(३) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

(४) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(५) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा): मैं जानना चाहता हूं कि त्रिपुरा तथा मनीपुर भूमि सुधार विधेयकों को कब लिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : दोनों विधेयक सभा प्रस्तुत हैं। जब भी समय मिलेगा उन्हें ले लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि मांगों पर मतदान के बाद उन को ले लिया जायेगा।

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्रीमती आल्वा द्वारा २४ फरवरी, १९६० को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :—

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षत्र में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो प्रवर समिति से आया है उस में कई ऐसे सुधार हुए हैं कि जिन सुधारों को सामने रख कर सदन में जो पहले विचार रक्खे गये थे वह विचार अब कायम नहीं रहने चाहियें, ऐसा मैं समझता हूं। वैसे इस विधेयक को विचार में लाते हुए बहुत से हमारे मित्रों ने कई बातों पर आपत्ति की है जिन पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि इस की जरूरत थी कि उन्हें बार बार सामने लाया जाता। सीलिंग का क्वैश्चन सारे देश में बहुत महीनों से आ रहा है, और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस कृषि प्रधान देश में सीलिंग का होना आवश्यक है। अन्य प्रान्तों में भी इस प्रकार के विधेयक पास हुए हैं जिन के द्वारा उन प्रान्तों में सीलिंग लगायी गयी है। हमारी दिल्ली टैरीटरी में भी, जब यहां पर लेजिस्लेचर था, तो एक लैंड रिफार्म बिल लाया गया था और उसे पास किया गया था। उस वक्त भी इस सीलिंग का चर्चा था और यह ख्याल जाहिर किया गया था कि लैंड पर सीलिंग लगाया जाय। परन्तु दुर्भाग्य से वह लेजिस्लेचर कायम नहीं रहा और दिल्ली एक यूनियन टैरिटरी बन गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

जरूरत समझी गयी कि हमारे सदन में इस प्रकार का एक कानून लाया जाय और सीलिंग मुकर्रर की जाये । उसी के अनुसार यहां पर यह लैंड होल्डिंग सीलिंग बिल पेश किया गया था सन् १९५९ में और प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया । जो विचार सदन के सभासदों ने सामने रखे थे उन को ध्यान में रख कर इस में कुछ संशोधन हुआ है । मैं यह नहीं कहता कि यह बिल हर प्रकार से मुकम्मल है और जितनी भी आपत्तियां उस वक्त की गयी थीं वे सारी की सारी इसके अन्दर मंजूर कर ली गई हैं । लेकिन कुछ मोटी मोटी आपत्तियां ऐसी थीं कि जिन पर पुनः विचार किया गया और विचार करने के पश्चात् इस बिल में वह संशोधन किये गये । मैं जनाब का ध्यान उन संशोधनों की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि अगर उन को विचार में रखा जाय तो बहुत सी आपत्तियां जो इस बार फिर की गयी हैं वह उस में से हट जाती हैं ।

जो बिल शुरू में रखा गया था उस में सेक्शन ५ में यह प्रावीजन था कि इस कानून के लागू होने के समय जिस किसी किसान पर ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो वह जो ३० एकड़ जमोन रखना चाहता है उस का और जो जमीन उस के पास ३० एकड़ से ज्यादा है उस का ब्यौरा सरकार को दे । अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह इल्जाम गिना जाता । प्रवर समिति ने इसे मुनासिब समझा कि एक ऐसे देश में जहां बहुत से लोग अनपढ़ हैं और उन को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, इस तरह के प्रावीजन को न रखा जाय, क्योंकि उस के रखने से उन को नुकसान पहुंच सकता है, जोकि मुनासिब नहीं है । प्रवर समिति ने मुनासिब समझा कि यह ब्योरा तैयार करने की जिम्मेदारी किसान पर ही न डाली जाय बल्कि एक मियाद के अन्दर अन्दर सरकार अपनी मैशिनरी से या अपने अफसरों की मदद से यह ब्यौरा तैयार कराये । यह एक बहुत बड़ी बात है । अगर कोई किसान मियाद के अन्दर अन्दर सरकार के रोबरू यह ब्यौरा नहीं रखता तो सरकार अपनी मैशिनरी के जरिए उस ब्योरे को तैयार कराये, इस की जिम्मेदारी सरकार पर डाली गयी है । इसलिये अब सेक्शन ५ रखा गया है । ओरिजिनल बिल में "शैल" शब्द नहीं था बल्कि सारी जिम्मेदारी किसान पर थी । इस के अन्दर यह इम्प्रूवमेंट किया गया है ।

दूसरा क्लाज़ नम्बर ९ है । औरिजिनल बिल में यह था कि एक फेहरिस्त सरकार तैयार कर ले और उस की इशाअत कर दे और उस मियाद के बीच, यानी तीस दिन के अन्दर अन्दर अगर किसी शख्स को कोई आबजेक्शन करना हो तो कर सकता है और तीस दिन के बाद वह बात बिल्कुल बन्द हो जायगी, अगर उस मियाद के बाद कोई किसी किस्म का आबजेक्शन करना चाहेगा तो उस की कहीं सुनवाई नहीं हो सकेगी । यह भी एक बहुत सख्त धारा थी । हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि जिन लोगों पर यह कानून लागू होता है वह ज्यादातर कानून को नहीं समझते हैं । इसलिये अब सेक्शन ९ में यह सुधार किया गया है कि मियाद के बाद भी अगर कमिश्नर चाहे तो इस किस्म के आबजेक्शन को मंजूर कर सकता है ताकि अगर किसी आदमी को नुकसान होता हो तो वह उस से बच जाय ।

इस के बाद कम्पेन्सेशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर भी दुहराना चाहता हूं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत तफसील में कह रहे हैं, पर वक्त बहुत ज्यादा नहीं है ।

श्री राधा रमण : मुझे पांच मिनट दीजिये, मैं इतने वक्त में खत्म कर दूंगा ।

जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है इस में अब यह संशोधन किया गया है कि रेवेन्यू का चालीस गुना कम्पेन्सेशन दिया जायगा । पहले स्लेब सिस्टम था, अब उस को हटा कर फ्लैट सिस्टम

कर दिया गया है । यह सुधार क्लाज १० में किया गया है । जहां तक इस कम्पेन्सेशन का सवाल है, मैं ने पहले भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह हमारी सरकार की नीति है कि वह आम गरीब लोगों को आराम पहुंचाना चाहती है, उनकी मिल्कियत को बढ़ाना चाहती है, उनके स्टैण्डर्ड को बढ़ाना चाहती है, लेकिन जब कृषक लोगों की जमीन लेने का सवाल आता है तो उनको जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है वह मारकेट वेल्यू से हजारों गुना कम होता है । अगर उस को इस दफा के मुताबिक रेवेन्यू का ४० गुना मुआवजा दिया गया तो एवेरेज में उस को एक एकड़ जमीन का १००–१५० रुपया मिलेगा और यह इतना कम है कि जो वह इस जमीन से कमाता था और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था और कुछ स्टैण्डर्ड कायम किये हुए था वह सारा खत्म हो जायगा । फिर यह भी पता नहीं कि इस तरह से जो जमीन सरकार लेगी वह भूमिहीनों को ही दी जायगी । उस का क्या होगा पता नहीं । जब ऐसी हालत हो तो कम्पेन्सेशन ऐसा होना चाहिये कि जिसे सबस्टेंशियल कहा जा सके । इस में जो सुधार किया गया है कि पहले जो स्लैब सिस्टम था उस की जगह फ्लैट सिस्टम कर दिया गया है, पहले यह था कि दस गुना, बीस गुना, तीस गुना या ४० गुना मिल सकता था, अब सब को चालीस गुना मिलेगा । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर फिर विचार करे और ऐसा कम्पेन्सेशन दे ताकि किसान को यह खयाल न हो कि उस की जो जमीन सरकार ले रही है वह कौड़ियों में ले रही है और उस से लाखों और हजारों रुपये का फायदा उठायेगी । एक तरफ आप किसानों को नुकसान पहुंचा कर उन की जमीन ले रहे हैं दूसरी तरफ उस को गरीबों को भी नहीं दे रहे हैं जिस से उन को फायदा पहुंचता हो और वह जमीन किसानों के ही पास रहती हो । इसलिये इस पर पुनः विचार करने के लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा।

कम्पेन्सेशन के सिलसिले में एक बात यह हुई है कि जिन लोगों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन है, उन को बांड की शक्ल में कम्पेन्सेशन देने के बजाय कैश में देने का इरादा किया गया है । मैं समझता हूं कि यह एक वैलकम बात है और मैं इस का स्वागत करता हूं । चूंकि दिल्ली में ऐसे किसान गिनती के होंगे, जिन की ज़मीनें गवर्नमेंट ले सकेगी, इसलिये मैं यह चाहता था कि बजाये इस के कि उन को बांड्ज़ की शक्ल में कम्पेन्सेशन दिया जाये और उन को कीमतें भी आधी चौथाई मिलें, जिस की वजह से उन को नुकसान हो और फायदा फ़ौरन न मिल सके, बेहतर यह है कि उन सब की पूरी कीमतें अदा कर दी जायें । अगर वह नहीं हो सकता है, तो जो शक्ल रखी गई है, वह उस से कुछ बेहतर है ।

एक बात इम्परूवमेंट की यह की गई है कि पहले यह व्यवस्था थी कि जिस किसान के पास आठ एकड़ ज़मीन थी, अगर वह चाहता कि उस में से दो चार, छः एकड़ ज़मीन किसी रिलीजस परपज़ के लिये, या भूदान के लिये, या किसी अच्छे काम के लिये, किसी लैंडलेस पैज़ैन्ट को दे दे, तो उस को ऐसा करने का अख्तियार नहीं था, लेकिन अब प्रवर समिति ने इस संशोधन को मंजूर कर लिया है कि जिन किसानों के पास आठ एकड़ ज़मीन है, वे उस को बेच तो नहीं सकेंगे लेकिन, गिफ्ट के तौर पर दो, चार, छः एकड़ ज़मीन किसी रिलीजस परपज़ के लिये, या भूदान के लिये, या किसी सवाब के काम के लिये दे सकेंगे ।

ये चन्द बातें इस बिल में इम्परूवमेंट की हुई हैं । मैं समझता हूं कि इस से बिल की शक्ल पहले से अच्छी हो गई है ।

कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति की है कि जहां किसानों की ज़मीनों को हम हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं और उन की सीलिंग मुकर्रर करते हैं, वहां नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी के ऊपर कोई सीलिंग मुकर्रर नहीं की गई है । मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं और अब दोहराना चाहता हूं कि मुल्क के हालत ऐसे हैं कि हल्के हल्के नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी पर भी सीलिंग लगाना ज़रूरी

[श्री राधा रमण]

होगा । सरकार इस सिलसिले में इस वक्त तक जो कदम उठा चुकी है, उन में नान-एग्रीकल्चरल लैंड पर कुछ कायदे-कानून या कुछ नये तरीके अख्तियार किये गये हैं, जिन से उस को कम किया जा सके । लेकिन वे नाकाफ़ी हैं । मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि जनता की इस मांग पर भी ध्यान दिया जायगा और अरबन प्रापर्टी पर भी कोई न कोई सीलिंग लगाई जायगी और वह जितनी जल्दी होगा, मुनासिब होगा ।

मैं यह अर्ज़ करूंगा कि प्रवर समिति से वापस आने के बाद भी यह बिल मुकम्मल नहीं है और इस बारे में बहुत पेचीदगियां पैदा होंगी, लेकिन जब हम ने सारे देश के लिये इस सिद्धान्त को मंजूर किया है कि लैंड की एक सीलिंग मुकर्रर की जाये, तो उस सिद्धान्त को दिल्ली में भी लागू करना ज़रूरी है—और दिल्ली के लिये हम ने तीन स्टैण्डर्ड एकड़ की सीलिंग मुकर्रर करना मुनासिब समझा है—चाहे उस से कितनी ही कम ज़मीन क्यों न मिले । बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली में इस कानून के लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऐसे किसानों की तादाद बहुत कम है, जिन के पास तीस एकड़ से ज्यादा ज़मीन है और उन के पास जो ज़मीन है, वह इतनी नहीं है कि जब यह कानून लागू होगा, तो हम बहुत ज़मीन पा सकेंगे । जब हम ने यह सिद्धान्त माना है और दूसरे प्रान्तों में इस को मंजूर किया गया है, तो लाज़िमी तौर पर यहां राजधानी में भी यह लागू होना चाहिये । यहां पर जो लैजिस्लेचर थी, दिल्ली में जब लोकप्रिय हुकूमत थी, उस ने भी यह ख्याल ज़ाहिर किया था । इस समय यहां के लोगों की तरफ़ से ऐसी कोई आपत्ति हो, यह मैं मुनासिब नहीं समझता ।

इसलिये प्रवर समिति से आये हुए इस संशोधनात्मक विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और जो आपत्तियां इस बारे में प्रकट की गई हैं, वे इस नज़रिये से की गई हैं कि इस बिल को ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल और लाभदायक बनाया जाये । मैं आशा करता हूं कि सारा हाउस इस को कुबूल करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी और मेम्बर साहबान को बुलाने से पहले मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम पहले से ही बहुत टाइम ले चुके हैं । दो बजे में मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिये दरख्वास्त करूंगा । दस मेम्बर पहले बोल चुके हैं । अब जो मेम्बर साहबान बोलें, वे दस मिनट में ही अपने ख्यालात रख दें ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति से इस बात की बहुत आशा थी कि वह दिल्ली भूमि अधिकतम सीमा बिल पर अच्छी तरह सोच-विचार करेगी और जितनी भी धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है, उन के बारे में सदन के सामने अपनी तजवीज़ें पेश करेगी । पंडित ठाकुर दास भार्गव और दूसरे साथियों ने यह ख्याल ज़ाहिर करने की कोशिश की थी कि हम उसूली तौर पर सीलिंग के खिलाफ नहीं हैं, सीलिंग तो लगे, लेकिन सीलिंग के आगे जो कार्यवाही है, वह न्याय की रीति से ही की जाय और उस में किसी के साथ ज्यादती न हो । इस के ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा ज़ोर दिया गया । हमारे यहां बहुत से साथी हैं, जिन का ख्याल है कि हम दिल्ली के साथ मिल जायें, लेकिन जिस वक्त हम ऐसी बातें देखते हैं और ऐसे बिल हमारे सामने आते हैं, तो हमें एक डर सा लगता है दिल्ली के साथ जुड़ने में, क्योंकि यहां पर जो भाई विचार करते हैं, उन के दिल में ज़मीन की वह कीमत नहीं होती है, जो पंजाब के किसी काश्तकार के दिल में होती है ।

इस बिल में कम्पेन्सेशन के बारे में जो धारा १० है, मैं उस के खंड २ और ३ की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानते ही है कि ज़मीन तो ज़रिया-ए-पैदावार है और कारखाने भी ज़रिया-ए-पैदावार हैं और मकान तो सिर्फ रहने की सहुलियत है । इस बिल में हम ने यह माना है कि मकान की कीमत तो ज़रूर बाजार भाव के हिसाब से मिलनी चाहिए

लेकिन ज़मीन की कीमत बाजार भाव के नज़दीक भी न हो। मेरे भाई ने कहा कि वह डेढ़ दो सौ रुपया बैठता है। शायद उन को पता नहीं—क्योंकि उन्होंने कभी माल दिया नहीं—कि वह मुश्किल से चालीस पचास रुपए एकड़ के हिसाब से बैठता है। दिल्ली में बाजार भाव एक एकड़ का पांच हजार रुपया हो और उस का मुआवजा हम पचास रुपया दें, यह कहां का न्याय है? हम कहते हैं कि सोशल रिफार्म के लिए समाज के हर एक अंग को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी चाहिए। उस में मुझे कोई एतराज नहीं है। इम्पीरियल बैंक के जो हिस्सेदार थें, उन से भी कुर्बानी कराई गई। अगर हिस्से की फ़ेस वैल्यू ही दे दी जाती, तो हमें शिकायत न होती, लेकिन उस से पांच गुना मार्केट वेल्यू के तौर पर उनको मुआवजा दिया गया। लेकिन जो ज़मीन सोना पैदा करती है, जो अनाज पैदा करती है, उस के मुआवजे के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया है, उस में कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। उस ज़मीन के ऊपर अगर किसी ने दो हजार रुपए का मकान बना दिया है, तो उस की कीमत दो हजार ज़रूर मिलेगी, चाहे वह एक एकड़ ज़मीन का मुआवजा सिर्फ साठ रुपए ही मिले।

यह समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं कि इस देश के अन्दर बहुत सारे भाई है और बहुत सारे प्रान्तों से आते हैं। वहां जो जमीन का तरीका है वह पंजाब में कभी नहीं रहा। पंजाब और दिल्ली के आसपास के जो भाई खुशहाल रहे, जो काश्तकार खुशहाल रहे उन की एक ही वजह थी कि दूसरे सूबा में तो सन् १९४७ के बाद ज़मीन की जो खेती करते थे, मिल्कियत के हुकूक यह जमींदारी एबालिशन के बाद मिले लेकिन यहां तो सालहा साल यह हक रहा। बहुत सारे राज्य आये दिल्ली के अन्दर और चले गये लेकिन जो खती करने वाले थे वह वहीं के वहीं रहे और शान्ति से अपनी खती करते रहे और खेती करने में वह होशियार थे। अगर यह जमीनें जमींदारी की होती तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि उस हालत में शायद यह अंग्रेज़ों की सेवा करने के लिए या देश के साथ गद्दारी करने के नाते अगर कोई इनाम मिला होता तो मैं तो उससे भी आगे जाता और कहता कि एक कोड़ी भी उनको न दो। लेकिन उन्होंने तो यह जमीन खरीदी है। यह जमीन उन्होंने कोई जागीरदारी के नाते नहीं ली, कोई जमींदारी के नाते नहीं ली बल्कि वह तो एक तरह से पीजेंट प्रापराइटर थे। अब उनके लिए यह जो ३० स्टैन्डर्ड एकड़ की सीमा मुकर्रर की है तो इसको तो किसी हद तक बर्दाश्त भी किया जा सकता है लेकिन उस से यह कहना कि तुमको बाजारी भाव भी नहीं देंगे यह उस के साथ अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस में लिखा है कि जो अधिकतम सीमा मुकर्रर करते वक्त पंजाब और उत्तरप्रदेश का और आसपास के सूबों का खयाल रक्खा गया है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पंजाब के कानून में जो मुआविजे की धारा रक्खी है उस की तरफ भी ध्यान कभी नहीं दिया है? वहां उसमें लिखा हुआ है कि सीलिंग के बाद जो फालतू जमीन काश्तकारों से ली जायेगी उसका मुआविजा जो उस समय बाजारी रेट होगा उसका ७५ फीसदी दिया जायगा। मैं मान सकता था अगर ७५ के बजाय वह ६० फीसदी भी बाजारी रेट का मुआविजा देते। मैं दूसरे ढंग से मानने को तैयार हूं और वह यह कि जिस तरह पंजाब में मरला टैक्स लगाया यहां भी कोई इस तरह का मरला टैक्स लगता। यहां भी शहर बढ़ रहा है और उस के कारण जमीन की कीमतें बढ़ रहीं हैं और इसलिए यह मरला टैक्स देना चाहिए लेकिन उस के बाद जो उस का हक पहुंचता है उतना मुआविजा उसको देना चाहिए। लेकिन आज उसके साथ न्याय नहीं हुआ है यह देख कर मुझे बड़ा दुःख होता है। जो जमीन पर अनाज पदा करे उसके मआविजे का उसूल दूसरा है। जो भाई

[चौ० रणवीर सिंह]

मुआविजा मुकर्रर कर रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि उन को जमीन से दुश्मनी है, ऐसा मालूम देता है, मकान से प्यार है और जो उस के अन्दर सामान लगाया जाय उससे प्यार है लेकिन जमीन से दुश्मनी है। मैं तो समझता हूं कि इस देश के अन्दर ७० फीसदी आदमी हैं और यह जो जमींदारी एबालिशन हुई उस के बाद कम से कम ५० फीसदी देश की ऐसी आबादी है जिनका कि जमीन की मिल्कियत से एक रिश्ता है और इस तरह जमीन की मिल्कियत के साथ जो हमारा रिश्ता है उस रिश्ते को आज डेमोक्रेटिक जमाने के अन्दर इस तरह से ठेस पहुंचाना, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो छूट दी गई है उस सिलसिले में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस के अन्दर लिखा है कि फलां तारीख के अन्दर अगर कोई बागीचा लगा हुआ था तो वह छूट सकता था। लेकिन जो उसके बाद अगर बगीचा लगेगा वह नहीं छूट सकेगा। अब मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कौन से न्याय की बात है? क्या उस तारीख के बाद देश को बगीचों की जरूरत नहीं है? देश के लिए जितने भी फल वगैरह पैदा करने थे वह उस वक्त तक जो बगीचे लगाये जा चुके हैं वह क्या हमारे देश की मांग को पूरा कर सकेंगे? अगर आपके ख्याल में व पूरा कर सकेंगे तब तो मेरी समझ में यह आ सकता है कि फलां तारीख के बाद अगर कोई बागीचा लगाना चाहता है तो उस के साथ कोई रिआयत नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर हमें फलों के और अधिक पैदा करने की जरूरत है तो जाहिर है कि इस तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

उसी धारा के अन्दर चीफ कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि जिस चीज के लिए जो छट दी गई है उसको एक अर्से तक अगर वह पूरा न करे या पूरा करने में पीछे हट जाय तो वह जमीन उस से वापिस ली जा सकती है। जब हम ने इस धारा के अन्दर ऐसा लिखा हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि बगीचे के लिए हम यह फरवरी ५९ और ६० से क्यों प्यार करें। उस के लिए हम को वक्त देना चाहिए। साल, दो साल का वक्त हम दें। अगर उसके भीतर और बाद भी कोई बगीचा लगा सके तो उसको लगाने का मौका दिया जाय ताकि वह देश की सेवा कर सके। मेरे साथी श्री सिंहासन सिंह बहुत उतावले हैं। उन के दिल में एक भावना है और उस भावना की वजह है। मुझे उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिड़ला साहब की २० हजार एकड़ जमीन है और उस के अन्दर बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, सामान और मकानात लगाय हैं और उत्तरप्रदेश की सरकार पर दवाब दिया जाता है कि उस की भी छूट के अन्दर दिया जाय क्योंकि जैसा कि इसमें भी दर्ज है कि अगर जमीन के ऊपर ज्यादा इनवैस्टमेंट की है तो उसको छूट होनी चाहिए। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए यहां तक तैयार हूं कि १००, १५० या २०० एकड़ में जो एक आदमी आसानी से इतने में मिकैनाइज्ड फार्मिंग कर सकता है, उसको यह छट मिल जाय और यह छूट उसके लिए होनी चाहिए। अब मेरे साथी श्री सिंहासन सिंह का चूंकि मिकैनाइज्ड खेती से कभी कोई खास वास्ता नहीं रहा इसलिए उनके दृष्टिकोण में और मेरे दृष्टिकोण में थोड़ा सा अन्तर है। मैं समझता हूं कि जो एफिशिएंट फारमर है और जो इतनी अधिक पैदावार कर सकता है उसके लिए कुछ तो रिआयत अवश्य होनी चाहिए। लेकिन वह रिआयत इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उस के अन्दर कोई बिड़ला या टाटा पैदा हो सकें। हां रिआयत इतनी जरूरी होनी चाहिए कि जो भाई मशीन से खेती करते हैं और जिसके कि लिए १००, १५० या २०० एकड़ कोई ज्यादा जमीन नहीं है वह अच्छ ढंग से ज्यादा पैदावार कर सकें और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ सके। अब सूरतगढ़ का फार्म मैंने देखा। वहां पर डेढ़ करोड़ रुपया लगा है। ७५०

रुपया फी एकड़ वहां पर इनवैस्टमेंट है। एक फसल के लिए २२५ रुपया फी एकड़ के हिसाब से वर्किंग कैप्टिल लगता है लेकिन उसके बावजूद भी वहां कभी तो २० मन पैदा किया जाता है और कभी १२ मन और वहां जो यू० पी० के तराई के अफसर थे उन्होंने बतलाया कि सरकार का हिसाब लगाने का तरीका और होता है और आपकी तरह से वहां पर हिसाब नही रक्खा जाता। जितनी धरती बोई वह सारी बोई हुई मानी जाय और उस के ऊपर एव्रैज निकाला जाय, ऐसा हिसाब नहीं है। वहां तो यों हिसाब है कि जिसकी एक खास परसेंचेज तक पैदावार न हो उस को उस से काट दिया जाता है। मान लीजिये कि ३००० एकड़ जमीन बोई, ५०० एकड़ भूमि के अन्दर फसल मामूली लगी तो उसको उसमें से काट कर २५०० एकड़ के ऊपर एव्रैज निकाला जाता है। अब वहीं तराई के इलाके में जो पंजाब के किसान गये हैं और खेती बाड़ी करते हैं और अगर उनकी एव्रैज पैदावार सूरतगढ़ के फार्म से ज्यादा है तो मैं समझता हूं कि उन के साथ रिआयत करने का केस बनता है लेकिन बिड़ला और टाटा के साथ यह रिआयत नहीं होनी चाहिये।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को आदर्श रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्र प्रशासित क्षेत्र होने से समस्त देश उसको एक आदर्श के रूप में ही लेगा।

इस विधेयक में खेती की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पत्ति कही जाती है। परन्तु मेरा निवेदन है कि नागरिक सम्पत्ति के संबंध में क्या किया जा रहा है? देश में दोनों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की मांग बहुत समय से की जा रही है। अतः माननीय मंत्री यह बतायें कि नागरिक सम्पत्ति के संबंध में कब तक इस प्रकार की कार्यवाही की जायगी?

जहां तक प्रतिकर का संबंध है भूमि तथा अन्य सम्पत्ति में भेदभाव किया गया है। इमारतों आदि के लिए तो बाजार भाव का भुगतान किया जाएगा पर भूमि के लिए मालगुजारी के दस गुने का भुगतान किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि भूमि के संबंध में ही यह विशेष उपबन्ध क्यों रखा गया है जबकि अन्य सम्पत्तियों के लिए बाजार भाव के भुगतान का उपबन्ध है? संभवतः इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की सम्पत्ति ही अधिक है। मकान आदि शहरी क्षेत्रों में अधिक होते हैं अतः उनके लिए अधिक प्रतिकर रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नकद में ही किया जाना चाहिए क्योंकि इस विधेयक से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल ३३ या ३४ है।

इसके बाद मैं अधिक भूमि के हस्तान्तरण का निर्देश करना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि वह भूमि पंचायतों को दे दी जानी चाहिए जो सहकारी समितियां बनाकर उस पर खेती करें। इससे सरकार की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की नीति क्रियान्वित हो सकेगी।

जहां तक समर्थ अधिकारी का प्रश्न है, उसको बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। मैं समझता हूं कि वे शक्तियां इतनी अधिक हैं कि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उनसे पक्षपात और भाईभतीजावाद को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस उपबन्ध के संबंध में कुछ सावधानी बरती जाये।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल प्रतिकर के संबंध में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि खेती की भूमि तथा अन्य

†मूल अंग्रेजी में.

[श्री झुनझुन वाला]

भूमि और इमारतों में भेदभाव क्यों किया गया है। मेरा विचार है कि खेती की भूमि के लिए किसानों को जो प्रतिकर दिया जाएगा वह बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि उन्हें कम से कम बाजार भाव का भुगतान तो किया ही जाना चाहिए।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

इसके अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान का तरीका भी ठीक नहीं है। जिस गरीब आदमी को प्रतिकर भुगतान किया जायेगा उसका कम से कम आधा तो अधिकारियों से उसे प्राप्त करने में खर्च हो ही जायेगा। मेरे पास भी कुछ जमीन थी जिसकी वार्षिक आय लगभग ५०० रुपये थी। जब उसका प्रतिकर दिया गया तो उसके सम्बन्ध में मुझे आदमी को यहां वहां भेजने में उस राशि का लगभग तीन चौथाई खर्च करना पड़ा। मैं तो इतना खर्च झेल सकता हूं परन्तु एक ग़रीब आदमी कैसे झेल सकता है? इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इन दोनों बातों के सम्बन्ध में विचार करें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): इस विधेयक में इतने 'परन्तु' और 'यदि' लगे हुये हैं कि उसके वास्तविक क्रियाकरण से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसी स्थिति अभी है वैसी ही स्थिति बाद में भी बनी रहेगी। मेरा विचार है कि इस विधेयक से न खेतिहरों का हित होगा, न भूमि-हीन श्रमिकों और न उन लोगों का जिनके पास कुछ फालतू भूमि है।

इस विधेयक में एक विशेषता है कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से संबन्धित होने पर उसका क्रियान्वयन अत्यंत सीमित क्षेत्र में होगा। खण्ड १(२) के अन्तर्गत किसी नगर पालिका अथवा अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के क्षेत्रों और किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ग्रहीत क्षेत्रों को छट दी गई है। ये अपवाद इतने अधिक हैं कि जिस प्रयोजन के लिये यह विधेयक बनाया गया है उसमें सफलता नहीं मिल सकेगी।

जहां तक परिवार की व्यख्या का सम्बन्ध है वह पश्चिमी देशों के लिये भले ही उपयुक्त हो पर हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं है। यह व्याख्या भारतीय जीवन के अनुकूल होनी चाहिये थी। परिवार के व्यक्तियों की संख्या ५ निर्धारित की गई है। मेरा निवेदन है कि भारत के अधिकांश परिवारों में ५ से अधिक सदस्य होते हैं। परन्तु फिर भी इस व्याख्या से कोई विशेष हानि नहीं होगी क्योंकि उसमें यह परन्तुक भी है कि यदि किसी परिवार में ५ से अधिक सदस्य हों तो जितने सदस्य अधिक होंगे उनमें से प्रत्येक के लिये ५ एकड़ अतिरिक्त भूमि रखी जा सकेगी परन्तु कुल भूमि ६० एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार एक परिवार ६० एकड़ भूमि रख सकता है। खण्ड २६ में इतनीं अधिक छूटें दी गई हैं कि बहुत कम लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ेगी। उदाहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति के पास फलों का बाग है तो उसको छूट मिल जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी भूमि में बहुत विनियोजन किया गया है तो उसे छट मिल जायेगी। इस प्रकार विधेयक का प्रारूप ऐसा बनाया गया है कि वर्तमान स्थिति में अधिक हेरफेर न हो।

जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है मैं इस बात से सहमत हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र और नागरिक क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार का भेदभाव सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। भूमि के लिये भूराजस्व का ४० गुना प्रतिकर निर्धारित किया गया है जो किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। मैं बाजार भाव के पक्ष में तो नहीं हूं परन्तु यह अवश्य चाहता हूं कि प्रतिकर समुचित दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर विधेयक में यह कहा गया है कि अतिरिक्त भूमि का निर्णय करने के प्रयोजन के लिये १० फरवरी, १९५९ और इस अधिनियम को लागू होने के समय के बीच में हस्तांतरित की गई भूमि को हस्तांतर कर्ता के कब्जे में ही समझा जायेगा। मैं नहीं समझता कि इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता है? हम कई साल से अधिकतम सीमा निर्धारण की बात करते आ रहे हैं। इस लिये जिन लोगों को उस से बचना था वे तो १० फरवरी के बहुत पहले ही भूमि का हस्तांतरण कर चुके हैं। इस लिये मेरे विचार से यह खण्ड व्यर्थ है।

जहां तक समर्थ अधिकारी की शक्तियों का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि वे बहुत अधिक हैं। किसी भी न्यायिक अथवा राजस्व अधिकारी को इतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं। यह ठीक है कि इन शक्तियों के पुनरीक्षण का उपबन्ध है परन्तु फिर भी इतनी अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिये।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से किसी को भयभीत नहीं होना चाहिये क्योंकि जिस उद्देश्य से उसे लाया गया है उसका सौंवा भाग भी पूरा नहीं होगा। विधेयक के उपबन्ध इस प्रकार के हैं कि यथापूर्व स्थिति ही बनी रहेगी।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : माननीय उपमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि यह विधेयक एक आदर्श अधिनियम का काम करेगा। मेरा विचार है कि यदि उसे आदर्श बनाना था तो राज्य सरकारों की राय जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिये था। यदि ऐसा किया गया है तो राज्य सरकारों के विचार सभा के समक्ष रखे जाने चाहियें ताकि हमें उनकी जानकारी हो सके। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित किया जाना चाहिये क्यों कि आदर्श विधान समस्त देश की राय जानकर ही बनाया जा सकता है।

दूसरी बात जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं अधिकतम सीमा सम्बन्धी है। बड़े खेद की बात है कि हम लोग इतना इतना वेतन लेते हैं और किसान का भाग्य केवल ३०० रुपये मासिक पर ही बन्द किये दे रहे हैं। इतनी कम आय से किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकेंगे। क्या सरकार यह चाहती है कि किसान के घर में पैदा होने से कोई शिक्षा से वंचित रह जाय? इस लिये मैं इस अधिकतम सीमा का समर्थन करने में असमर्थ हूँ। यदि अधिकतम सीमा रखनी ही है तो २,५०० या ३००० रुपये रखी जानी चाहिये जितना वेतन एक केन्द्रीय मंत्री को मिलता है।

मेरा विचार है कि यह अधिकतम सीमा वर्तमान भूमिधारियों पर लागू नहीं होनी चाहिये वरन् उसे आगामी समय से प्रभावी बनाना चाहिये। ऐसा करने से सरकार को प्रतिकर नहीं देना पड़ेगा और १०–१५ साल में अधिकतम सीमा का उद्देश्य वैसे ही पूरा हो जायेगा। दूसरी बात यह भी आवश्यक है कि जोत की न्यूनतम सीमा भी निश्चित की जानी चाहिये। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने पर जोत कम हो जाती है क्यों कि यदि किसी व्यक्ति के चार बच्चे होते हैं तो उसकी जोत चार भागों में बट जाती है। इस क्रम में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब कि जोत इतनी कम रह जाती है कि उस से कोई आर्थिक लाभ नहीं हो सकता। इस लिये जोत की न्यूनतम सीमा भी निश्चित की जानी चाहिये।

इसके सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक परिवार की भूमि की अधिकतम सीमा ६० एकड़ रखी गई है। जिन परिवारों में उससे अधिक भूमि होगी वह उनसे ले ली जायेगी। इस में एक गड़बड़ है। यदि किसी परिवार का प्रधान इसके लागू होने के एक दिन पहिले मर जाता है तो वह परिवार कायदे में रहेगा क्योंकि फिर उसकी भूमि मृत व्यक्ति के बच्चों में बट जायेगी। परन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

यदि परिवार का प्रधान जीवित है तो उसकी अधिक भूमि चली जायेगी और उसके बच्चों की भूमि कम हो जायेगी । इसके सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये ।

जहांतक प्रतिकर का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि भूराजस्व का ४० गुना वास्तव में बहुत कम प्रतिकर है । भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत जो भूमि ली जाती है उसका प्रतिकर इससे कहीं अधिक दिया जाता है । इस लिये अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में समुचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान ही अधिक हैं इस लिये उनके हितों का समर्थन करना मेरा परम कर्तव्य है । यह ठीक नहीं है कि नागरिक क्षेत्रों में अधिक प्रतिकर दिया जाय और किसानों को कम । मैं भूमि लेने का विरोध नहीं करता परन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि उसका प्रतिकर समुचित दिया जाय । यह प्रतिकर ४० गुना के बजाय बाजार भाव के अनुसार कर दिया जाना चाहिये ।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने ३० एकड़ अधिकतम सीमा को कम बताया है । मेरा विचार इससे भिन्न है । मैं समझता हूं कि यह सीमा इससे बहुत अधिक है । मनीपुर और त्रिपुरा के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने २५ एकड़ की सीमा रखी है जहां कि दिल्ली से कहीं अधिक भूमि उपलब्ध है । दिल्ली में भूमिहीन लोगों की कमी नहीं है । यदि ३० एकड़ की सीमा रखी जायगी तो उन भूमिहीनों के लिये पर्याप्त भूमि नहीं मिल सकेगी । इस लिये मैं चाहता हूँ कि यह सीमा २५ एकड़ कर दी जानी चाहिये ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह इस सीमा से छूट सम्बन्धी है । खण्ड १३ में ऐसी अतिरिक्त भूमि को छूट दी गई है जो परिवार द्वारा भूमि में किये गये सुधारों और परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी के कारण हो । परिवार में सदस्यों की संख्या में कमी के कारण छट देना तो ठीक कहा जा सकता है परन्तु सुधार वाली छूट से मैं सहमत नहीं हूं । यदि सुधार के कारण अतिरिक्त भूमि को छट दी जायेगी तो परिवार अधिकाधिक भूमि को खेती योग्य बनाकर अपनी जोत में सम्मिलित कर लेगा और अधिकतम सीमा निरर्थक हो जायेगी ।

तीसरी बात अतिरिक्त भूमि के वितरण से सम्बन्धित है । इस विधेयक में किन्ही अग्रिमताओं का उपबन्ध नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस में यह उपबन्ध होना चाहिये कि उस भूमि के वितरण में किन लोगों को अग्रिमता मिलेगी । मेरे विचार से पहला अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिये जो पुनर्ग्रहण खण्ड के क्रियान्वयन के कारण बेदखल किये जायेंगे । उनके बाद भूमि हीनों का अधिकार होना चाहिये और फिर अन्य श्रेणियों का । इस प्रकार की अग्रिमताओं का उपबध किये बिना भूमि जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल सकेगी ।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया गया उसका पेश होना लाज़िमी था क्यों कि हमारी हुकूमत ने इस पालिसी पर अपना फैसला कर लिया था कि तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर लैंड रिफार्म्स हों, इवल्यूडिंग सीलिंग । इसी लिये हमने दिल्ली के लिये भी लैण्ड रिफार्म्स को पेश किया और सीलिंग का जो इन्स्टालमेंट है उस से हमारे लैण्ड रिफार्म का काम पूरा हो जाता है । लेकिन इस रिफार्म को जो कि दिल्ली में हो रहा था हमारा माडल बनाने का इरादा था जो कि मैं समझता हूं कि पूरा नहीं हुआ । अगर इसको माडल माना जाये तो इसमें बहुत सी खामियां रह जाती हैं । इस में कोई शक नहीं है कि कई चीज़ें इस में गोल मोल छोड़ दी गई हैं, जिनको हम आगे चलकर डिफाइन कर सकेंगे, लेकिन एक दृष्टि से यह माडल है कि दिल्ली जैसी छोटी जगह

†मूल अंग्रेजी में

में भी हम ने लोगों को लैंड रिफार्म्स से वंचित नहीं रक्खा । इस लिये हिन्दुस्तान की कोई स्टेट यह बहाना नहीं ले सकती कि आखिर कोई न कोई स्टेट लैंड रिफार्म्स के एम्ब्रेस से अलग रह गई । हर एक स्टेट के लिये लैंड रिफार्म्स करना लाजिमी हो जाता है ।

पहली जो चीज मैं कहना चाहता हूं वह सीलिंग के बारे में है । मेरी राय में ३० एकड़ की सीलिंग दिल्ली के लिए पर्याप्त है । अगर दिल्ली के लिए ६० एकड़ की बात कही जाय तो यह कुछ अजीब सा मालूम होता है क्योंकि यहां जमीन बहुत थोड़ी है । और जैसा अभी त्यागी जी ने कहा यहां जमीन की कीमत हजारों लाखों रु० तक पहुंच गई है । इस लिए ६० एकड़ की बात कहना अनरिअलिस्टिक होगा । जो ३० एकड़ रखी गई है उसे मैं मुनासिब समझता हूं । लेकिन इस में एक दिक्कत जरूर है, जो कि स्टैंडर्ड एकड़ के बारे में है । इस के बारे में काफी कहा गया है । इसलिए यह जरूर बतलाना चाहिए कि स्टैंडर्ड एकड़ क्या चीज़ है । अगर सिर्फ ३० एकड़ हो तो हो सकता है कि कई जगह पर उसे कम माना जाय । यहां स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब यह माना जाय कि जिस जमीन की ईल्ड रुपये में १६ आना हो वह स्टैंडर्ड एकड़ है तो जिस जमीन की ईल्ड एकड़ में ८ आना है वह अपने आप ६० एकड़ हो जाती है, जिस में ४ आना हो वह १२० एकड़ हो जाती है । अगर कहीं पर १२ आना ईल्ड हो तो वह साढ़े ३७ या ४० एकड़ तक हो सकती है । यह सही है कि स्टैंडर्ड एकड़ कर दिये जाने से ३० एकड़ से काम चल जाता है लेकिन इस स्टैंडर्ड एकड़ की डेफिनिशन रखना बहुत आवश्यक है । यह डेफिनिशन मुझे नहीं पर भी देखने को नहीं मिली ।

दूसरी बात कम्पेन्सेशन के बारे में है । मैं नहीं समझता कि इस हाउस के अन्दर किसी भी व्यक्ति ने इस कम्पेन्सेशन रेट को स्वीकार किया है, अगर किया है तो एक या डेढ़ आदमियों ने किया है ।

श्री त्यागी : बशर्ते वोट भी सब खिलाफ कर दें ।

श्री च० कृ० नायर : इतना कम्पेन्सेशन रखना बहुत गलत बात है । इस से ज्यादा से ज्यादा १२० रु० आ जाता है । दिल्ली में एक एकड़ की लैंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा ढाई या तीन रुपया है । तीन रुपये का चालीस गुना १२० रु० हो जाता है । यह जमींदारों के ऊपर एक मखौल सी है । एक एकड़ की आमदनी कम से कम १० मन से ले कर ४० मन तक होती है । अगर १० मन की आमदनी हो तो आज कल के हिसाब के मुताबिक उसे १५० रु० मिल जाता है, अगर एक साल में एक फसल हो तो । दिल्ली में तो दो दो, तीन तीन फसलें भी उठाई जाती हैं । इसलिए एक साल की रेवेन्यू के नाम पर कम्पेन्सेशन दे कर जमीन लेना सचमुच बहुत बड़े अन्याय की बात है । यह नहीं होना चाहिए । हमेशा हुकूमत की तरफ से यह कह दिया जाता है कि हम चालिस गुना देते हैं । लोग भी कहते हैं कि "अरे चालिस गुना कम्पेन्सेशन दिया जाता है" । यह चीज उन को गलतफहमी में डालती है । लैंड टैक्स अंग्रेजों के जमाने में बिल्कुल बराय नाम रखा जाता था । ६ आना बीघा । ६ आ० या ८ आ० बीघा एकड़ में जा कर करीब ढाई रुपया हो जाता है । कोई खास जमीन हो तो वह १० आना हो सकता है । इसी लिए मैं ने ३ रु० रखा । ३ रु० के हिसाब से चालिस गुना १२० रु० बनता है । यह बात ठीक नहीं है । दिल्ली में आज कल सब जगहों पर कम से कम २ रु० गज कीमत बढ़ गई है । चाहे मथुरा रोड हो, चाहे जी० टी० रोड हो जो गाजियाबाद को जाती है, या नजफ़गढ़ रोड हो दिल्ली के बाहर भी जमीन की कीमत कम से कम २ रु० गज बढ़ गई है । २ रु० गज से मतलब है कि अगर ५००० गज भी हो तो कम से कम १०,००० रु० कीमत बढ़ गई । १०,००० रु० से ले कर २०,०००, २५,००० और ५०,००० फी एकड़ तक जमीन की कीमत बढ़ गई है । लेकिन जमींदार को कम्पेन्सेशन के नाम से १२० रु० दिया जाता है । यह बिल्कुल ही नाजायज चीज है और कानून के या किसी भी इन्साफ के मातहत

[श्री च० कृ० नायर]

यह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता । मुझे खुशी है कि तमाम मेम्बरों ने इसे अपोज किया । चालिस गुने की बात सुन कर हमें धोखे में नहीं आना चाहिए । चालिस गुने की बात ठीक नहीं है ।

अब मैं एक्सेस लैंड के बारे में कहना चाहता हूं । जो कुछ मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया मैं उस का क्लैरिफिकेशन चाहता हूं । पेज ८ पर सेक्शन १३ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम सीमा से कम भूमि हो परन्तु बाद में वह उस सीमा से अधिक हो जाय तो उस व्यक्ति से वह अधिक भूमि छोड़ने के लिए नहीं कहा जायेगा । इस के बारे में मैं जरा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं । जब गवर्नमेंट ने जमीन रिफ्यूजियों को दी तो उन से किराया लिया और उन को १५ रु० महीने में मकान दिया । अब जब टैक्स लगाया जाता है तो उस की रेंटल वैल्यू रखी जाती है ६० रु० महीना । यह कहां का इन्साफ है ? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि राजेन्द्र नगर में एक सिंगल रूम टेनमेंट का किराया गवर्नमेंट की तरफ से १५ रु० था । लेकिन जब कारपोरेशन की तरफ से टैक्स लगाया जाता है तो उस की रेंटल वैल्यू ६० या ६४ रु० रखी जाती है । यह कोई इन्साफ की बात नहीं है । खास कर जो जमींदार है, चूंकि उस की कोई आवाज नहीं है, इस लिए उस के साथ यह जुल्म नहीं होना चाहिए ।

कम्पेन्सेशन के बारे में भी मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा । कम्पेन्सेशन को बान्ड्स की शक्ल में देना बेइन्साफी है । बांड्स की शक्ल में जब दिया जाता है तो गांवों के मालिकों को दिया जाता है । यहां तो शायद इस सीलिंग के कानून की जरूरत भी नहीं थी । शायद ३० या ४० आदमियों पर इस का ऐफेक्ट होता है । लेकिन चूंकि यह देश में आदर्श के रूप में है इस लिए हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि छोटी छोटी जमीन वालों को भी बांड्स की शक्ल में कई सालों में कम्पेन्सेशन दिया जाय । यह उन लोगों की दृष्टि से ठीक नहीं है । इस के डिस्ट्रिब्यूशन के भी तरीके बतलाये गये हैं । एक तो यह कि लैंडलेस को दिया जाय, दूसरा यह कि कोआपरेटिव्ज को दे दिया जाय और तीसरी बात मैं कहता हूं कि जो अनएकानमिक होल्डिंग्स वाले यानी ८ एकड़ से कम वाले हैं उन को दे दिया जाय। चूंकि इस डिस्ट्रिब्यूशन आसान नहीं है इसलिए इसे कोआपरेटिव्ज के लिए ही दे दें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा । लेकिन इस को ऐलाट करने का अधिकार चीफ कमिश्नर को देने से उन को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी । इस को एक आफिसर पर नहीं छोड़ना चाहिए ।

अब मैं गरीब किसानों की एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं । हमारे आरिजिनल बिल में यह रखा गया है कि ८ एकड़ से कम ज़मीन जिस के पास होगी वह नहीं बेच सकता । ८ एकड़ को एक किस्म से एकानमिक यूनिट माना गया । ठीक है । लेकिन अगर एक आदमी के पास ४ एकड़ जमीन हो या ३ एकड़ जमीन हो तो वह एक जोड़ी बैल नहीं रख सकता, एक बैल भी नहीं रख सकता, जोड़ी की बात तो छोड़िये । ऐसा आदमी अगर चाहे कि वह एक एकड़ जमीन बेच कर, जिस से कि उसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ५,००० रु० मिल जायेगा, अपने गुजारे का इन्तजाम करे, तो इस में क्या गुना है ? यह क्या बात है कि अगर उसे बेचनी हो तो ८ के ८ एकड़ बेचे । यह उसके साथ एक जुल्म है । यहां पर ७ एकड़, ५ एकड़, ३ एकड़ और २ एकड़ जमीन वाले इस तरह के हैं कि एक या दो एकड़ बेच देने से उन को ५,००० या १०,००० रु० मिल सकते हैं । इस से वह बिजिनेस कर सकते हैं । उन के लिए इस की सहूलियत होनी चाहिए । मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर विचार होना चाहिए ।

अब जसा श्री राधा रमण ने भी कहा है, शहरों पर सीलिंग होनी चाहिए, मैं उन के इस सुझाव का पूरा समर्थन करता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : सभापति महोदय, जैसा कि शर्मा जी ने कहा इस के अन्दर प्रतिवाद इतने हैं कि यह बिल प्रतिवादों से भरा हुआ है और उसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी ध्यान दिलाया और साथ ही मैं यह देख रहा हूं कि जब से इस पर चर्चा चली है किसी वक्ता ने भी इस बिल का समर्थन नहीं किया। यह ठीक है कि कांग्रेस ने अपने सेशन में सीलिंग का प्रस्ताव पास किया है और उसका समर्थन भी किया गया है लेकिन जिस रूप में यह बिल आया है उस का समर्थन नहीं है। क्या गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी अगर वाकई में प्रजातांत्रिक राज्य के कुछ मानी हैं। अब जैसा कि भाई त्यागी जी कह रहे थे कि खिलाफ बोलेंगे तो लेकिन वोट उसके समर्थन में करेंगे तो वह तो मजबूरी है और फिर विचार अलग चीज है और वोटिंग अलग है और उस में पार्टी के अनुशासन का सवाल आता है . . . . .

श्री त्यागी : भाई हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। पार्टी से ज्यादा किसान हम को प्यारा है।

श्री सिंहासन सिंह : हम भी वही करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सब भी ऐसा ही करें। अब अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की भावना से प्रेरित होकर काम नहीं करती है और जबर्दस्ती करती है और उचित रुख जो कि उसे अपनाना चाहिए नहीं अपनाती है तो फिर इस देश की गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल के लिए उचित तो यह था कि हम इस पर अलग बैठ कर सोचते और उसके बाद इसको हाउस में लाते लेकिन गवर्नमेंट अपना बिल लाती है और उस पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं लेकिन ह्विप के नाते मजबूर होकर उसके पक्ष में वोट देना पड़ता है और वह पास हो जाता है।

मैं इस बिल का विरोध तीन बातों से करना चाहता हूं। एक तो इस बिल के अन्दर ही दो स्वरूप दिये गये, शहरी जमीन के और देहाती जमीन के। इस बिल के अन्दर जो पहला क्लाज है उस में यह दिया हुआ है कि ऐसे ऐरियाज जो कि किसी म्युनिसिपैलिटी में शामिल होंगे, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। म्युनिसिपल ऐरिया वाला चाहे काश्तकार हो, जमींदार हो या कोई भी हो उन पर यह क्लाज लागू नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि शहरी आबादी वालों के साथ आपको इतना प्रेम क्यों है। जैसे कि अभी श्री राधा रमण ने कहा कि जिस तरह से देहात वालों की जमीन की और आय की सीलिंग की जा रही है उसी तरह से यह शहर वालों की आमदनी पर भी कोई सीमा क्यों नहीं लगाई जाती। जितनी भी यह सीमा है आमदनी पर वह सब देहात वालों पर ही लागू की जाती है लेकिन शहर वालों को अछूता छोड़ दिया जाता है। मेरी समझ में यह गांव वालों के साथ सरासर नाइंसाफी है। आखिर यह शहर वालों और गांव वालों के बीच में इस सीमा के सम्बन्ध में भेदभाव क्यों बर्ता जाता है? अब हम शहर के अन्दर जमीन रखते हैं और देहात के अन्दर भी जमीन रखते हैं तो शहर की जमीन पर तो कोई सीलिंग नहीं लगाते हैं लेकिन देहाती इलाके की जमीन पर सीलिंग करते हैं। इसलिए मेरी राय में यह जो पहला क्लाज कहता है कि म्युनिसिपल ऐरिया में जो जमीनें ने उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, यह बड़ा अनुचित है। कई जगह जमींदारी एबौलीशन हुआ। उत्तर प्रदेश में और अन्यत्र भी जमींदारियां हम ने समाप्त कीं लेकिन मेरा कहना यह है कि शहरों की जमींदारियां समाप्त नहीं हुईं। कानून तो पास हो गया लेकिन वह शहरों पर लागू नहीं हुआ। पता नहीं क्या असर गवर्नमेंट पर शहर वालों का है कि गवर्नमेंट उन पर इस तरह की कोई पाबन्दी नहीं लगाती। अजी लागू करना तो दरकिनार शहर वालों की आमदनी और जमीन पर सीलिंग लगाने के लिए कानून भी पास करने को सरकार तैयार नहीं है।

[श्री सिंहासन सिंह]

मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक गवर्नमेंट ने तीन, चार चीजों पर ध्यान दिया है। एक तो उस ने जमींदारियां एबालिश कीं, जमींदारियां समाप्त कीं और उन का सरकार ने मुआविजा दिया। ऐयर सर्विसेज़ को नेशनलाइज़ किया और फिर हम ने बीमा कम्पनियों को लिया और उसके बाद हम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जब हम ने ऐयर सर्विसेज़ को अपने हाथ में लिया तो गवर्नमेंट न उन प्राइवेट सर्विसेज को सड़े गले पुर्जों के दाम भी बाजार भाव पर दिये हैं। इसी तरह आप ने बीमा कम्पनियों को जो अपने हाथ में लिया तो जो उन का दस रुपये का शेयर जिस की कि मार्केट प्राइस १०० हो गयी उस का भी ५ गुना हम ने उन को दिया। उन के दस रुपये के शेयर का हम ने ५ गुना दिया अर्थात् १० का आप ने ५०० दिया। इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज़ किया वहां भी यही किया गया अर्थात् शेयर मार्केट का पांच गुना दिया। शेयर की वैल्यु जो मार्केट में थी उस का हम ने पांच गुना दिया। लेकिन इसी तरह से मुआविजा हम ने काश्तकारों को जोकि जमीन खरीदते हैं, ज्यादातर जमीनें खरीदी हुई हैं, तो जो हम ने बयनामे खरीदे, उन पर इस रेट से मुआविजा नहीं दिया। अभी तक लैंड एक्वीज़ीशन कानून लागू था। उस का मूल आधार यह है कि जो मार्केट वैल्यू हो जो बाजारी कीमत हो उस का १५ गुना गवर्नमेंट और देती है। अगर किसी की जमीन सरकार उस की मर्जी के बगैर ऐक्वायर करती है तो जो उस का बाजारी भाव होता है उस पर १५ गुना और मुआविजा देती है। ब्रिटिश टाइम्स में जो पुराना लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट था उस का खयाल न कर के आप ४० गुना देते हैं।

अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मान लीजिये कि मैं जमीन का मालिक हूं। मैं ने किसी जमीन को महाजन को लीज पर दे रक्खा है दस रुपया लीज पर दे रक्खा है। उस पर उस महाजन ने मकान बना लिया है तो वह जमीन अगर सरकार लेती है तो मुझे जोकि जमीन वाला हूं उस को तो अगर उस का ३ रुपया लगान है तो कुल १४० रुपये मिलेंगे जबकि १२० रुपये सालाना हम लीज के उस से पा रहे हैं। उसे का भी कोई लिहाज नहीं होगा लेकिन महाजन को जो कि मकान की कीमत होगी वह दी जायगी। जब उस ने मकान बनवाया था तब उस का वह मकान ४००० रुपये का था लेकिन आज उसी मकान की कीमत ४० हजार हो गई है तो उस को ४० हजार मुआविजा मिलेगा। उस को तो ४००० का ४०००० मिलेगा लेकिन हम को केवल १२० रुपये मिलेंगे। वह क्या अन्याय हैं। मौडेल बिल अगर आप बनाना चाहते हैं तो वह न्याय से भरपूर होना चाहिये जिसे कि सब स्वीकार कर सकें।

मैं अब थोड़ा क्लाज़ २६ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्लानिंग कमिशन ने जो लैंड सीलिंग के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट निकाली थी उस में किसी तरह का यह प्रबन्ध नहीं किया था कि जमींन छोड़ी जाय। उन्होंने यह कहा था कि तीन गुने से भी ज्यादा किसी के पास न हो। एक फैमिली होल्डिग की डेफिनीशन उन्हों ने दी थी वन प्लाऊ यूनिट। अगर एक प्लाऊ से १० बीघे जोत सकते हैं तो ३० बीघे से ज्यादा न हो। दूसरा प्लानिंग कमिशन हुआ। मेरा ख्याल हैं कि मैंने अपनी पार्टी में भी कहा था और यहां भी कहता हूं कि उस पर शहर वालों का, बड़े-बड़े पूंजीपतियों का और बड़े-बड़े अफसरों का भी जिन्हों ने कि जमीनें ऐक्वायर कर ली हैं, उन का असर पड़ा और उन को छूट मिल गई। दफा २६ में बतला दिया गया है कि इस तरह की जमीन एग्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं। चीफ कमिश्नर को यह छूट देने का अधिकार दिया गया हैं। चीफ कमिश्नर को इस दफा के द्वारा यह अधिकार दिया गया हैं कि ऐसी जमीन जहां कि कैटिल ब्रीडिंग, डेयरी या वूल रेजिंग का काम चलता हो, उन को इस से छूट दे सकता हैं। हम भले ही जमीन पर चाहे कितना गल्ला क्यों न पैदा करते हों उस को तो इस कानून से छूट नहीं मिलेगी लेकिन अगर कोई दस गाय वहां पर रख दे और बकरियां रख दे तो वह कैटिल ब्रीडिंग सेंटर हो जायगा और वह १००, २०० एकड़ का फार्म इस बिना पर एग्ज़ेम्प्ट हो जायगा।

जमीन के क्षेत्र में जैसाकि मेरे भाई ने कहा आज बिड़ला की उत्तर प्रदेश में ३०००० एकड़ के करीब जमीन शुगर फार्म्स की शक्ल में हैं और वह इस से छुट सकती है। लेकिन हमारी वह १०० एकड़ खेती की जमीन एग्ज़ेम्प्ट नहीं हो सकती। आखिर यह कहां का न्याय है ? शहर वाले तो जा कर देहात में बसें और बिजनेस करें लेकिन बेचारे देहात वाले देहात में ही रहने के कारण मारे जाते हैं तो इस तरह की प्रवृत्ति देहात कब तक बर्दाश्त करेगा यह मेरा समझ में नहीं आता। आप इस भरोसे में मत रहिये कि वह हमेशा इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त करता रहेगा। देहात वाला जब आवाज उठायेगा तो हमारे और आप के नीचे से जमीन सरक जायगी। हम भले ही कितनी भी पूंजीपतियों की रक्षा करना चाहें, रक्षा नहीं कर पायेंगे।

मुझे यह देख कई बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कम्युनिस्ट ब्लाक करीब-करीब खाली पड़ा हुआ है। शायद इस वजह से इस बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं कि पहले इसी भद्दे और गलत रूप में यह बिल पास हो जाय और उस के बाद वे जनता में और गांवों में इस बिल के विरुद्ध प्रचार करें और सरकार के विरुद्ध जनता के असन्तोष को उभारें और इस तरह मौजूदा सरकार को अपदस्थ करके खुद हुकूमत की कुर्सी सम्हाल लें।

मेरा खयाल है कि दफा २६ के मौजूदा शकल में रहते हुए और क्लाज १ जिस में कि म्युनिसिपल एरिया में शामिल जमीनों को इस कानून से एग्ज़ेम्प्ट किया जायगा, इस का असर जैसे मैंने पहले कहा खेती की जमीनों पर गांव वालों की जमीनों पर असर पड़ेगा और यह जो भेदभाव शहर और गांव में किया जा रहा है यह अनुचित है। जो ज्यादा जमीन होगी वह गवर्नमेंट में वैस्ट हो जायगी। उस को लेने के बाद क्या करेंगे यह उन के अख्तियार में है। इस बिल में यह कहीं नहीं दिया गया है कि इस जमीन को गरीबों को, भूमिहीनों को दिया जायगा। मुमकिन है कि इस जमीन को पूंजीपतियों को दे दिया जाय जोकि इस को ज्यादा दामों पर बेचें। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिये किसानों से डेढ आना और तीन आना गज के हिसाब से जमीन ली गयी। मैंने उस समय पार्लियामेंट में सवाल उठाया था। वही जमीन पूंजीपतियों को दी गयी जिन्हों ने उस को ९ रुपये गज में बेचा। पता नहीं कि किसानों का दाम बढ़ाया गया या नहीं।

एक माननीय सदस्य : बढ़ाया गया।

श्री सिंहासन सिंह : तो कहीं ऐसा न हो कि इस जमीन को भी जोकि किसानों से चालीस गुना दे कर ली जाय बाजार भाव से बेचा जाये। अगर ऐसा किया गया तो किसान मर जायगा। मिनिस्टर साहब तो चले गये। मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वे अभी इस बिल को पास न करावें। क्योंकि वह इस को माडल बिल बनाना चाहते हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि वे इस को फिर पार्टी में ले चलें और इस पर फिर विचार करने के बाद इस को यहां लाया जाय। इस की अभी कोई जल्दी नहीं है। इस बारे में नागपुर कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि सन् १९५९ तक इस प्रकार का कानून लागू हो जाना चाहिये। लेकिन सन् १९५९ खत्म हो गया। अभी तक किसी प्रान्त में इस तरह का कानून लागू नहीं किया गया है। बंगलौर के कांग्रेस अधिवेशन में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। फिर आप इस को माडल बनाना चाहते हैं। तो उचित है कि इस पर और विचार कर लिया जाय।

मुझे पता लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा बिल तैयार हुआ है, अभी असेम्बली में नहीं आया है। कहा जाता है कि उस के अन्दर कोई एग्ज़ेम्प्शन नहीं है। उस में मिल वालों को या पूंजीपतियों को कोई एग्ज़ेम्प्शन नहीं दिया गया है। पता चला हैं कि इसलिये दिल्ली सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार पर जोर डाला जा रहा है कि वह मिल वालों के बड़े-बड़े फार्मों को

[श्री सिंहासन सिंह]

और बगीचों को एग्जेम्प्ट करे। मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक सही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप इस को माडल बनाना चाहते हैं तो इस पर विचार फिर करें।

†श्री जगन्नाथ राव (कोरापट) : सभापति महोदय, मैं केवल उन तीन बातों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जो आप ने अपने भाषण में कही थीं।

जहां तक समर्थ अधिकारी की शक्तिओं का प्रश्न है मेरा विचार है कि वे दीवानी न्यायालय की शक्तियों से अधिक नहीं हैं। यदि खंड २० को पढ़ा जाय तो ज्ञात होगा कि उस में पुनरीक्षण का उपबन्ध किया गया है। इसलिये मैं नहीं समझता कि समर्थ अधिकारी निरंकुश कैसे हो सकता है? दूसरी ओर, यदि दीवानी न्यायालय को क्षेत्राधिकार दे दिया जायगा तो मामलों के निबटारे में बहुत विलम्ब होगा।

दूसरी बात आप ने यह कही कि हस्तान्तरण को अमान्य बनाना असंवैधानिक हैं। मैं समझता हूं कि विधेयक में यह कहीं नहीं कहा गया है कि हस्तान्तरण अमान्य हो जायेंगे वरन् केवल इतना कहा गया है कि उन का विचार नहीं किया जायगा। हस्तान्तरणों पर विलम्ब काल (मोरेटोरियम) लागू करना सर्वथा संसद् के क्षेत्राधिकार में है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हाल में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भूमि पर अधिकतम सीमा लगाये जाने के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को बेच सकता है। यहां इस विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि हस्तांतरण अमान्य अथवा शून्य हो जायेंगे वरन् केवल इतना ही कहा गया है कि एक निश्चित तारीख के बाद उन्हें उपेक्षित कर दिया जायगा। इसलिये इस के सम्बन्ध में कोई कानूनी आपत्ति नहीं हो सकती है।

तीसरी बात प्रतिकर के सम्बन्ध में है। बहुत से माननीय सदस्यों ने विधेयक में रखे गये प्रतिकर को अपर्याप्त बताया है। मेरा विचार है कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना नागरिक क्षेत्र से नहीं की जा सकती। दोनों के मूल्यों में अन्तर होना स्वाभाविक है।

जहां तक अधिकतम सीमा का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि ३० एकड़ की सीमा बहुत ठीक है। पांच व्यक्तियों के परिवार के लिये ३० एकड़ भूमि पर्याप्त है। जिन परिवारों में ५ से अधिक सदस्य हैं उन के लिये ६० एकड़ तक की सीमा रखी गई है। कुछ मामलों में यह सीमा भले ही ठीक न हो परन्तु सामान्यतः वह ठीक ही कही जायगी।

एक आपत्ति यह भी की गई कि नागरिक आय और नागरिक क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है। यह ठीक है। नागरिक आय पर भी अधिकतम सीमा आरोपित की जानी चाहिये। परन्तु इस का मतलब यह नहीं है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक यह विधेयक पारित न किया जाय। भूमि सुधार के सम्बन्ध में यह विधेयक बहुत आवश्यक है। इसलिये मेरा विचार है कि जिस रूप में यह विधेयक संयुक्त समिति से आया है उस पर विचार किया जाना चाहिये।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैंने इस विधेयक पर हुए इस लम्बे विवाद को बड़े ध्यान से सुना है। आप जानते हैं कि इस विधेयक के गुणावगुणों के बारे में भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये गये हैं; मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आप ने भी इस विधेयक की बड़ी कटु आलोचना की है। कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक के कुछ उपबन्धों की आलोचना की

†भूल अंग्रेजी में

है तथा कुछ उपबन्धों का समर्थन किया है। मैं ने सभी तर्कों को बड़े ध्यान से सुना हैं और मैं चाहता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूं। जिस से माननीय सदस्यों को कोई शंका न रह जाये।

मेरे मित्र, श्री त्यागी ने कहा कि विधेयक को विभिन्न राज्यों को विचारार्थ भेजा जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि केन्द्र तथा राज्यों में जब से लोकप्रिय सरकारें बनी हैं, तब से सामान्यतः भूमि सुधार का प्रश्न तथा विशेषतः आवश्यक भूमि विधान बनाने का प्रश्न उन के सामने है। सभा जानती है कि लोकप्रिय सरकारों ने कई विधेयक प्रस्तुत किये हैं। इस जमाने में राज्यों में प्रचलित ज़मींदाराना स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ है।

अधिकतम सीमा तथा प्रतिकर के मामले में मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के साथ-साथ इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी विचार किया है। १९५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने, जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्री भी सदस्य होते हैं, यह कहा था कि भूमि सुधार का और खास तौर पर अधिकतम सीमा का प्रश्न अनौपचारिक रूप से यथा-संभव शीघ्र हल किया जाना चाहिए। यह भी तय किया गया था कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुधार कार्य १९५९ से पहले समाप्त कर देना चाहिए। इसी कारण हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया था।

मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर शीघ्रता में विचार नहीं किया गया है। इस पर पूरी तरह विचार किया गया है। सभा में जब इस विधेयक को तथा अन्य दोनों विधेयकों को संयुक्त समिति में भेजने के प्रस्ताव पर विचार हुआ था उस समय भूमि सुधार के सम्बन्ध में समस्त भारत के लिए योजना आयोग की योजना में से कुछ अंश हमें उपलब्ध थे।

उसके बाद माननीय श्री गुलजारी लाल नन्दा के सभापतित्व में भूमि सुधार संबंधी एक समिति नियुक्त हुई थी जिसमें कुछ संसद् सदस्य भी थे। उस समिति ने कुछ निर्णय किये थे जो अब इस विधेयक के अंग हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं किया गया है। ठीक भी है कि भूमि सुधार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर धीरे-धीरे विचार किया जाये। यह बात मैंने श्री शर्मा की इस आपत्ति के उत्तर में बताई है कि नियंत्रण तथा छूट के उपबन्ध विधेयक के मूल उपबन्धों से भी अधिक हैं।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि जमीन मकान आदि की सम्पत्ति को तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति को समान नहीं समझना चाहिए। ये अलग-अलग प्रकार की सम्पति हैं और इस समय अन्य चीजों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न उठाना ठीक नहीं होगा। ज़मीन के ज़रिये भी विनियोजन किया जा सकता है; अन्य मामलों के सम्बन्ध में सरकार ने जो कार्यवाहियां की हैं वह समाजवादी ढंग की ही हैं।

नगरीय सम्पत्ति को लीजिए। उन पर कितनी ही प्रकार के कर लगे हैं इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि सरकार देहाती जनता तथा नगरीय जनता में भेदभाव करती है।

कुछ माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि नगरपालिका अथवा अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की कुछ अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। क्या ऐसा करना संभव है? सरकार जनता के लाभार्थ भूमि का अर्जन करती है और जब नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि आ जाती है तो उस कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा के वही नियम लागू नहीं हो सकते। इसलिये इस आधार पर अन्तर नहीं किया जाना चाहिये।

[श्री दातार]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विधेयक के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम ग्रामवासियों को नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं। सच तो यह है कि यह विधेयक ग्रामवासियों के लाभ के लिए ही प्रस्तुत किया गया है। हमारे देहातों में अधिकांशतः भूमिहीन मज़दूर हैं और हमारा विचार है कि अधिकतम सीमा निर्धारण से जो अतिरिक्त भूमि हमें मिलेगी उस भूमि को हम इन भूमिहीन किसानों को देंगे।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कृषि भूमि को लाभ या विनियोजन का ही जरिया नहीं समझना चाहिए। मान लीजिये किसी बैंक में मेरे कुछ शेयर हैं तो इन शेयरों से होने वाली आय मुझे ही मिलेगी ; उसमें किसी दूसरे आदमी का सवाल नहीं आता। परन्तु जमीन की जायदाद के बारे में यह समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले वास्तविक कृषक के हितों का ध्यान रखना होगा। इसी उद्देश्य से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अतिरिक्त भूमि को हम अपने कब्जे में कर लें। हम इस अतिरिक्त भूमि को नगरीय हितों के कारण नहीं ले रहे हैं। इस भूमि को लेकर हम भूमिहीन किसानों को देंगे। यदि इस बात को समझ लिया जाये तो बहुत सी गलतफहमी दूर हो जायेंगी।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि क्या यह विधेयक एक नमूना विधेयक है। मैं अपने मित्र श्री त्यागी को बताना चाहता हूं कि भूमि का विषय राज्य का विषय है और इसके बारे में विधान राज्य विधान मंडल बनाते हैं। कुछ राज्यों में अधिकतम सीमा निर्धारित की भी जा चुकी है। इसलिए सामान्यतः हम यह कहते हैं कि यह विधेयक एक नमूना विधेयक है, क्योंकि इसको केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली राज्य क्षेत्र के लिये, जो उसके प्रशासनाधीन है बनाया है।

जैसा मेरे मित्र श्री जगन्नाथ राव ने कहा है कि राज्य सरकारें तथा राज्य विधान मंडल सामान्यतः इस सिद्धान्त का पालन कर सकती हैं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस सामान्य सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आखिर हम सभी उत्सुक हैं कि किसानों और भूमिहीन कृषि मज़दूरों के हितों की यथासंभव रक्षा की जाये।

प्रतिकर का प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में मतभेद होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसी आधार पर इस विधेयक की कटु आलोचना की है। इस प्रश्न पर कार्यकारी दल ने विचार किया था और उन्हीं के निर्णयों के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम जानते थे कि इस प्रश्न पर निश्चित रूप से यह आपत्ति उठाई जायेगी कि इसमें भेदभाव किया जायेगा। परन्तु भेदभाव का कोई सवाल नहीं उठता। भूमिसुधार समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४५ पर इसका उल्लेख है और इसका सारांश यह है : "भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना राष्ट्र हित में है। परन्तु हमने यह भी समझा है कि बहुत से भू-स्वामियों के सम्पत्ति अधिकार इससे कम होंगे और वह यह मांग कर सकते हैं कि इसी प्रकार की सीमायें अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर भी लागू की जानी चाहिएं। परन्तु हम उनकी इस मांग से सहमत नहीं हैं क्योंकि कुछ थोड़े से लोग यदि जमीन पर एकाधिकार रखें तो देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता।"

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार भूमि का अर्जन अपने लिए नहीं कर रही है। यदि हम प्रतिकर की राशि बढ़ायेंगे तो जिन भूमिहीन किसानों को यह अतिरिक्त भूमि दी जायेगी उन पर इस खर्चे का उतना ही अधिक भार पड़ेगा। १९५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद्

ने यानी राज्यों के मुख्य मंत्रियों आदि ने इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया था। अब मामला देश के सामने है और प्रतिकर के सिद्धान्त संसद् को निर्धारित करने हैं। सरकार तो केवल एक माध्यम है। यदि संसद् चाहे तो दर बढ़ा सकती है परन्तु इसका भार भूमिहीन किसानों पर ही पड़ेगा, यह समझना चाहिए। यह संभव नहीं है कि सरकार इस भूमि को लेने की वित्तीय जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि १९५४ में दिल्ली विधान सभा में इस सम्बन्ध में जब अधिनियम पारित किया गया था उस समय उन्होंने भू-राजस्व का २० प्रतिशत प्रतिकर रखा था परन्तु हमने अब ४० प्रतिशत की व्यवस्था रखी है। हमें दोनों पक्षों का ख्याल रखना है। यह कहना गलत है कि हमने देहाती जनता का अधिक ध्यान रखा है। हमने तो इसी सिद्धान्त के आधार पर यह उपबन्ध बनाये हैं कि भूमिहीन मजदूरों को लाभ हो।

यह कहा गया कि मुख्य आयुक्त को बहुत अधिकार दे दिए गए हैं। वह दिल्ली प्रशासन के प्रधानाधिकारी तथा भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रधानाधिकारी को कुछ अधिकार दिए जायें। संभवतया माननीय सदस्यों ने खण्ड २६ को ठीक तरह से नहीं पढ़ा। विधेयक की तिथि के बाद किए गए कामों के लिए छूट नहीं दी जा सकती है। राष्ट्र के लाभार्थ किये जाने वाले कार्यों या अनाज की पैदावार बढ़ाने आदि के लिये किये गये कामों के बारे में एक परन्तुक में व्यवस्था है। यदि खेती का कोई विशेष फार्म पहले से बना हुआ है तो उसको छूट दी जा सकती है परन्तु नया फार्म अब नहीं बनाया जा सकता है। पशुपालन, डेरी, भेड़ पालने आदि के लिए काम में लाई गई भूमि के बारे में उपबन्ध रखे गये हैं। उपबन्ध देखने का प्रयत्न करते तो वह ऐसी बात नहीं कहते। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि राष्ट्रहित में या किसानों के हित में कोई काम किया गया हो तो उसको छूट दी जा सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभी को जिनके पास विशेष फार्म हैं, छूट दे दी जायेगी या उन्हें बहाना मिल जायेगा जिससे वे छूट ले सकेंगे। मेरे मित्र ने कहा कि एक खास तिथि रखी गई है; हमारा कहना है कि जिस दिन माननीय गृह-मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने की सर्वप्रथम सूचना दी थी वह तिथि महत्व रखती है क्योंकि अगर हम वह तिथि नहीं रखते हैं तो विधेयक का उद्देश्य समाप्त हो जाता, क्योंकि विधेयक प्रस्तुत करने की तिथि और इस घोषणा की तिथि के बीच की अवधि का अनुचित लाभ उठाया जा सकता था। सभा जानती है कि हमने सामान्य न्याय के आधार पर कुछ सिद्धान्त बनाये हैं और उन्हीं के अनुसार हमने इस विधेयक के उपबन्ध बनाये हैं। हमने अतिरिक्त भूमि को लेने के उद्देश्य से यही व्यवस्था रखी है कि घोषणा की तिथि तथा विधेयक प्रस्तुत करने की तिथि के बीच की अवधि में किये गये सौदों को आवश्यकता पड़ने पर, अमान्य किया जा सकता है।

'परिवार' के सम्बन्ध में भी हमने कोई गलत बात नहीं की है। यह कहना गलत है कि हिन्दू विधि का उल्लंघन किया गया है। हमारे देश में पांच व्यक्तियों का परिवार माना जाता है। इस कारण हिन्दू विधि का उल्लंघन नहीं होता। यदि बेटे अथवा भाई एक हिस्से के अधिकारी हैं तो वह अपनी अलग इकाई बना सकते हैं अथवा इस इकाई में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे हिन्दू परिवार के प्रति अन्याय होता हो। एक कृषक परिवार सामान्यतः किसान, पत्नी तथा अन्य कुछ व्यक्ति से बना होता है, इसीलिए यह संख्या रखी गई है। हिन्दू विधि के अधीन दिए गए अधिकारों को छीना नहीं गया है।

†श्री त्यागी : अवयस्क पुत्र तथा वयस्क पुत्र में अन्तर क्यों रखा गया है।

†श्री दातार : क्योंकि वह आश्रित होता है तथा वयस्क हो जाने पर वह अपना अलग परिवार बना सकता है।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है तथा सरकार ने इसको इसलिए प्रस्तुत किया है जिससे देश की उच्चतम विधान सभा की राय इस बारे में जानी जा सके। मुझे विश्वास है कि दिल्ली क्षेत्र के गरीब किसानों को इससे लाभ होगा। मुझे आशा है कि राज्य विधान सभायें भी इस प्रकार के विधेयक यथासम्भव शीघ्र पारित करेंगी।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : (हिसार) श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रति एकड़ भू-राजस्व औसतन कितना है। अगर आप हमें यह बता दें तो हमें पता लग जायेगा कि प्रतिकर कितना होगा।

†श्री दातार : मैं समझता हूं कि कहीं कहीं यह प्रति एकड़ एक रुपये से भी कम है लेकिन सब से अधिक शायद ४ रुपये से ६ रुपये प्रति एकड़ है। यह ठीक है कि हम ने भू-राजस्व के आधार पर प्रतिकर का उपबन्ध किया है परन्तु सभा यह भी जानती है कि नई विधि के अनुसार काश्तकार को लगान भू-राजस्व के आधार पर ही देना होगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा अब अगली बार होगी। हम अब अगला विषय लेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

†सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अट्ठावनवें प्रतिवेदन से जो ९ मार्च १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अट्ठानवें प्रतिवेदन से जो ९ मार्च १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा द्वारा २६ फरवरी १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा होगी :

"कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश में कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और अधिक अच्छे समन्वय तथा सुधार के लिए मार्गोपाय सुझाने के लिए संसद सदस्यों और देश के कृषि विशारदों तथा कृषि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

श्री मल्होत्रा अपना भाषण जारी रखें ।

†श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : पिछले दिन मैं ने देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्व पर प्रकाश डाला था । इस तथ्य को हम सभी स्वीकार करते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में कृषि का बहुत महत्व है । इसीलिए मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । पिछले कई सालों से हमारी अनेक गवेषणा योजनायें तथा कार्यक्रम चल रहे हैं । परन्तु उन से हमारे किसानों का कितना लाभ हुआ है ? यदि मेरे संकल्प के अनुसार कृषि गवेषणा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए समिति नियुक्त की जाय तो सरकार तथा विभिन्न गवेषणा संस्थाओं को बहुत लाभ होगा ।

जहां तक उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न का सम्बन्ध है यदि हम गेहूं की पैदावार का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि १९४९-५० में प्रति एकड़ उत्पादन ५८४ पौंड था परन्तु १९५७-५८ में ५७८ पौंड ही रह गया है । अर्थात् दस वर्षों में उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हो गया है । अतः हमें अपने गवेषणा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संदेह होना स्वाभाविक है । पता नहीं विभिन्न संस्थाओं में क्या किया जा रहा है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : माननीय सदस्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि १९५७-५८ में चारों ओर सूखा पड़ गया था ।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : मेरा निवेदन है कि गवेषणा की सार्थकता तो इसी बात में है कि चाहे कोई भी संकट आ जाय हमारा उत्पादन कम नहीं होना चाहिए ।

इस के बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि कृषि के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों तथा आयोगों ने क्या सिफारिशें की हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है । सब से पहले १९२८ में जो रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था उसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में कृषि गवेषणा की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था को राज्यों के कृषि विभागों के निकट सम्पर्क में लाया जाय और विभिन्न राज्यों में भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए । मैं ने इसके सम्बन्ध में बहुत निकट से जांच की है और मेरा विचार है कि अभी तक केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार का समन्वय नहीं स्थापित हुआ है ।

उस के बाद १९४६ में डा० स्टीवर्ट ने अपना प्रतिवेदन दिया था जिसमें कृषि गवेषणा सम्बन्धी संगठन के प्रश्न की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच किये जाने की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

सिफारिश की गई थी। फिर कृषि गवेषणा और शिक्षा सम्बन्धी भारत-अमरीकी संयुक्त दल का प्रतिवेदन है जिस में यह कहा गया था कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था और भारतीय पशुचिकित्सा गवेषणा संस्था में गवेषणा कार्य तो अच्छा होता है परन्तु वे केन्द्र और राज्यों के कार्यक्रमों में समन्वय करने में असफल रही हैं।

इसी प्रकार १९५८ की कृषि प्रशासन समिति और फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कृषि उत्पादन दल के प्रतिवेदनों में भी कृषि गवेषणा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया है कि इस समस्त प्रश्न के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। मेरा विचार है कि कृषि गवेषणा के सम्बन्ध में किसान और गवेषणा करने वालों के बीच अत्यन्त निकट सम्पर्क होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि किसान अपनी कठिनाइयां गवेषणा करने वालों को बतायें। वे लोग गवेषणा करके किसानों को नये तरीके बतायें तथा किसान उनका प्रयोग करके फिर अपनी कठिनाइयां उनके सामने रखें। जब तक इस प्रकार का सम्पर्क नहीं होगा तब तक गवेषणा का कोई लाभ नहीं होगा।

कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम के दो पहलू हैं—प्रविधिक एवं प्रशासकीय। जहां तक प्रविधिक पक्ष का संबंध है मेरा विचार है कि गवेषणा के विषयों के सम्बन्ध में किसानों से परामर्श किया जाना चाहिए। प्रशासकीय पक्ष के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि जिन परिस्थितियों में हमारे कर्मचारी गवेषणा कार्य कर रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। हाल में एक वैज्ञानिक ने आत्म हत्या की थी। मेरा निवेदन है कि जब तक काम करने की परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी तब तक उसमें सफलता की आशा कैसे की जा सकती है?

हमारे देश में कृषि गवेषणा सम्बन्धी अनेक संस्थायें हैं। मैं समझता हूं उनकी संख्या २० के लगभग है। उनके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय फार्मों में भी गवेषणा कार्य किया जाता है। फिर राज्यों के कृषि विभाग भी कृषि गवेषणा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। और भी बहुत से संगठन हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कृषि गवेषणा कार्यक्रमों से सम्बन्धित हैं। परन्तु खेद है कि उन सब के कार्य का समन्वय करने के लिए कोई भी संगठन नहीं है। इससे दो हानियां होती हैं। एक बात तो यह है कि एक ही कार्य कई संस्थायें कर सकती हैं और दूसरे जो गवेषणा सम्बन्धी सूचना होती है वह सारे देश में प्रसारित नहीं हो पाती।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् पिछले ३० सालों से काम कर रही है। परन्तु मेरा विचार है कि उसका कार्य कागज तक ही सीमित रहा है जैसे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करना और योजनायें मंजूर करना। वास्तव में उसे विभिन्न संस्थाओं के गवेषणा कार्य का समन्वय करना चाहिए। खेद है कि यह कार्य उसने नहीं अपनाया है।

इस के बाद भारतीय कृषि गवेषणा संस्था आती है जिसके सम्बन्ध में सरकार का यह दावा है कि वह भारत में कृषि गवेषणा का मुख्य केन्द्र है। यह संस्था ५० साल से गवेषणा कार्य कर रही है परन्तु चूंकि काम सही लाइनों पर नहीं हो रहा है इसलिए इतने समय में भी हमारे देश की खेती में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका है। इस संस्था में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वह १९४७ के पूर्व का है जब कुछ अंग्रेज गवेषणा कार्य में लगे हुए थे। मेरा विचार है कि १९४७ के बाद इस संस्था ने कोई महत्वपूर्ण गवेषणा नहीं की है।

हमारे यहां गन्नों की फसल प्राय: लाली रोग से खराब हो जाती है । इस रोग के सम्बन्ध में इस संस्था ने केवल इतना ही कहा है कि रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ देना चाहिए जो साधारण ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति कह सकता है । परन्तु उसके नियंत्रण के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है । इसी प्रकार गेहूं में लगने वाला एक रोग है जिसे अंग्रेजी में 'लूज स्मट' कहते हैं । उसके नियंत्रण के सम्बन्ध में भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संस्था के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जानी चाहिए । १९४७ के बाद यह संस्था अपने विस्तार में लगी है और गवेषणा कार्य की उपेक्षा हो रही है ।

फिर भी पिछले वर्ष इस संस्था को कृषि विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया है । यह बड़ी हास्यास्पद चीज है । वहां पर शिक्षण कार्य का संगठन तो अमेरिका की लाइनों पर किया जा रहा है परन्तु गवेषणा कार्य की वैसी ही स्थिति चल रही है । मेरा निवेदन है कि गवेषणा विश्व-विद्यालयों में पढ़ाने वाले तथा गवेषणा कर्मचारियों के बीच पूर्ण समन्वय होना चाहिये ।

कृषि गवेषणा कार्यक्रम के प्रशासकीय पक्ष के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों में फाइलों का काम बहुत बढ़ गया है । बड़े बड़े मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन निकाले जाते हैं जिन की कोई उपयोगिता नहीं है । गवेषणा संस्थाओं को केवल वैज्ञानिक महत्व की चीजें प्रकाशित करनी चाहियें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस संकल्प को स्वीकार करें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री पद्म देव (चम्बा): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के प्रयत्नों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । मुझ कई अनुसंधानशालाओं को और कई ऐसे क्षेत्रों को, जहां उन अनुसंधानों को कार्या-न्वित किया जा रहा है, देखने का मौका मिला है । उस से ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि विभाग काफ़ी प्रयत्न कर रहा है इस बात का कि अपने देश में कौन से फल अधिक मात्रा में उपज सकते हैं, किस वायु-मंडल में उपज सकते हैं और कौन कौन से अनाज किस किस वायु-मंडल में आसानी के साथ अधिक मात्रा में उपज सकते हैं । मुझे इस किस्म के क्षेत्रों को देखने का मौका मिला और जब उन क्षत्रों की अनुसंधानशालाओं को देखता हूं, तो दिल में काफ़ी आशा बंधती है । और ऐसा प्रतीत होता है कि हम काफी तेजी के साथ आगे जा रहे हैं, और जब आंकड़े पढ़ते हैं हर साल अनाज की उपज के तो उस में भी कुछ वृद्धि नजर आती है । इसके साथ ही यह भी हमारी जनता का बड़ा प्रशंसनीय उत्साह है कि जितना सरकार अधिक अनाज बचाने का प्रयत्न करती है उतना ही अधिक वह पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि अनाज आसानी से खाया जा सके ।

आज इस में कोई शक नहीं कि इन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी अनाज हमारा देश खरीदता है, और परमात्मा न करे, अगर आज कोई ऐसी घटना हो जाय जिस से अनाज बाहर से न आ सके, या कोई युद्ध ही हो जाय, तो दुश्मन को हमें मारने के लिये अधिक प्रयत्न नहीं करना होगा । अगर अनाज का आना ही बन्द हो जाय तो ज्यादातर लोग उस से मर सकते हैं । इस लिये आज जबकि हमारा बहुत बड़ा देश है, महान् देश है, राष्ट्रों के अन्दर आज हमारी मान्यता और गण्यता है, तो इस पर विचार करना होगा कि हम अपने देश के अन्दर अनाज के सम्बन्ध में स्वास्वलम्बी कैसे बनें । यह बहुत बड़ा अभिशाप है और एक कलंक है कि हमारा इतना बड़ा देश रोटी के लिये दूसरों पर निर्भर करे, जबकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर ८० प्रतिशत जनता कृषि के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पद्म देव]

ऊपर अपना निर्वाह करती है। जैसा अभी प्रस्तावक महोदय ने कहा, जहां तक आज हमारी सरकार के, हमारे मंत्रिमंडल के या हमारे नेताओं के विचार शास्त्र का ताल्लुक है, उस में तो आज त्रुटि है ही नहीं, जहां तक विचारों का सम्बन्ध है वह बाल की खाल उधेड़ना ही चला जा रहा है, आज से नहीं, इस देश की परम्परा रही है इस किस्म की। लेकिन जहां तक काम शास्त्र का ताल्लुक है, उसे कार्य के अन्दर कैसे लाना है . . . . . .

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : काम शास्त्र ?

श्री पद्म देव : कार्य शास्त्र, कार्य किस तरह करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : काम उन्हों ने उर्दू से लिया और शास्त्र हिन्दी से।

श्री पद्म देव : मैं उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं। पता नहीं क्यों हमारे इस सदन के माननीय सदस्य इस का अर्थ काम से ही क्यों लेते हैं। दूसरे अर्थ भी तो लेने चाहियें। उन के दिमाग में काम की बात ही क्यों उठा करती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक विचारों को कार्यान्वित करने का प्रश्न है, वह हमें आज बहुत कम नजर आता है। इसलिये आज जितने प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से इस देश में हो रहे हैं, हमें जानना चाहिये कि वे सफलीभूत नहीं हो रहे हैं। मैं भी महसूस करता हूं कि काफी बड़ी रिपोर्ट, काफी बड़े विचार देश में प्रचारित और प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि इतना काम हो गया, तो ऐसी बात नजर नहीं आती। इसलिये मैं इस गवर्नमेंट और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि एक तो यह कि हमारी जो योजनायें दिल्ली में चलती हैं वह सारे देश के लिय एक जैसी चलती हैं। हिमाचल में आप जाइये, कश्मीर में चले जाइये, आसाम में चले जाइये, दक्षिण में कितनी चीजें होती है, आज एक ही प्रकार की योजना पर विचार किया जाता है। इस में कई दफा बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। जैसेकि कश्मीर या हिमालय है उस में अनाज पैदा नहीं होता, फल हो सकते हैं, लकड़ी काफी हो सकती है रिसर्च इस किस्म की होनी चाहिये जोकि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग चीजों के बारे में हो। जैसे दक्षिण है वहां नारियल ज्यादा पाया जाता है, या चावल है, कोबो है, रागी है, इस किस्म की रिसर्च वहां होनी चाहिये जो इन को लाभ पहुंचा सके। इसी तरह से कई जगह अनाज नहीं हो सकता, मछलियां हो सकती हैं, या इस किस्म की और चीजें हो सकती हैं जिन से हम देश के लिये किसी तरह से खाद्य काफी मात्रा में बचा सकते हैं, उन के लिये भी इस किस्म की रिसर्च होनी बहुत जरूरी है। हम यहां पर बैठ कर गेहूं के बारे में रिसर्च करते हैं, जो गेहूं यहां पैदा हो सकता है, वह हिमाचल में पैदा नहीं हो सकता। हमारे देश की भिन्न-भिन्न स्थिति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजों का अनुसरण होने की जरूरत है।

मुझे खुशी है कि हिमाचल में जो हमारा कृषि विभाग चल रहा है उस ने फल की तरफ कुछ अनुसन्धान किये हैं। हर साल २ या ३ लाख नये पौदे फलों के लगाये जाते हैं। दस वर्षों के अन्दर देश देखेगा कि कितना फल हिमाचल पैदा करता है और देश को देता है। इसी तरह से जहां चावल पैदा होता है वहां चावल की ज्यादा रिसर्च की जाय। सारे देश में भिन्न-भिन्न वातावरण में भिन्न-भिन्न प्रकार के जो खाद्यपदार्थ पैदा हो सकते हैं वहां के लिये उसी तरह की रिसर्च होने और अनुसंधान होने की जरूरत है। मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि जो सात या आठ योजनायें इस वक्त चली हुई हैं वह एक ही बना दी जायें क्योंकि जैसा मैं ने निवेदन किया हिमाचल के लिये अलग, कश्मीर के लिये अलग दूसरी जगहों के लिये अलग, जैसी जहां की स्थिति हो, उस के मुताबिक वहां अनुसंधान

किया जाय, तो देश के अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अच्छी प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। यहां पर इस के बारे में भी यह बात कही जा सकती है कि विचार तो किया ही जाता है। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि किया तो जा रहा है, कागजों के अन्दर सारी बात आती है, लेकिन मेरे खयाल में जो माननीय सदस्य का प्रस्ताव था वह यह था कि जहां तक सरकारी कागजों का सवाल है, यहां से, सेन्टर से, कोई योजना स्टेटों में जाती है तो उस को हुक्म समझा जाता है, और उसे हुक्म के अन्दर जो सब से बड़ी बात समझी जाती है वह यह है कि जो धन राशि निश्चित की गई है उस काम के लिये उस को खर्च करने की योग्यता हो। उस से परिणाम क्या निकलेगा, इस के ऊपर योग्यता निर्भर नहीं करती। एक दफा बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं भी मिनिस्टर बना। उस वक्त मैं ने यह कोशिश की कि रुपया किफायत से खर्च किया जाय। उस पंचवर्षीय योजना के लिय जो रुपया निश्चित किया गया था वह पूरी तरह से खर्च नहीं हो रहा था, तो फिर यह कहा गया कि इस में तो बड़ी भारी नालायकी है अगर यह खर्च नहीं होता। मैं ने कहा कि इस तरह से रुपये का दुरुपयोग हो जायगा, तो सुना गया कि योग्यता इसी बात में है कि पूरा पैसा खर्च हो। आज भारतवर्ष के अन्दर यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि पैसा बुरी तरह से खर्च किया जा रहा है और उस का उतना परिणाम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिये था। इस का हमें बड़ा खेद है और सब को होना चाहिये। इस का कारण यह है कि आज कोई स्टेट मशीनरी ऐसी नहीं है जो इन सारे कार्यों को प्रोग्राम बना कर नहीं, यदा कदा देखने का प्रयत्न करे और अपनी रिपोर्ट उन के सम्बन्ध में भेजे कि कितनी प्रोग्रस हुई या प्रगति हुई। अगर इस के बारे में देख रेख होती रहे तो उस का परिणाम यह होगा कि काम करने वाला भी यह समझेगा कि कल हमारे काम की रिपोर्ट होनी है इसलिये ठीक ढंग से काम होना चाहिये और खर्च करने वाला भी सोचेगा कि जो कुछ खर्च होगा उस की जांच पड़ताल होगी इसलिये वह भी ठीक ढंग से होना चाहिये। अगर इस तरह से एक मशीनरी का आपस में संगठन हो और इस ढंग से काम चले तो जो खर्च किया जा रहा है उस का लाभ मिलेगा और जो हमारी खाद्य समस्या है वह भी हल हो सकेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, जैसा मैं ने निवेदन किया रुपया तो खूब खर्च हो रहा है मगर काम लोग पूरी तरह से नहीं करते, या करना नहीं चाहते। फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मामला चलता रहता है, एक सुपरिन्टेंडेंट से दूसरे सुपरिन्टेंडेंट और उस से तीसरे सुपरिन्टेंडेंट तक जाता है और काम का मल्टिप्लिकेशन होता रहता है और जहां तक कार्य का सम्बन्ध है उस के अन्दर डटरियारेशन, अवगति, दुर्गति और अधोगति होती रहती है।

तो मैं यह चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में विचार किया जाय, विचार करना बहुत जरूरी है, कि किस तरीके से हम अपने कृषि के काम से देश को खाद्य के मामले में स्वावलम्बी बनायें। इस के बारे में जितनी रिसर्च हो रही है, उन सारी रिसर्च की हुई चीजों का विस्तार अपने देश के अन्दर कैसे किया जाय, इसकी देख भाल के लिये इस तरह की मशीनरी का होना बहुत जरूरी है। अगर यहां इस प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे जोजफ साहब ने अपनी हत्या कर ली, तो यह ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो यह सोचे कि चूंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इस लिये चलो छलांग लगा कर अपने को मार दो, तो मैं इसे बहुत बड़ी नपुंसकता समझता हूँ। हर एक आदमी को इस संसार के अन्दर खूब चेष्टा करनी चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि अगर उसे अवसर मिले तो उसका उपयोग करे। बगैर काम किये हुए गुजारा नहीं होगा और अगर कोई चीज देश को आगे ले जाने वाली है तो उसके लिये हमें प्रयत्न करना ही होगा। लड़ना पड़ेगा झगड़ना पड़ेगा। यमराज से भी मुकाबला करना होगा तब काम हो सकेगा। मैं इतनी ही बात उपाध्यक्ष महोदय इसके सम्बन्ध में कहना चाहता था कि इसके सम्बन्ध में जरूर कोई ऐसी मशीनरी हो जो इसकी देख भाल करे।

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना): मैं माननीय सदस्य को यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं । इस से देश में कृषि गवेषणा के महत्व पर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा । दूसरे समस्त देश में ऐसी गवेषणा के प्रचार की आवश्यकता प्रग होगी । तीसरे इससे विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं के सम्बन्ध में सहायता मिलेगी । माननीय मंत्री जी ने इस ओर जो उत्साह प्रदर्शित किया है वह स्तुत्य है । विश्व कृषि प्रदर्शनी से कृषकों को बहुत लाभ हुआ है तथा भारतीय कृषि गवेषणा संस्था इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है, तथापि देश में ऐसी संस्थाओं की संख्या बहुत कम है ।

यदि हम इस संबंध में इंगलैंड के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि वहां १९ सरकारी गवेषणा संस्थायें हैं इसके अतिरिक्त ३५ सरकारी सहायता प्राप्त संस्थायें हैं। रूस में ८०० कृषि गवेषणा संस्थायें हैं जो कि समस्त देश में फैली हुई हैं इनमें १९३०० कर्मचारी काम करते हैं इनकी तुलना यदि भारत से करें तो हमें अपनी तुच्छ दशा का ज्ञात होगा । इस संबंध में यदि हम व्यय के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि वर्ष १९६०-६१ में हमने इस मद में केवल ७८,७८,२०० रुपये की व्यवस्था की गई है । जब कि १९५९-६० में कनाडा में कृषि अनुसंधान गवेषणा में ३००लाख डालर व्यय किये गये । रूस तथा इंगलैंड में भी इस मद में काफी बड़ी रकम व्यय की जाती होगी ।

संकल्प में कहा गया है कि संसद् सदस्यों, मुख्य कृषकों और कृषि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाय जो देश के कृषि गवेषणा कार्य क्रम का मूल्याकन करें तथा उसके समन्वय और सुधार के संबंध में सुझाव देवें। यदि मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि सभा में कोई कृषि विशेषज्ञ सदस्य नहीं है तो सदस्यों को उसमें शामिल करना अनिवार्य नहीं है अन्य दृष्टियों से यह संकल्प उपयोगी है। वस्तुत प्रथम योजना के समय योजना आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस विषय पर विचार करने के लिये एक समिति बनायी जाय लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

भारत में कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है । उसका वैज्ञानिक रूप से विकास नहीं किया गया है । जब कि कृषि की वृद्धि के लिये ऐसा करना आवश्यक है । दुख की बात यह है कि कृषि सेवाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है नालागढ़ समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि उनको अधिक महत्व दिया जाना चाहिये ।

मेरे विचार से यह संकल्प उपयोगी और रचनात्मक है। इस से कृषि संबंधी गवेषणा को प्रोत्साहन मिलेगा अत : इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का वास्ता है, मैं समझता हूँ कि यह मानने योग्य है। इस सिलसिले में दो तीन चार बातों की तरफ और मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

चन्द दिन हुए जब उप मंत्री साहब ने--उसे वायदा तो नहीं कहा जा सकता--ध्यान दिलाया था कि नालागढ़ कमेटी ते एक एग्रीकल्चर कमीशन बनाने की सिफारिश की है । जैसे हमारे देश के हालात हैं, दाऐं और बाऐं ओर के दबाव से शायद वह कुछ पीछे हटना चाहते हैं गो कि उनको पीछे नही हटना चाहिए । अगर वह ऐसा कमीशन बनाते हैं तो देश की ७० फीसदी जनता की मनोभावना और हमदर्दी उनके साथ होगी। वह शायद प्लानिंग कमीशन के बड़े भाइयों की तरफ देखते हैं। लेकिन मैं उन से कहता हूँ कि आप हौसला करें क्योंकि दो साल बाद वह हौसला आपको प्लानिंग कमीशन के भाइयों के बनिस्बत ज्यादा काम देने वाला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अलावा एक दो बात और कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे पाटिल साहब ने, जिनको एक मजबूत आदमी कहा जाता है, यह ऐलान किया था कि प्राइस स्टेबोलाइजेशन (कीमत स्थिरीकरण) बोर्ड बनाने का इरादा रखते हैं, उसको भी मालूम होता है कि दाऐं बाऐं के दबाव से दबाने की कोशिश हो रही है। और यह जो कमेटी है यह तो एक मामूली सी कमेटी है। इसकी प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की थी और यह जरूरी है इसलिए कि आज इस काम पर बहुत काफी रुपया खर्च हो रहा है। इस बजट के अन्दर ५,२२,९९,००० रुपया एग्रीकल्चरल रिसर्च (कृषि गवेषणा) पर खर्च होगा। यही नहीं, रिसर्च को किसान तक पहुँचाया जाए इसके लिए भी देश के अन्दर काफी रुपया खर्च हो रहा है और वह भी करोड़ों की तादाद में है। वह खर्च कहां होता है? यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सारा मुहकमा इसके लिए बनाया गया, एक्सटेंशन का मुहकमा इसके लिए बनाया गया और पांच साल के अन्दर इस पर ५०-६० करोड़ रुपया खर्च हुआ। जो भाई इसके अन्दर नौकर हैं चाहे उनको तनख्वाह के लिए खर्चा हुआ हो, चाहे उनके भत्ते की शक्ल में खर्च हुआ हो, चाहे उनके लिए जीपों की शक्ल में खर्च हुआ हो या उनके लिए मकान बनाने में खर्च हुआ हो। तो ६० करोड़ रुपया उधर खर्च हुआ और बीस पच्चीस करोड़ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए खर्च हुआ। हमें इसका अन्दाजा लगाना जरूरी है। मुझे मालूम नहीं कि सरहदी साहब को क्या डर था कि उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया कि इस कमेटी में पार्लियामेंट के मेम्बर हों। मैं नहीं समझता कि अगर पार्लियामेंट के मेम्बर इस कमेटी में रहेंगे तो कोई नुकसान होने वाला है। वह क्यों घबरा गए। वह उसकी सिफारिश खुद नहीं करना चाहते, शायद इस वजह से कि वह वकील हैं और उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन मैं तो यह धृष्टता कर सकता हूँ कि मुझे खुद उस कमेटी का मेम्बर मंत्री महोदय बनाएं।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या आप बेकार हैं ?

चौ० रणबीर सिंह : एक तरह से बेकार हूँ कारण कि मेरे दिल में जो किसानों की सेवा करने की भूख है वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस कमेटी की मारफत मैं किसान के लिए, जिसने मुझे चुन कर भेजा है, दो आना चार आना सेवा कर सकूंगा। मैं किसानों द्वारा चुन कर १२ साल से इस सदन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ बदला चुका सकूं।

जिस प्रदेश से आप आते हैं उसी प्रदेश से मैं आता हूँ। आप जानते हैं कि उस प्रदेश के एक हमारे साथी हैं चौधरी रामधनी सिंह जी जो कि लायलपुर एग्रीकल्चर कालिज में थे और जिन्होंने ५९१ नम्बर का गेहूं पैदा किया था और इस के अलावा दूसरी किस्म के गेहूं पैदा किये। और इस तरह से उन्हों ने रिसर्च कर के खेती के लिये बहुत बड़ा काम किया। अगर आज कोई प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च से मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिये सिर ऊंचा कर सकता है तो वह पंजाब का प्रदेश है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी काउंसिल है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और बड़ी-बड़ी चीजें हैं, लेकिन उन के ऐसे सज्जनों का जिन्हों ने देश की इतनी बड़ी सेवा की है इन में कोई नाम नहीं है। आज मैं एस्टीमेट कमेटी की सन् १९५४ की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस के अन्दर उन्हों ने कहा है कि दूसरे देशों के अन्दर तो ७० साल के तक के जो आदमी रिसर्च का काम करने वाले हैं उन की सेवाओं से फायदा उठाया जाता है। उन्हों ने सिफारिश की है कि हमारे देश में कम से कम ६० साल तक उन की सेवाओं से फायदा उठाया जाये। लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारी काउन्सिल के अन्दर नामिनेशन होता है और राष्ट्रपति जी राज्य सभा में भी नामिनेशन करते हैं। लेकिन वहां आप के बड़े अच्छे गाने वालों और नाचने वालों के लिये जगह है लेकिन जिस ने देश की रिसर्च कर के सेवा की है और जिस ने देश का धन दौलत पैदा करने में मदद की है उस के लिये वहां स्थान नहीं है। इस का मुझे दुःख है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी तो सोशल सरविसेज में आ जाते हैं।

चौ० रणवीरसिंह : यह ठीक है लेकिन पता नहीं वह उस में क्यों नहीं आते। खाते तो इस के लिये कई हो सकते हैं, लेकिन कोई उन को लाता नहीं, यही मेरा गिला हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो माननीय सदस्य इलैक्शन में आ रहे हैं। वह अभी जवान हैं।

चौ० रणवीर सिंह : मुझे तो भगवान ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया है कि मैं कोई ५९१ या ५९२ या कोई और दूसरा नम्बर गेहूं देश के लिए पैदा करता और देश की आमदनी को बढ़ावा देता और जिन्होंने ऐसा किया है, मैं समझता हूं कि उनका हक मुझ से कहीं ज्यादा है और हमें उन को इलैक्शन से निकाल कर मौका देना चाहिए। मुझे गिला न रहे हमारे पंजाब के गवर्नर या राष्ट्रपति के नामीनेशन से, अगर डाक्टर साहब इंडियन कौंसिल आफ़ एग्रीकलचरल रिसर्च में उन से कुछ फायदा उठायें। जब से वह पेन्सन पर गए हैं, तब से वह लगातार कागज निकाल रहे हैं। चूंकि वह देहाती हैं, इस लिए वह उर्दू में ही छपवाते हैं, क्योंकि उर्दू के अलावा कोई दूसरा अखबार उन को छापेगा नहीं। अगर रिसर्च वर्कर देहाती हो, तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई उस की बात को सुनेगा। उन्होंने बहुत काम की बातें छपवाई हैं। उन्होंने गन्ने के पेरने और कोल्हू लगाने के बारे में लिखा है। एक-एक नुक्ता-ए-निगाह से, एग्रीकल्चरल इकनामिक्स के नुक्ता-ए-निगाह से उन्होंने काम किया है।

कम्यूनिटी प्राजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना रुपया खर्च किया गया है। मैं तो यह चाहता हूं कि यह महकमा बजाये उस भाई के, जिन्हें खेत से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, उन्हें सुपुर्द किया जाये, जिन का खेती से कोई वास्ता है। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आज हालत यह है कि रिसर्च का काम तो पाटिल साहब की मिनिस्ट्री करती है और उस को फैलाने का काम डे साहब करते हैं। इसका नतीजा यह है कि वह चीज किसान तक पहुंच नहीं पाती है और नाच-गाने में फंस जाती है। मैं यह चाहता हूं कि जिन भाइयों को खेती करने का तजुर्बा है, जो उस की कीमत को समझ सकते हैं, उन के साथ कम्यूनिटी प्राजेक्ट के महकमे को लगाया जाये। आज यह महकमा दो जगह है—रिसर्च कोई करता है और उस को फैलाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रेजोल्यूशन से बहुत दूर जा रहे हैं। वह मिनिस्ट्रीज की इन्टेगरेशन में जा रहे हैं।

चौ० रणवीर सिंह : मैं इस में जा रहा हूं कि रिसर्च को किसानों तक कैसे पहुंचाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त सवाल तो यह है कि रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई जाये।

चौ० रणवीर सिंह : जब सरकार का यह हिसाब है कि वह ग्रान कर भी पीछे हट जाती है, तो कम से कम मैं अपने विचार तो प्रकट कर दूं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बात का अन्दाजा लगाना चाहिए कि खेती की जो रिसर्च है, आया वह किसान तक पहुंची है या नहीं। इतना रुपया जो खर्च किया गया है, उसका क्या रिटर्न देश को मिला है, इसके लिए कमेटी की आवश्यकता है। पांच करोड़ से ज्यादा रुपया हर साल खर्च होता है और दस करोड़ इसको फैलाने में खर्च होता है। मैं चाहता हूं कि बहस

का जवाब देते हुए मंत्री महोदय मुझे यह बतायें कि क्या कोई ऐसी किताबें या पैंफलेट छापे गए हैं, जो यह बता सकें कि रोहतक जिले में कौन सी फसल कोई किसान बोए, जिस से ज्यादा से ज्यादा रुपया उस के पास पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि एक कागज भी ऐसा नहीं छपा है जिसको पढ़कर कोई किसान अन्दाजा लगा सके कि मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूं, मेरे पास पांच या दस एकड़ जमीन है, उस में ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए मैं क्या चीज बोऊं। जैसा कि मेरे भाई ने कहा है, रिपोर्ट छपती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं छपती है, जिस से किसान को फायदा पहुंचे। मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल इकनामिक्स के बारे में आंकड़ों के साथ पैंफलेट छपवाये जायें।

मैंने कम्यूनिटी प्राजेक्टस, एग्रीकल्चरल कमीशन और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड का जिक्र किया है। यह इस लिए ज़रूरी है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद एक करोड़ नहीं, १५०० करोड़ रुपए का अनाज बाहर से आया है। उस के अलावा २६० करोड़ रुपए की सबसिडी दी गई, ताकि शहरों में यह अनाज सस्ता बिक सके। इस तरह लगभग १७५० करोड़ रुपए का खर्च हुआ। यही नहीं, पहले पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के नतीजे के तौर पर जो तनख्वाह और भत्ते बढ़े, उन पर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम कोई १३००, १४०० करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इस तरह से कोई तीन हजार करोड़ के करीब रुपया खर्च हुआ है इस देश में बाहर से अनाज मंगाने के लिए, या सरकारी नौकरों या व्हाइट कालर्ड लोगों को सस्ता अनाज खिलाने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए खर्च होना चाहिए और इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि इस किस्म की कमेटी एपायंट हो। मैं यह मानता हूं कि एक्सपर्ट इस देश में बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कई दफ़ा एक्सपर्टस में और समाज के उस अंग में बहुत ज्यादा ताल-मेल नहीं होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग दफ्तर में—सैक्रेटेरियेट में—बैठते हैं, उनके डर की वजह से वे लोग खुल कर बात नहीं कर सकते। इस लिए मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर उस कमेटी में ज़रूर होने चाहिएं और मैं सरदार अजित सिंह सरहदी से इत्तिफाक नहीं कर सकता कि उस में पार्लियामेंट के मैम्बर न हों। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को मन्जूर करें और इस के साथ ही साथ यह आश्वासन भी दें कि इस देश में एग्रीकल्चरल कमीशन भी बनेगा और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड भी बनेगा।

श्री बजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। प्रस्ताव का समर्थन मैं क्यों नहीं करना चाहता, उस के लिए मेरे कारण करीब-करीब उसी तरह के हैं, उन्हीं आधारों पर हैं, जिन आधारों को ले कर चौधरी रणवीर सिंह या सरदार अजित सिंह सरहदी इन बातों को कह रहे हैं। उन को मैं चाहता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि इस तरह की समिति बनाने से उन चीज़ों को हम कहां तक पूरा कर सकते हैं। हमारी प्रवृत्ति कुछ इस तरह की हो गई है कि जब कोई मुसीबत आती है, या जब कोई कमी हमें दिखाई देती है, तो हम चिल्लाने लगते हैं कि उस के लिए एक समिति बन जानी चाहिए—कोई विशेषज्ञों की समिति या किसी और तरह की समिति और वह समिति इस काम की देख-भाल करे, जांच-पड़ताल करे और फिर अपनी रिपोर्ट दे। हमारी अपनी पद्धति में यह होता है कि जब कोई कमेटी बनती है, तो वह एक साल, दो साल और कभी कभी तीन साल तक ले लिया करती है। जब कोई कमेटी बनती है, तब फिर उसका एक स्तर कायम रखा जाता है कि उस पर इस तरह से खर्च होगा। इस तरह कमेटियों के बनाने में ही लाखों रुपये खर्च हो जाया करते हैं। जब कमेटी की रिपोर्ट आती है, तो उस के बाद जिस मंत्रालय से उस का सम्बन्ध होता है, उस में उस का अध्ययन होता

[श्री ब्रजराज सिंह]

है और उस के बाद फिर उस में यह विचार किया जाता है कि इस में किन-किन बातों पर हम अमल कर सकते हैं और किन-किन पर हम अमल नहीं कर सकते हैं। नतीजा यह होता है कि इस तरह की कमेटी बनाने के बाद, जिस प्रश्न पर हम कमेटी बनाते हैं, उस को कम से कम तीन चार साल के लिए टाल देते हैं। उस में कुछ हो नहीं पाता है। जब सदन में या बाहर उस के बारे में आवाज उठाई जाती है, तो सरकार के लिए बहाना होता है कि इस के लिए कमेटी बनी हुई है, वह जांच-पड़ताल कर रही है, जब तक वह रिपोर्ट न दे, तब तक इस बारे में कुछ करना सम्भव दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि यदि इस समस्या पर भी हम कमेटी बना देते हैं, तब तो सरकार के पास एक हथियार मिल जायगा। वह कहेगी कि कृषि के अनुसंधान के कार्य की जांच-पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक जो कुछ हो रहा है, वह काफ़ी है, हम इस में क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। असल में मैं इसलिए इस का विरोध करता हूं कि अगर यह कमेटी बन जाती है, तब तो सरकार से हम जो आशा कर सकते हैं, जो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी कृषि की तरफ़ उस का ज्यादा ध्यान जाये, वह नहीं जायगा।

आज क्या स्थिति है? अभी तक कम कमेटियां हैं क्या? इस की जांच-पड़ताल करने के लिए, इसी से सम्बन्धित श्री अशोक मेहता की कमेटी बनी। उस ने रिपोर्ट दी। क्या उस की सारी सिफारिशों पर अमल कर लिया गया है? जैसा कि अभी मेरे लायक दोस्त चौ० रणवीर सिंह ने जिक्र किया है, चाहे कृषि कमीशन बनाने की बात हो, चाहे खेती की पैदावार की कीमत तय करने की बात हो, क्या सरकार ने उन के बारे में कोई कार्यवाही की है? खेती की पैदावार का किसान को कितना दाम मिलना चाहिए, अन्न पैदा करने में किसान का कितना खर्चा होता है, अपने खानदान को चलाने के लिए उसे कितने पैसे की ज़रूरत होती है, इन सब बातों को देखते हुए खेती की पैदावार की कीमत तय हो सके, इस के बारे में भी उन्होंने कुछ सिफ़ारिशें कीं। क्या सरकार ने उन पर अब तक अमल किया?

नालागढ़ कमेटी की रिपोर्ट का ज़िक्र पहले भी इस सदन में हुआ है और एक ऐसे माननीय सदस्य के द्वारा हुआ है, जो पहले सरकार के खाद्य और कृषि मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा है कि वह लगातार प्रयत्न करते रहे कि नालागढ़ कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की जाये, लेकिन हमारे ऊपर एक सुपर-कैबिनेट बैठी हुई है और उस सुपर-कैबिनेट ने कहा कि अभी उस पर अमल नहीं किया जायगा। उस दिन प्रधान मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया या किसी और की तरफ़ से कहा गया कि अब नालागढ़ कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। यही नहीं, आप देखेंगे कि खाद्य और कृषि मंत्रालय में इस बात के लिए एक वर्किंग ग्रुप मौजूद है, प्लैनिंग कमिशन के अन्दर अलग वर्किंग ग्रुप मौजूद है, हर जगह एक अलग वर्किंग ग्रुप मौजूद है, वह सब अपनी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इस का नतीजा क्या होता है? कहा जाता है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना हम बना रहे हैं उस के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय का जो वर्किंग ग्रुप है उस ने यह सिफारिश की थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्य और कृषि मंत्रालय को १,००० करोड़ रु० देने का विधान होना चाहिए खेती के विकास के लिए या इस मंत्रालय के कामों के विकास के लिए। यह तो खाद्य और कृषि मंत्रालय के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है। दूसरी ओर जो दूसरा साम्राज्यवाद है, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि आज कल जो हमारा सेट अप है या जो विभिन्न मंत्रालय हैं उन के अलग-अलग साम्राज्यवाद कायम हो गये हैं, कोई नहीं जानता कि उन में क्या हाल चाल हैं। टेलिफोनों की भरमार है, एक मिनिस्टर हैं,

उन के डिप्टी होंगे, उस के बाद दूसरे चलेंगे, सेक्रेटरी चलेंगे, उन के असिस्टेंट चलेंगे। हर एक पी० ए० और असिस्टेंट पी० ए० के पास टेलिफोन हैं। अगर आप मिनिस्टर से बातचीत करना चाहते हैं तो आप को पहले पी० ए० से तय करना होगा, फिर वह मिनिस्टर से तय करेंगे। परदे पर परदा पड़ा हुआ है, नतीजा यह होता है कि काम में देरी होती है। तो इस तरह से प्लैनिंग कमिशन का अलग जो वर्किंग ग्रुप है, उस ने कह दिया है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय को १,००० करोड़ नहीं ६०० करोड़ रु० देना चाहिए। प्रधान मंत्री के शब्दों में जो साम्राज्यवाद कायम हो गया प्लैनिंग कमिशन का वह १,००० करोड़ रु० के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस के लिए रुपया दिया जाना है उस की कोई परवाह नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हमारे सारे विचार का तरीका है वह गलत है। अगर आप कोई कमेटी बना देंगे तो उस से कोई काम होने वाला नहीं है। यह सारी समस्या को टाल देने वाला ढंग है। जैसी कि हमारे यहां यह परम्परा चली आ रही है कि जब अदालत के मातहत कोई मामला होता है तो उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे, वैसे ही अगर किसी कमेटी के मातहत कोई चीज़ दे दी गई तो वह काफी दिनों के लिए बन्द हो जाती है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। एक बहाना मिल जाता है कि जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देती है तब तक उस पर हम लोग बातचीत नहीं कर सकते।

असल समस्या यह है कि आज कल देश में खेती की समस्या पर विचार करने की इतनी जल्दी आवश्यकता है कि इस कमेटी की बात नहीं करनी चाहिये। जितना भी मसाला मौजूद है, उस मसाले को इकट्ठा कर लिया जाय और उस मसाले के मुताबिक उस पर काम करने की कोशिश की जाय। अगर हम पहली दो योजनाओं का विश्लेषण करें और तृतीय पंच-वर्षीय योजना के बारे में अब तक जितनी चर्चा चली है उसका विश्लेषण करलें तो नतीजा यह निकलेगा कि जो लोग निश्चित रूप से ६९ फी सदी इस पेशे पर निर्भर करते हैं, कुछ लोगों का तो कहना है कि वे ८० फी सदी हैं, लेकिन प्लैनिंग कमिशन की रिपोर्ट में ६९ फी सदी दिया हुआ है कि ६९ फी सदी लोग इस पेशे पर निर्भर करते हैं, उनके लिये अभी बहुत कुछ नहीं किया गया है। हम सोचें कि उन लोगों के लिये देश की दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितना रुपया खर्च किया गया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जिस के लिये ९९५० करोड़ दिया जा रहा है, इस पर कितना खर्च किया जायेगा। जो समाचार छप रहे हैं उनसे पता चलता है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय पर ६०० करोड़ रुपया खर्च होगा, कम्यूनिटी डेवेलपमेंट और कोआपरेशन पर जो इस से सम्बन्धित हैं, ४०० करोड़ रु० से कुछ कम खर्च होगा, और सिंचाई पर जो कि खेती से सम्बन्धित है, उस पर भी ५०० या ६०० करोड़ रु० खर्च होगा। इस तरह से कुल मिला कर ९९५० करोड़ में १६०० करोड़ रु० इन विषयों पर हम खर्च कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि समस्या यह नहीं है कि कोई कमेटी बना कर जांच पड़ताल की जाय। जांच पड़ताल तो बहुत काफी हो चुकी है। पूरा मसाला मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उस पर अमल कितना होता है। जो लोग यह चाहते हैं कि अमल हो नहीं, उनका यह बहाना रहता है कि कमेटी बनाओ और इस मसले को दो तीन साल के लिये टाल दो। कमेटी जांच पड़ताल करती रहे, गवाहियां लेती रहे, यात्रा करती रहे, फिर यात्रा में और बहुत सी बातें भी हो सकती हैं जिनमें आराम भी शामिल है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता, और यह सब करने के बाद जब दो, ढाई साल बाद कमेटी रिपोर्ट दे तब फिर कृषि और खाद्य मंत्रालय को मौका मिले कि उसकी जांच पड़ताल कराये। चार, छः महीने उसकी जांच पड़ताल वह करे और उसके बाद कहे कि कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उसने जो निर्णय दिये हैं, उन पर सरकार अमल करने में असमर्थ है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी दिक्कत है आपको? जब आज देश भर में सीमेंट की कीमत

[श्री ब्रजराज सिंह]

आप तय कर सकते हैं, कपड़े की कीमत आप तय कर सकते हैं, स्टील की कीमत आप तय कर सकते हैं, हर एक पैदावार के बारे में आप जानते हैं कि उस पर इतना खर्च होता है, उसके कारखाने से निकलने के वक्त इतना मूल्य है और इतने पर बिकना चाहिये, तब आप खेती की पैदावार के बारे में क्यों कीमत तय नहीं कर सकते, जिस पर इतने आदमी निर्भर करते हैं। इसमें आप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। लेकिन कहा जाता है, बार-बार सरकार के मंत्रियों की तरफ से कहा जाता है कि मुल्क में मुद्रास्फीति सिर्फ इसलिये बढ़ रही है, इन्फ्लेशन सिर्फ इसलिये बढ़ रहा है कि खेती की पैदावार जो है उसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई इसको देखता नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है उसके लिये, जिसके लिये अखबार में जगह नहीं है, जिसकी बात सुनी नहीं जाती है सारे देश में, जो मूक है। दूसरे लोग उसकी वकालत करते हैं। वह आयेंगे उसकी वकालत करने के लिये और यहां आकर अपने मवक्किल को हराने की कोशिश करेंगे, यह कहेंगे कि खेती की पैदावार बढ़ रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे का सारा सोचने का तरीका गलत है। अगर उसी तरीके पर सोचा जाता है तो न हिन्दुस्तान कभी खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो सकता है और न देश कोई तरक्की कर सकता है जिस तरक्की को हम चाहते हैं। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिये हमें अपने दृष्टिकोण में आमूल चल परिवर्तन करना होगा, फंडामेंटल चेंज लाना पड़ेगा और जब तक वह चेंज नहीं आता, तब तक यही होगा कि कमेटी को बना दो और मामले को टाल दो।

आज जो अनुसंधान हो रहे हैं उनको ही देखिये। मैं नहीं कहता कि अनुसंधान नहीं होने चाहियें। मैं मानता हूं कि अनुसंधान बहुत आवश्यक है। जो दो तीन हमारे इन्स्टिट्यूट हैं उनमें अनुसंधान हो रहा है, इसके लिये कोई नये इन्स्टिट्यट खोलने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिये कमेटी बना कर हम मामले को टाल दें, साल भर के लिये, छः महीने के लिये, दो साल के लिये, ढाई साल के लिये, तो यह बात अनावश्यक है। इस तरह तो हम समस्या को और आगे के लिये टालते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, जिन्होंने कि इस प्रस्ताव को पेश किया है, समस्या के असली पहलू पर जायें और सरकार के ऊपर जोर डालें। मेरे ख्याल में जहां तक कमिशन बनाने का सवाल है, कृषि की पैदावार के भाव को तय करने का सवाल है, उसके लिये कमेटी बनाने का सवाल है, तो किसानों की कमेटी बनाइये, जिसमें किसान को यह महसूस हो कि जो कुछ किया जा रहा है वह हमारे लिये किया जा रहा है। कम्यूनिटी डेवेलपमेंट में उन लोगों को रखिये जो कि किसानों के आदमी हों, जिनके लिये वे सोच सकें कि वे उनके लिये कुछ कर सकते हैं। शहरों के बाबुओं को मत भेज दीजिये जो कि कोट पैंट पहन कर गिट पिट करें। जब तक इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक न गांव की हालत सुधरेगी, न खेत की पैदावार बढ़ेगी और न जो प्रस्ताव का उद्देश्य है वही पूरा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

पंडित ठाक्कुर दास भार्गव (हिसार): जनाब स्पीकर साहब, मैंने जो तकरीरें इस रेजोल्यूशन पर सुनीं, मुझे अफसोस है कि उनमें से कई स्पीचेज के कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर बहुत कम रेलेवेंसी के थे। बाकी जो असली चीज है इस रेजोल्यूशन की उसमें दर्ज है और उसके ऊपर जो कुछ होना चाहिये....

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो चौधरी साहब ने कह दिया कि कमेटी मुकर्रर हो या नहीं, मैं तो अपनी बात कहूंगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): उन्होंने तो यह भी कहा था कि उनको कमेटी का मेम्बर बना दिया जाय।

चौ० रणवीर सिंह : मैं आपको भी मेम्बर बनवा दूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी जो मेरे दोस्त मुझ से पहले बोले थे उनकी सारी तकरीर का लुब्बो लोबाब यह था कि कमेटियों में हम जो कार्रवाई करते हैं, वह दुरुस्त नहीं है। उन्होंने बहुत माकूल वजूहात दीं, और सब को इसका तजुर्बा भी होगा कि कमेटी बनने से कई मामले टल जाते हैं। लेकिन यह कहना कि इस वजह से हम कमेटी न बनायें क्योंकि कमेटी का असर यह होता है कि रिपोर्ट आई, महकमे ने देखी, फिर हाउस में गई, फलां जगह उसमें देर लग गई और बहाना होता है, मेरे खयाल में यह माकूल वजह नहीं है जिसके ऊपर हम इस रेजोल्यूशन को अपोज कर सकें।

देखना यह है कि जो वजूहात हमारे मूवर साहब ने दी थीं वह वजूहात दुरुस्त हैं या नहीं, और हिन्दुस्तान के अन्दर इसकी जरूरत है या नहीं कि इस तरीके की कोई कमेटी बने जो इस काम को इवैलुएट करे और सजेस्ट करे **वेज ऐंड मीन्स फार बेटर कोआर्डिनेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट** (इस काम का मूल्यांकन करे तथा अधिक अच्छा समन्वय और सुधार करने के सम्बन्ध में सुझाव देवें)। मेरी नाकिस राय में यह भी रिसर्च का मामला है, जहां तक सवाल प्राइसेज का है, यह भी रिसर्च का मामला है, और जो दो तीन बातें मेरे लायक दोस्त ने कहीं उनमें रिसर्च की जरूरत है। लेकिन ताहम जिस रिसर्च का इस रेजोल्युशन में जिक्र है वह उससे थोड़ा डिफरेंट है। मैं अर्ज कर दूं। मुझे थोड़ा सा इस रिसर्च के मामले का पता है। बहैसियत मेम्बर इस हाउस के मैंने कई एक रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स देखे हैं। मसलन पोटैटो और राइस वगैरा। मैं ऐग्रिकल्चरल रिसर्च कौंसिल का भी मेम्बर हूं। मैंने कमोडिटीज कमेटीज को भी देखा है। मैं काटन कमेटी का भी मेम्बर हूं कुछ अर्से से। इसके अलावा यह सवाल आज ही नहीं उठा है। एक दफा एस्टिमेट्स कमेटी में भी यह सवाल उठा था, जब हमारे आनरेबल स्पीकर साहब उसके चेयरमैन थे। मैंने एस्टिमेट्स कमेटी के मेम्बर की हैसियत से उस कमेटी में इस बारे में सिफारिशें भी कीं। अब कहा जाता है कि जब तक कोई कमेटी नहीं बैठी देश के अन्दर यह देखने के लिये कि कास्ट आफ कल्टिवेशन क्या होता है और इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की गई। यह दुरुस्त नहीं है। मेरे सामने आनरेबल मिनिस्टर बैठे हैं जिनका कि काम मैं सालों से देखता रहा हूं। अब यह कहना है कि जो कुछ रिसर्च हुई वह सारी की सारी सरकार के दफ्तरों में लौंक रहती है और उसकी जानकारी जनता को नहीं दी जाती, दुरुस्त नहीं है। मेरे लायक दोस्त जो कि इस रेजोलूशन के मूवर हैं उन्होंने एग्रिकल्चर रिसर्च प्रोग्राम के इवैलुएशन के लिये जो एक कमेटी बनाने की तजवीज रखी है उसकी सपोर्ट में उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी वजूहात दी हैं लेकिन कई बातों पर वे इतने एक्सट्रीम पर चले गये जब कि उन्होंने कहा कि एग्रिकल्चर रिसर्च कौंसिल का कोई फायदा नहीं पहुंचा, उससे देश को कोई फायदा नहीं पहुंचा तो यह दुरुस्त नहीं है। वैसे मैं बतला दूं कि मैं इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि इसको समर्थन मिले लेकिन उसके साथ ही यह भी जरूर कहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य का यह कहना दुरुस्त नहीं है कि एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल, और कमोडिटीज कमेटीज ने इस देश का भला नहीं किया। आप सिर्फ कौटेन को ही देख लें। अभी पिछली दफा कौटेन कमेटी की रिपोर्ट थी सिर्फ ११ करोड़ की आमदनी कौटेन कमेटी की जो सिफारिशें थीं और जो रिसर्च थी, उसकी वजह से हुई।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आज हमारे देश में कितनी ऐसी कौटेन पैदा होती है जो कि हम बाहर से मंगवाया करते थे। एक या सवा इंच स्टेपिल की है। यहां बहुत सारी कौटेन पैदा होती है और कोशिश यही है कि एक मन कौटेन भी बाहर से न आये, कौटेन कमेटी की कोशिश ऐसी है। इस तरह आप जूट कमेटी और दूसरी कमोडिटी कमेटीज को देखें। इनसे देश को इतना फायदा हुआ है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिये यह कहना कि उन कमेटियों से कोई काम नहीं हुआ और ए० आई० आर० आई० और ए० आर० सी० ने कोई काम नहीं किया, यह दुरुस्त नहीं है।

जनाबवाला, कुछ अर्सा पहले, अब से चार, पांच वर्ष पहले यह जो रिसर्च का काम होता था और जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा रिसर्च वगैरह पर जो बहुत सी किताबें लिखी जाती थीं वे अंगरेजी में लिखी जाती थीं और इस कारण उनकी पहुंच आम जनता तक नहीं हो पाती थी लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आनरेबुल मिनिस्टर ने उधर ध्यान दिया और वे वाकई उसके लिये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उन्होंने एक नया मुहकमा निकाला और उसने इस तरह की जानकारी वाली किताबें रिसर्च वगैरह की आम बोलचाल की भाषा में हिन्दी में निकालीं और उनका गांवों में प्रचार किया। इसलिये यह कहना दुरुस्त नहीं है कि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने किताबें नहीं निकालीं या उनको लौक में बन्द रखा। खसूसन जब से उसमें रंधावा साहब गये तब से उन्होंने और ज्यादा इस चीज को चलाया और इसका इंतजाम किया कि गांव वालों को उन रिसर्चेज से जानकारी कराई जाय और हिन्दी में किताबें छापीं। आजकल बहुत सारे रिसाले और किताबें हिन्दी व रीजनल जबानों में छपती हैं और आयंदा ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में किताबें छपेंगी। काम वह इदारा कर रहा है और हिन्दी में कर रहा है जब कि पहले सारा काम काज अंगरेजी में चलता था और किताबें भी अंगरेजी में छपती थीं। अब वहां पर बहुत सारा काम हिन्दी में होता है लेकिन तो भी मैं इस शिकायत में शामिल हूं कि जितना हम चाहते हैं उतना काम हिन्दी में नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो भी आप रिसर्च करें उसका फायदा देश का हर एक किसान उठा सके। उसको उसकी जानकारी मिले। यह सच है कि जितना रुपया खर्च किया गया उतना फायदा देश को नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि रिसर्च का ठीक तरह से कोआरडिनेशन (समन्वय) नहीं है और कोआरडिनेशन न होने से वह रिसर्च भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि बढ़नी चाहिये थी। रिसर्च में कितने ही लोग काम करते हैं। यह हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल है, सेंटर की कमोडिटीज कमेटी है, बहुत सारी कमेटीज हैं, पुटैटोज की है, राइस की है, जूट की है और कौटेन की है और इनके जरिये सब जगह रिसर्च होती है और चूंकि हमारे संविधान में रिसर्च एक ऐसा सबजैक्ट है जो कि स्टेट सबजैक्ट (राज्य विषय) है तो स्टेट्स में भी इस तरह की कौंसिलें हैं और स्टेट्स में इस तरह के काम होते हैं। वे लोकल रिसर्चेज करते हैं। फंडामेंटल रिसर्चेज (बुनियादी गवेषणा का कार्य) ज्यादातर सेंटर वाले करते हैं। एक तरह से डुप्लीकेशन आफ वर्क (दुहरा काम) होता है और इसके लिये हमेशा सवाल उठता है कि यह डुप्लीकेशन ऐवायड किया जाय। ऐस्टिमेट्स कमेटी के सामने भी इसका सवाल आता है कि इनके काम को किस तरह से कोआरडिनेट किया जाय और यह कोआरडिनेशन करने की तरकीबें सोची गईं। इसके लिये साल में कई-कई कांफ्रेंसेस होती हैं, सैमीनार होते हैं कि यह रिसर्च का वर्क कैसे कोआरडिनेट किया जाय। हमारे जो ए० आई० आर० आई० के रिसर्च वर्कर्स व एक्सपर्ट्स हैं वे सूबों में जाते हैं और वहां जाकर उनकी शिकायतों को हल करने की कोशिश करते हैं और सूबे वाले यहां भी आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतने पर भी जिस रिसर्च का फायदा दूसरे मुल्कों में पहुंचता है उतना फायदा हमारे देश में नहीं पहुंचता है।

अमरीका के अन्दर एक सेंट्रल रिसर्च कौंसिल है जो कि यह काम करती है। उसके आदमी देश के अन्दर हर खेत को जाकर देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि फलां खेत में उपज

कम होती है तो क्यों होती है और दूसरे जो कीड़े जानवर वगैरह पैदा हो गये हैं और जो कि खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको कैसे मारा जाय । वे गांव वालों को जरूरी हिदायतें देते हैं और इस तरह से उनको मदद और सला ह देकर उनकी उपज बढ़वाते हैं । इस तरह का हमारे देश में कोई प्रबन्ध नहीं है ।

अब जहां तक सवाल ऐनालिसि हस्बेंडरी के रिसर्च का सवाल है एक तो उस बारे में कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं है और उस का कोई फायदा नहीं उठाया गया । आज कोई सवाल रिसर्च के वास्ते भेजें तो हालत यह है कि उसके बारे में दो साल तक रिपोर्ट ही नहीं आती है कि वह सवायल कैसी है । इसमें कोई शक नहीं है कि जितना रुपया खर्च हो रहा है उसका पूरा फायदा नहीं मिलता । वैसे रिसर्च तमाम जगहों पर होती है । यूनिवरसिटीज में रिसर्च होती है और दीगर कई जगहों पर रिसर्च होती है । हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल इसके लिये काफी रुपया खर्च करती है लेकिन उसका जितना फायदा होना चाहिये वह नहीं होता है ।

पिछली मर्तबा हमारे आनरेबल मिनिस्टर ने व काउन्सल ने गवर्नमेंट को दरख्वास्त की थी कि यह जो (कृषि उपकर) सैस है यह डबल कर दिया जाय लेकिन वह सैस डबल नहीं हुआ । जब रुपया काफी आपके पास नहीं है पूरा खर्च नहीं कर सकते तो यह जुर्रत भी नहीं होती कि ऐसी चीजों की भी रिसर्च की जाय जो कि फिलवाकया हमें करनी चाहिये । मुझे खुशी है कि जितनी स्कीम्स काउंसल के रूबरु पिछली दफा आई उनको मंजूर किया और सबके वास्ते रुपया दे दिया । लेकिन मुझे ताम्मुल नहीं है कि सरकार को इस रेजोलूशन को मान कर कम से कम दूनी रकम देनी चाहिये थी यानी सैस को दूना करने की मंजूरी देनी चाहिये थी ताकि रिसर्च का काम और जोरों से चलता । अभी हमारे भाई ने यू० के० की फिगर्स दीं, अमरीका की नहीं दीं । मैं खुद इसको मानता हूं और वह फीगर्स भी यही जाहिर करती हैं कि उन देशों में रिसर्चेज पर जितना खर्च किया जाता है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे यहां खर्च नहीं हो रहा है । हमारे मुकाबले में वे देश एग्रीकल्चर में बहुत अधिक तरक्की कर गये हैं । असलियत यह है कि हम पिछले बारह वर्ष से ही आजाद हुये हैं और हमने अभी पूरी तरह से इस एग्रीकल्चर के मामले पर ध्यान देना शुरू ही किया है वैसे मैंने इसके मुताल्लिक पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि एग्रीकल्चर को आज भी उतनी प्रायरिटी और एम्पार्टेंस नहीं मिलती जितनी कि उसको मिलनी चाहिये । मैंने पहले भी इसको कहा था कि एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो ऐसे शख्स को दिया जाता है जो कि लीस्ट एम्पार्टेंट हो और मैंने उस पर बहुत झगड़ा किया और मैंने तो यहां तक कहा कि हमें इस गल्ले के मसले को वार फुटिंग पर हल करना चाहिये और हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को एग्रीकल्चर का कोई खास इल्म नहीं है तो भी मैंने कहा था कि इसकी एम्पार्टेंस बढ़ाने के लिये एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब सम्हालें । अब मैं आपको बतलाऊं कि दूसरे देशों में एग्रीकल्चर को कितना महत्व दिया जाता है । रूस में एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कुछ गलती कर दी तो उसके लिये उसको इस्तीफा देना पड़ा । अब रूस का सबसे बड़ा अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अभी जब रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव सूरतगढ़ फार्म देखने गये और उन्होंने हमारी मिकैनाइज्ड फार्मिंग (मशीनों द्वारा खेती) को देख कर कहा कि उससे जो पैदावार हो रही है उसके लिये उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी पैदावार अधिक हो रही है । इससे भी अधिक पैदावार करने की वहां पर गुंजाइश है । आखिर पैदावार मंशा के मुताबिक न बढ़ने की वजह क्या है ? हमने ऐनिमल हस्बेंडरी (पशु पालन) को बहुत नेगलेक्ट किया है मेरे तो ख्याल में अगर सबसे ज्यादा कोई कंडेम्नेशन है तो वह यही है कि गवर्नमेंट ने ऐनिमल हस्बेंडरी की तरफ कतई तवज्जह नहीं दी और जिसका कि नतीजा यह है कि हमारी गल्ले की पैदावार जितनी बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ती है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अब हमारे सामने एक सवाल है और वह यह कि आया एग्रीकलचर रिसर्च जो होती है उसका पूरा फायदा होता है या नहीं तो इसको देखने के वास्ते दो चीजें जरूरी हैं। एक तो यह कि जो काम अब तक किया है रिसर्च का वह काफी है या नहीं और दूसरे यह कि जो रिसर्चेज अब तक हुई हैं उन तमाम को कोआरडिनेट करके किसी नतीजे पर पहुंचा गया है या नहीं। मेरी राय यह है कि जितना भी यह रिसर्चेज जगह-जगह और मुख्तलिफ जमातें करती हैं उनका ठीक से कोआरडिनेशन नहीं होता है और उसकी वजह से जितना फायदा पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचता है। एस्टिमेट्स कमेटी ने भी कहा था कि इस कोआरडिनेशन की बड़ी जरूरत है ताकि यह डुप्लीकेशन और झगड़ेबाजी चलती है वह दूर हो सके और उसका फायदा देश भर को सही तौर पर हो सके।

म इसमें सहमत हूं कि यह जो कमेटी बनाने की तजवीज है इसमें पार्लियामेंट के मेम्बर्स हों गोकि इसमें शक नहीं कि वह एग्रीकलचर के एक्सपर्ट्स नहीं हैं लेकिन तो भी पार्लियामेंट के मेम्बर इस कमेटी में जायं और मुझे इसमें शक नहीं कि उनकी राय जरूर मुफीद साबित होगी। मेरी समझ में इस तरह की कमेटी में कोमन एलीमेंट की नुमायन्दगी डिजायरेबुल है और उस कमेटी में इन सब बातों पर विचार किया जाय और रिसर्च के साथ साथ जो बहुत जरूरी है वह यह देखना है कि रिसर्च का कोआरडिनेशन कैसे हो। यह इतनी साइंटिफिक बात नहीं है बल्कि यह एक तरह से ठीक से आरगनाइज करने का मामला है कि कैसे उनको कोआरडिनेट किया जाय। इसके अन्दर महज एक्सपर्ट्स का मामला नहीं है। एक्सपर्ट्स के साथ साथ इस कमेटी में ऐसे व्यक्ति भी लिये जाने चाहिएं जो कि एक कल्चर्ड माइंड रखते हों। इस वास्ते मैं समझता हूं कि एक इस तरह की कमेटी कायम करने की बहुत जरूरत है और गवर्नमेंट को इस रेजुलेशन को मान लेना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकारावाद): उपाध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर में बहिनों का हिस्सा तो बहुत होता है। अगर एक पुरुष खेत में काम करता है तो उसके पीछे दस औरतें काम करती हैं अगर ऐसा न हो तो काम नहीं चल सकता। मैं कुछ किताबों से नहीं कहना चाहती। मैं अपने तजुरबे की बात कहना चाहती हूं।

अभी अभी भाई भार्गव जी बोले थे। उनकी भाषा में एक शक्ति थी। में चाहती हूं कि वह भाषा सब तरह तरफ गूंजें और उससे सब को बल मिले।

एग्रीकल्चर पर जो पैसा खर्च किया जाता है वह खराब नहीं जाता। जैसे अगर आप गाय को ज्यादा दाना देंगे तो वह ज्यादा दूध देगी, इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर पर ज्यादा रुपया खर्च करेंगे तो आपको उससे अधिक पैदावार मिलेगी। एग्रीकल्चुरल रिसर्च कृषि गवेषणा बहुत जरूरी चीज है, इसलिए मैं इस रिजोल्युशन को सपोर्ट करती हूं।

तीन-चार दिन से ये बादल देख कर मेरा जी घबरा रहा है। मैं मध्य प्रदेश से लखनऊ गाड़ी में आयी और मैं ने देखा कि हजारों मील में गेहूं की फस्ल खड़ी है। लेकिन यह जो बादल हो रहे हैं इनसे न मालूम कहां कहां वह फस्ल खराब हो जाएगी। मुझे आपने बीच में थोड़ा सा समय दिया है, मुझे मुसलसिल वक्त नहीं दिया जाता। इसलिए में थोड़े में अपनी बात कहना चाहती हूं।

अगर शहर में एक घर जलने लगता है तो टन् से घंटी बजती है और फायर इंजिन उसको बुझाने के लिए दौड़ता है। आप इस काम के लिए १२ महीने लाखों रुपया खर्च करके पूरा इन्तिजाम रखते हैं। इसी तरह का इन्तिजाम आप को गांवों के लिए करना चाहिए जहां देश

की बड़ी जनसंख्या रहती है। वहां पर कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ऐसे समय में हमको अपनी पार्लियामेंट बन्द करके और सब कुछ बन्द करके उन लोगों की मदद के लिए जाना चाहिए। अगर किसान का खेत समय पर नहीं काटा जाता और उस पर पानी पड़ जाता है तो गल्ला खाने लायक नहीं रहता। गल्ला ही तो हमारा असली धन है। इसके लिए किसान पैसा लगाता है, काम करता है लेकिन जब काटने का वक्त आता है तो कई बार फसल नष्ट हो जाती है, जैसे खाना खाते वक्त उसमें मक्खी गिर जाए और खाने को खराब कर दे। इस वास्ते मैं कहना चाहती हूं कि गांवों की तरफ आपकी बहुत ज्यादा तवज्जह होनी चाहिए। आपकी पुलिस क्या करती है। इसको गांवों में जाकर वहां पर लोगों की सेवा करनी चाहिए और उनके लिए इन्तिजाम करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोगों को खाने के लिए गिजा कम मिलेगी।

हर इलाके पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि इस काम के लिए एक खास मिनिस्टर होना चाहिए जिसको इस काम का तजुरबा हो। उसको अपना काम करने के लिए कैबिनेट की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। जब आवश्यकता हो तो वह जरूरी कार्रवाई कर सके। आपके प्लानिंग कमीशन में जो बड़े-बड़े भाई बैठे हैं उनको मालूम नहीं कि एग्रीकल्चर क्या चीज है। जिस मिनिस्टर को एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो दिया जाए उसकी एग्रीकल्चर का तजुरबा होना चाहिए। कमेटी में जो लोग रखे जाएं उनको एग्रीकल्चर का तजुरबा होना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए कि लक्ष्मी बाई को हैल्थ कमेटी में रख दिया जाए जो कि डाक्टर नहीं है, वह तो लोगों को मारना शुरू कर देगी। इस कमेटी में कुछ एग्रीकलल्चुरिस्ट लेने चाहिएं।

मैं इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: मैं श्री मल्होत्रा के संकल्प का समर्थन करता हूं। उनका संकल्प सरल तथा व्यवहार्य है, यदि उसे कार्यान्वित किया जाये तो काफ़ी लाभ हो सकता है।

मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की भारतीय परिषद् की प्रबन्ध समिति का सदस्य रह चुका हूं। इस परिषद् के अधीन अनेक प्रयोगशालायें देश के विभिन्न भागों में हैं। ये प्रयोग-शालायें बुनियादी वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक वैज्ञानिक सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान करती हैं। इन प्रयोगशालाओं के कार्य का पुनरावलोकन करने तथा उसके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक परिषद् ने एक विदेशी को बुलाया था। उस विदेशी व्यक्ति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति ने उस प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिए अपने सुझाव दिये। अतः मेरा निवेदन है कि इस परिषद् के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

हमारे देश में इस सम्बन्ध में काम हो रहा है पर कमी सिर्फ इतनी है कि उस कार्य का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके कारण एक मूल्यांकन समिति का नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की भारतीय परिषद् ने विज्ञान मन्दिर खोलने की एक योजना बनाई थी। कुछ विज्ञान मन्दिर खोले भी गये हैं। इनके द्वारा विज्ञान के सम्बन्ध में सामान्य जनता को सामान्य जानकारी दी जाती है, अभी हाल में इस परिषद् ने विज्ञान भवनों के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है । जब विज्ञान मन्दिरों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये समिति है, तो आप देश में हुई कृषि अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति नियुक्त कर सकते हैं। इन कृषि अनुसंधानों से देश के छोटे-छोटे कृषकों को बड़ा लाभ हुआ है । इसका श्रेय इसी परिषद् को है ।

आत्मनिरीक्षण कुछ बुरी चीज नहीं है । इससे किसी को हानि नहीं होगी बल्कि लाभ ही होगा । अतः इस संकल्प को स्वीकार किया जाना चाहिये और एक समिति बना दी जानी चाहिये ।

हमारे देश की कृषि की हालत वैसी ही है जैसे "मर्ज़ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की" । कृषि तथा शिक्षा मंत्रालय कई समितियां व आयोग नियुक्त करते रहते हैं, पर उनके प्रतिवेदन कभी भी कार्यान्वित नहीं किये जाते । उत्पादन तो शक्ति का काम है पर कृषि का ज्ञान एक टेकनिकल विषय है । हमें किसानों तक कृषि अनुसंधान का संदेश पहुंचाना चाहिये । इस के लिये विस्तार सेवाओं को बढ़ाना आवश्यक है ।

कृषक देश का सबसे बड़ा रक्षक तथा सम्मान का पात्र है । कृषि उत्पादन कृषि अनुसंधान पर निर्भर है । इसके साथ ही कृषि विद्यालय, कृषि कालेज तथा कृषि विश्वविद्यालय खोलने की भी बड़ी आवश्यकता है । फिर इन कृषि संस्थाओं में ९० सिद्धान्त पढ़ाये जाते हैं । केवल १० प्रतिशत व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है ।

हमें कृषि अनुसंधानों को अद्यतन बनाना है और कृषि अनुसंधान का संदेश घर-घर तक पहुंचाना है । मैं समझता हूं कि यदि हम इस कर्तव्य का पालन न कर सके, तो देश की कृषि का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : प्रस्तावक महोदय ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि संसद् सदस्यों और कृषि विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाये जो इस बात का मूल्यांकन करे कि देश में कृषि अनुसंधान का कार्य किस सीमा तक हुआ है और उसमें किस प्रकार समन्वय और सुधार किया जा सकता है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस से सदन को यह अवसर प्राप्त हुआ कि इस मामले में वह अपने विचार प्रकट करे तथा यह भी देखे कि इस कार्य के लिये जो धन राशि निर्धारित की गई है वह काफी है अथवा नहीं और उससे क्या परिणाम निकले हैं ।

प्रस्तावक महोदय ने पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की आलोचना की है, जहां शायद वह काम भी कर चुके हैं । उन्होंने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के बहुत से दोषों और कमियों की ओर ध्यान दिलाया । उन्होंने यह भी कहा कि अब तक कुछ परिणाम नहीं निकले हैं । मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन सारी बातों का उत्तर दे सकूं । परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि प्रस्तावक महोदय सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कह रहेहैं । मुझे आशा थी कि उन्हें अनुसंधान की प्रगति और देश में उत्पादन का काफी ज्ञान होगा । मुझे इस पर भी खेद है कि उन्होंने गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के सिलसिले में उन्हीं वर्षों को चुना जो उनके तर्क के अनुकूल थे । वास्तविकता यह है कि गेहूं उत्पादन ६३ लाख टन से ९७ लाख टन हो गया है । औसत उत्पादन भी बढ़ा है । यह ठीक है कि देश के लिए यह काफी नहीं है, फिर

---

†मूल अंग्रेजी में

सब मिला कर गेहूं उत्पादन में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है, और प्रति एकड़ औसत वृद्धि का अनुमान लगभग ४० प्रतिशत है। अतः मुझे भय है कि प्रस्तावक महोदय ठोस आधार पर बातें नहीं कर रहे थे।

इस बात पर किसी को भी मतभेद नहीं है कि समय-समय पर हमें इस मामले में मूल्यांकन करना चाहिये। आत्मनिरीक्षण कोई बुरी बात नहीं है। सरकार का अपना विचार भी इस प्रकार के एक आयोग या समिति की स्थापना करने का है जिसका कार्य उस समिति के कार्य से कहीं व्यापक होगा, जिसका माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है; इस पर विचार हो रहा है कि उसके निर्देश पद क्या हों। इनका अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों से परामर्श के बाद किया जायेगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का भी परामर्श लिया जायेगा। अन्तिम निर्णय मंत्रि मंडल द्वारा किया जायेगा। अतः पीछे हटने का कोई सवाल नहीं हैं, हम आगे बढ़े हैं। हमने अभी कोई पक्का निर्णय नहीं किया है कि एक आयोग बनाया जाना चाहिये। प्रस्तावक महोदय की प्रस्थापना हमारे व्यापक विचार का एक अंग ही है।

३२ वर्ष हुए हमारे देश में कृषि सम्बन्धी जो आयोग नियुक्त हुआ था उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था और आज की कृषि सम्बन्धी सभी प्रगति का श्रेय इस आयोग की सिफ़ारिशों को ही है। कृषि सम्बन्धी अनुसंधान तथा उत्पादन भी उसके कारण ही आगे बढ़ा है। आयोग का क्षेत्र और निर्देश पद बहुत व्यापक थे। किसानों की भलाई और देहाती क्षेत्रों के विकास की सभी बातें उनमें शामिल थीं; वन, सहकारिता तथा पशुपालन इत्यादि सभी संभव विषय इसके अन्तर्गत थे। यद्यपि हमारा इस प्रकार के आयोग की स्थापना का विचार है फिर भी मैं इस दिशा में कोई निश्चित आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

यदि प्रस्तावक महोदय यही जानना चाहते हैं कि परस्पर समन्वय की मात्रा क्या रही है, संस्थायें कार्य उचित ढंग से कर रही है अथवा नहीं, हमारे वैज्ञानिकों को समुचित प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इन बातों का परीक्षण हम प्रायः प्रतिदिन करते हैं। गत पांच छः वर्षों में प्रत्येक समिति में किसानों को सदस्य बनाया गया है। मुझे यह कहते हुए हर्ष और गौरव है कि ये लोग समिति के कार्य में बड़ा लाभदायक भाग ले रहे हैं। गवेषणा तथा अन्य दूसरे मामलों में इन लोगों की पूरी राय ली जाती है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में केवल वैज्ञानिक ही नहीं लिये गये, उसमें बहुत से अच्छे प्रशासकों को भी लिया गया है। उनका यह काम है कि वह देखें कि अनुसंधान का कार्य ठीक ढंग से चल रहा है अथवा नहीं। अनुसन्धान परिषद् में इस सदन के प्रतिनिधि भी हैं। जिस समिति का सुझाव मेरे मित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी स्थिति तो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की एक उपसमिति जैसी ही होगी। उस परिषद् में सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं। इसलिये मैं इसके अधिक पक्ष में नहीं हूं क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम अपनी प्रगति का पूरा परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि कौन सा काम करने से रह गया है।

इस सम्बन्ध में मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि डा० रन्धावा के नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने अद्वितीय प्रगति की है और उसके काम का बहुत विस्तार हुआ है। जिस प्रकार के सम्मेलन आजकल हम कर रहे हैं, उस प्रकार के सम्मेलन पहले कभी नहीं सुने गये। किसान और गवेषणा-कार्य में लगे हुए कर्मचारी मिल कर सम्बद्ध समस्याओं पर बातचीत करते हैं। गत तीन चार वर्षों से इस प्रकार के सम्मेलन नियमित रूप से हो रहे हैं। यह हम मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह देश की विशालता की दृष्टि से बहुत कम है। अभी ज्वार अनुसंधान

[डा० पं० शा० देशमुख]

कर्मचारियों और ज्वार उत्पादकों का सम्मेलन हुआ था। इस ढंग से हमें काफी सुविधायें उपलब्ध हो रही है। इससे पूर्व इस प्रकार की सुविधायें कभी उपलब्ध नहीं हुईं। हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का काफी विस्तार कर सकते हैं। हमारी बहुत सी योजनाओं को धन के अभाव के कारण भारतीय अनुसंधान परिषद् कार्यान्वित नहीं कर पाती। राज्य सरकारें भी इस कार्य में अपने हिस्से का रुपया नहीं दे पातीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस दिशा में कठिनाइयां हैं और हम उनके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं। हम सारी समस्या का परीक्षण कर रहे हैं। हमें कृषि आयोग की स्थापना का विचार कैसे आया ? क्योंकि नालागढ़ समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि कृषि क्षेत्र में किये गये सारे कार्यों का राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा हर पांच वर्ष के पश्चात् पूरा परीक्षण किया जाना चाहिये, केवल अनुसंधान कार्यों का परीक्षण ही नहीं, प्रत्युत् प्रशासनिक कठिनाइओं तथा नीतियों का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।

जिस वजह से मैंने अधिकारियों की बठक बुलाई थी और एक आयोग नियुक्त करने के बारे में सोच रहा था, वह यह है कि कई बार हमारी कृषि संबंधी नीतियां तदर्थ आधार पर, बिना पूरी जांच किये, बना ली जाती हैं। हमें अनुभव हुआ कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिये कि किस प्रकार कृषि संबंधी नीतियों को निर्धारित करना चाहिये और किस प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इस बात का ध्यान रखते हुये मैंने आयोग की आवश्यकता अनुभव की थी और इस उद्देश्य के लिये अधिकारियों की बैठक बुलाई थी।

इस संकल्प का लक्ष्य बड़ा सीमित है और इसका हमने कई बार परीक्षण भी किया है। जिन बातों का मेरे माननीय प्रस्तावक मित्र ने अभी सुझाव दिया है उनमें से कई का अभी हाल में भारत-अमरीका दल द्वारा परीक्षण किया गया है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि इसके आगे और कुछ नहीं होना चाहिये। जो कुछ प्रस्तावक महोदय चाहते हैं उसका परीक्षण तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थायी समिति भी कर सकती है। वह इस बात पर विचार करने के लिये एक समिति भी बना सकती है और अन्य लोगों को भी उस समिति में ले सकती है। परन्तु इस अवसर पर मैं अनुसंधान कार्य या अन्य मामलों के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। सारे मामलों पर विचार हो रहा है अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मित्र अपने संकल्प पर आग्रह नहीं करेंगे।

अभी हाल ही में हमने कृषि उत्पादन बोर्ड की स्थापना की है। मैं स्पष्ट रूप से और संक्षेप में यह भी बता दूं कि समन्वय का विचार प्रत्येक समय हमारे दिमाग में रहा है और हमने हमेशा यह प्रयत्न किया है कि वर्तमान अवस्था को अधिक से अधिक सुधारा जाये। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के अतिरिक्त हमारा एक कृषि बोर्ड है और एक पशुपालन संबंधी बोर्ड अलग है। इनमें प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक समय भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार होता ही रहता है। हमारा जो कृषि बोर्ड है वह मंत्रालय का बोर्ड है और उसमें किसानों के प्रतिनिधि हैं और दो वर्षों में एक बार इसकी बैठक होती है। जिस बोर्ड का मैंने पहले उल्लेख किया वह एक सरकारी बोर्ड है और उसे कृषि उत्पादन बोर्ड कहते हैं।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि योजनाओं का टेकनिकल दृष्टि से परीक्षण नहीं किया जाता, मेरे विचार में यह आरोप गलत है। प्रत्येक योजना जो कि राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा किसी कृषि कालिज में निर्मित की जाती है और हमारे विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है, विशेषज्ञ उस पर गम्भीरता से विचार करते हैं, देश के अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ उस पर विचार करते हैं। इस बात का समर्थन तो पंडित ठाकुर दास भार्गव भी कर सकते हैं कि हमारे टेकनीशियन प्रत्येक योजना को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से और टेकनिकल दृष्टिकोण से देख कर उस पर विचार प्रकट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था अपने सीमित

साधनों के अन्दर आवश्यक अनुसंधान कार्य करने का प्रयत्न करती है। हाल ही में हमने अनुसंधान के कार्य क्षेत्र का भी काफी विस्तार कर दिया है। हमने कई अनुसंधान उपकेन्द्र भी स्थापित किये हैं। हिमाचल प्रदेश में बागबानी संबंधी अनुसंधान का काफी कार्य हो रहा है। क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किये जा रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इन कामों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका। परन्तु अब इस दिशा में सब कार्य हो रहा है और कृषि अनुसंधान के किसी अंग की भी उपेक्षा नहीं की जा रही।

भूमि विश्लेषण के प्रश्न का उल्लेख पंडित ठाकुर दास भार्गव ने किया है। तीन वर्ष हुये इस दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा था। परन्तु पिछले दो वर्षों में २४ भूमि विश्लेषण प्रयोगशालायें स्थापित हो चुकी हैं। कोई भी किसान अपनी भूमि की मिट्टी को मुफ्त विश्लेषण के लिये प्रयोगशाला में भेज सकता है।

हम से जो कुछ हो सकता है, उसे कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की इस प्रकार व्यापक रूप से निन्दा करना मैं ठीक नहीं समझता। उसने शानदार काम किया है और संसार भर के वैज्ञानिकों ने उसकी सराहना की है। कई बातों में हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ा गौरवपूर्ण कार्य किया है। उनके परिणामों को भी किसानों तक पहुंचाया गया है। अभी हाल ही में हमने विस्तार निदेशालय का संगठन किया है। इसका उद्देश्य यही है कि अनुसंधान के परिणामों को किसानों तक पहुंचाया जाय। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी पूर्ण सफलता प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा ही। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करेंगे, अन्यथा मैं इसका विरोध करूंगा।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा :** मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय कृषि समितियों द्वारा समन्वय के प्रश्न के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ यह है एक समिति की नियुक्ति इसलिये जरूरी है ताकि वह यह जांच करे कि देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जरूरत है या नहीं, कृषि बोर्डों की जरूरत है या नहीं, आयोग की जरूरत है या नहीं और क्या अनुसंधान का काम केन्द्र में ही होना चाहिये। मेरा कहना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के जो दोष मैं जान सकता हूं, वे मंत्री महोदय नहीं जान सकते।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** परन्तु मैं बिना समिति नियुक्त किये ही उन दोषों पर विचार करने और उन्हें दूर करने को तैयार हूं।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा:** माननीय मंत्री के इस आश्वासन के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम क्रमशः स्वदेश द्वीप और स्वराज द्वीप रखे जायें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुबिमन घोष]

इस संकल्प में श्री चौधरी ने यह संशोधन रखा है कि अन्दमान द्वीप का नाम 'स्वदेश द्वीप' के बजाय 'शहीद द्वीप' रखा जाना चाहिये । मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं । मैं अपना भाषण यही मानकार दे रहा हूं कि वह अपने संशोधन को पुरःस्थापित करेंगे ।

मेरा निवेदन है कि यह संकल्प निठल्ले दिमाग की सूझ नहीं है वरन् आजाद हिन्द फौज ने हमारी आजादी की लड़ाई में जो काम किया है उसके ऋण का भार हल्का करने की भावना से इसे प्रस्तुत किया गया है । एक अंग्रेज लेखक ने भी यह स्वीकार किया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों के कारण ही भारत से अंग्रेजी राज्य इतनी जल्दी खत्म हो गया । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस ऋण की स्वीकृति के रूप में इन द्वीपों के ये नाम रख दे ।

अन्दमान द्वीप का यह नाम संभवतः हन्दुमान का बदला हुआ रूप है जो वानरराज हनुमान का मलायली स्वरूप है । निकोबार द्वीप के संबंध में अंग्रेज इतिहासकारों का मत है कि वहां लोग नंगे रहा करते थे इसलिये उसका नाम निकोबार रखा गया । १७८८ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने आर्चीबाल्ड ब्लेयर को वहां बस्ती बनाने के लिये भेजा और उन्हीं के नाम पर इन द्वीपों की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ा ।

१८५७ के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार ने बहुत से विद्रोहियों को बन्दी बनाया तथा उन्हें इन द्वीपों में भेज दिया गया । इस प्रकार १८५८ से ये द्वीप अपराधियों के रखे जाने का केन्द्र बन गये ।

फिर दूसरे महायुद्ध में इन द्वीपों को जापान ने जीत लिया और आजाद हिन्द फौज के प्रधान सेनापति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने इन द्वीपों के नाम क्रमशः "शहीद" और "स्वराज" रख दिये । दिसम्बर, १९४३ में नेताजी स्वयं वहां गये और उन्होंने वह जेल देखी जिसमें भारत के अनेक क्रांतिकारी रखे गये थे । फरवरी १९४४ में नेताजी ने लेफ्टीनेंट कर्नल लोकनाथन् को वहां का गवर्नर बनाकर भेजा । इस प्रकार वहां १९४४ में ही भारतीय शासन का सूत्रपात हो गया था । मेरा निवेदन है कि आज जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय अभिवादन है वे सब उस अन्तः-कालीन सरकार की देन है । हमने उन्हें अपना तो लिया है परन्तु नेताजी के इस ऋण की कभी सार्व-जनिक घोषणा नहीं की है । यही नहीं मेरा विचार है कि आज हमने जो समाजवादी व्यवस्था अपनाई है उसकी घोषणा भी नेताजी ने २४ नवम्बर, १९४४ को टोकियो विश्वविद्यालय में दिये भाषण में की थी ।

इस प्रकार हम नेताजी के अत्यन्त ऋणी हैं । नेताजी का नाम इतिहास में अमर रहेगा । एक अंग्रेज लेखक ने भी यह लिखा है कि नेताजी ने भारत को बहुत कुछ दिया है । उनकी देशभक्ति, उनका त्याग और उनका साहस चिरस्मरणीय है । यदि वह भारतीय गणतन्त्र को देखने के लिये जीवित रहते तो निश्चय ही भारत को और भी बहुत कुछ देते । यह एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है जो कभी कभी नेताजी ने प्रति बहुत कटु रहा है ।

मेरा निवेदन है कि जब नेताजी का हमारे ऊपर इतना ऋण है तो फिर कोई कारण नहीं है कि इस छोटे से संकल्प को स्वीकार न किया जाय जिसमें अन्दमान का नाम शहीद द्वीप और निको-बार का नाम स्वराज द्वीप रख देने की मांग की गई है । १७८८ में जब आर्चीबाल्ड ब्लेयर को वहां भेजा गया था तो वहां की राजधानी का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था । अतः जब स्वतंत्र भारत की प्रथम अन्तःकालीन सरकार ने इन द्वीपों को जीतकर अपना शासन स्थापित किया था तो फिर उनका नाम बदल देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इन द्वीपों को काला पानी के नाम से

पुकारा जाता है, अन्दमान व नीकोबार नहीं कहा जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके नाम आजाद हिन्द फौज की स्मृति में शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिये जायें।

यह बड़े खेद की बात है कि जिस आजाद हिन्द फौज और उसके प्रधान सेनापति के हम इतने ऋणी हैं उसके लिये हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये लड़ाई लड़ी और हमें आजादी दिलाई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन नामों को स्वीकार करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ। इस पर श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने एक संशोधन की सूचना दी है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बहरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि संकल्प में—

'स्वदेश द्वीप के स्थान पर 'शहीद द्वीप' रख दिया जाय।

इस संशोधन में केवल छपाई की गलती को ठीक किया जा रहा है। वास्तव में नेताजी अन्दमान का नाम 'शहीद द्वीप' रखना चाहते थे, 'स्वदेश द्वीप' नहीं क्योंकि वहां बहुत से देश भक्तों की मृत्यु हुई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

निर्वाचन याचिका*

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आधे घंटे की चर्चा होगी जिसकी सूचा श्री रामकृष्ण गुप्त ने दी है।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्वश्चन नं० ५६८, जिसके बारे में आज डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यह जो एलेक्शन पिटिशन है, जिसकी बाबत इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है, वह जुलाई सन् १९५५ से पेंडिग है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अगर एक पिटिशन में इतने साल लग जाय तो बाकी देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि हमारे देश के अन्दर जो डिमाक्रेटिक ढांचा है उसका दारमदार एलेक्शन पर है। इसके बारे में दो राय नहीं हो सकतीं। आनरेबल मिनिस्टर ने अपने जवाब में यह फरमाया था कि इलेक्शन कमीशन उसके निपटारे जल्दी किये जाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है। उसने ट्रिब्यूनल के चेयरमैन से पेटीशन के निपटारे में जल्दी करने के लिये कहा है। उन्होंने अपने जवाब में जो कुछ फरमाया है उसके बावजूद इसमें काफी देर हुई। मैं आज हाउस के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि इस देरी का असली कारण क्या है।

जहां तक मैं समझता हूं कि यह सही बात है, और मैं इसे जरूर हाउस के सामनेरखूंगा कि अगर इस एलेक्शन पिटिशन में पंजाब के चीफ मिनिस्टर रेस्पांडेंट (उत्तरवादी) न होते तो इसका फैसला पहले ही हो जाता। इसके लिये मैं कुछ सबूत भी हाउस के सामने पेश करूंगा। आनरेबल मिनिस्टर ने अपने जवाब में यह भी कहा कि देरी के जो कारण थे उनमें सब से बड़ा कारण ट्रिब्यूनल के कम्पोजीशन में आवश्यक परिवर्तन है।

---

†मूल अंग्रजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल के कम्पोजीशन में जो चेंजेज हुये उनके क्या कारण थे। हमारे माननीय मिनिस्टर ने जो जवाब दिये थे उन को अगर गौर से पढ़ा जाय तो मेरी बात, जो मैंने अभी कही थी, वह साफ तौर पर साबित हो जायेगी। माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया था कि सबसे पहले श्री मनोहर सिंह बख्शी डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज, होशियारपुर की नियुक्ति की गई थी। उन्हें ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया था। उनके विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह पेटीशन के एक उत्तरवादी के निकट जानकार थे। मैं जानना चाहता हूं कि जिस रेस्पांडेंट से पहले चेयरमैन का ताल्लुक था वह कौन था। क्योंकि जैसा कि इस पिटिशन में कहा गया है, इस बात का शुरू में ख्याल रक्खा जाता, और मेरा भी यह ख्याल है कि एलेक्शन कमिशन को यह चाहिये था कि जब ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया उस वक्त इस बात का ख्याल रक्खा जाता कि ऐसे आदमी को चेयरमैन मुकर्रर न करे जो कि किसी रेस्पांडेंट से ऐसोशिएटेड ही न हो, बल्कि कलोजली ऐसाशिएटेड हो। अगर शुरू में इस बात का ख्याल रक्खा जाता तो मेरे ख्याल है कि पिटिशन का फैसला करने में इतनी देरी न होती।

दूसरी बात जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि कुछ अरसे के बाद उनमें से एक मेम्बर को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिया गया और एक मेम्बर को रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में एक जिम्मेदार पोस्ट दी गई। अगर यह भी मालूम करने की कोशिश की जाय कि यह क्यों हुआ. इसके लिये क्या कारण था, तो उससे भी जो कुछ मैंने पहले कहा, उस बात के लिये काफी सबूत मिल जायेगा।

तीसरी बात जो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, और यह मेरा सवाल था कि जो रेस्पांडेंट है, जिसके लिये करप्ट प्रेक्टिसेज के चार्जेज हैं, वह कौन है। इसके बारे में कह दिया गया कि यह क्वेश्चन ऐराइज नहीं होता। लेकिन आगे चल कर माननीय मंत्री जी ने खुद मेरी इस बात को तसलीम कर लिया कि इस पिटिशन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वह सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि वह करप्ट प्रैक्टिसेज का है। उन्होंने आगे चल कर कहा कि इसमें कुछ और बातें भी शामिल हैं। जिनमें मुख्य बात है कुछ उत्तरवादियों के विरूद्ध करप्ट प्रेक्टिसेज के आरोप। इसलिये उसका निपटारा समस्त गवाहों की समुचित जांच करके किया जायेगा।

इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पिटिशन में मेन इश्यू यह है। तीसरी बात जहां पर देरी का ताल्लुक है, आनरेबल मिनिस्टर ने अपने जवाब में यह फरमाया कि कमिशन को यह पावर हासिल नहीं है कि वह ट्रिब्यूनल जो आलरेडी ऐप्वाइंट हो चुकी है उसे सिडमिस कर दे। यह बात ठीक है और मैं इस से ऐग्री करता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या जो पुराना ऐक्ट था, या जो ऐक्ट अब है उसको भी ले लें, उस ऐक्ट के अन्दर यह सेक्शन मौजूद है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि परीक्षण के दौरान ट्रिब्यूनल का कोई सदस्य अपना काम करने में असमर्थ हो जाय तो उसके स्थान पर अन्य सदस्य नियुक्त किया जायेगा और उस सदस्य के ट्रिब्यूनल में शामिल हो जाने पर वह परीक्षण उसी प्रकार जारी रहेगा मानों वह सदस्य परीक्षण के प्रारम्भ से ही ट्रिब्यूनल में रहा हो।

इस सेक्शन को हाउस के सामने रखने से मेरा मतलब यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि जब चेअरमैन को जो दूसरी पोस्ट उसे दी गई और उसे कबूल कर लिया तो क्या उसके बाद उसको यह लेटर लिखा गया कि उसे खुद व खुद रिजाइन कर देना चाहिये। इसलिये मैं ने इस सेक्शन को इस हा उस के सामने रक्खा है। नये कानून में जो सेक्शन ८९ है उस में दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यनल विचाराधीन किसी भी याचिका को किसी भी समय संबंधित पक्षों को नोटिस देकर

वापस लेकर किसी अन्य ट्रिब्यूनल को पुनः परीक्षण किये जाने के लिये हस्तांतरित कर सकेगा। अगर इस पुराने कानून की तहत भी इस सेक्शन को क्लोजली स्टेडी किया जाय तो मेरा ख्याल है कि एलेक्शन कमिशन कम से कम चेअरमैन को यह खत जरूर लिख सकता था और यह सलाह जरूर दे सकता था कि चूंकि उन्होंने एक जिम्मेदार पोस्ट को ऐक्सेप्ट कर लिया है, इस लिये उन्हें इस पोस्ट से स्तीफा दे देना चाहिये।

इसके बाद जो दूसरी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं वह भी बहुत अहम है, और वह यह है कि आप को यह जान कर हैरानी होगी कि जो मेन रिस्पांडेंट का वकील है उसको भी असिस्टेंट ऐडवोकेट जनरल की पोस्ट दे दी गई है और वह अब तक इस पिटिशन के अन्दर इस केस को कंडक्ट कर रहा है। आप शायद यह कहेंगे कि यह मुकदमा सिविल ला का है और सिविल ला की तहत शायद यह परमिशन उसे हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात के लिये परमिशन देने वाला कौन है। इसलिये यह बात भी बहुत अहमियत रखती है। इसके साथ साथ आखिर में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक एलेक्शन पिटिशन का ताल्लुक है, उसके बारे में एक नहीं आप को काफी रूलिंग्स ऐसी मिलेंगी कि एलेक्शन ला कई लिहाज से मामूली सिविल ला से डिफर करता है। एक जजमेंट में ऐसा कहा गया है कि इलेक्शन पेटीशन में केवल चुनाव के उम्मीदवार ही दिलचस्पी नहीं रखते वरन् जनता भी दिलचस्पी रखती है। चुनाव का महत्व केवल खबर संबंधी नहीं होता वरन् वह प्रजातंत्र का आवश्यक अंग है।

यह बात मैंने इसलिये कही कि एलेक्शन ला को आम सिविल ला ट्रीट करेंगे और स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाय इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि दूसरी पार्टीज को कितना नुकसान हुआ होगा। इसलिये मैं यह बात हाउस के सामने रखता हूं कि यह भी एक बड़ा अहम मामला है और इस बात की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाय। बल्कि इसके बारे में यहां तक कहा गया है कि इलेक्शन की एनक्वायरी क्वासी क्रिमिनल नेचर की होती है क्योंकि उसकी करप्ट प्रेक्टिसेज संबंधी फाइंडिग्ज का पीनल इफेक्ट होता है।

यह तो सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेज की ही बात है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये मेरी माननीय मिनिस्टर से यह अपील है कि इस बात की पूरी कोशिश की जाय कि इस पेटीशन का जल्द से जल्द फैसला किया जाय। इसके लिये मैं दो तजवीजें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। एक तजवीज तो यह है कि एक ऐसा नया ट्रिब्यूनल बनाया जाय जिस के कि चेयरमैन पंजाब से बाहर हों ताकि उनको एनफ्लेएंस किया जा सके। दूसरी तजवीज मेरी इस बारे में यह है कि इसकी हियरिंग डे टु डे होनी चाहिये और दोनों पार्टीज को अपना डिफेंस करने का इक्वैल मौका दिया जाय क्योंकि इसी पर हमारी डेमोक्रेसी की कामयाबी का दारोमदार है।

इसके बाद अन्त में मैं दो सवाल माननीय मंत्री के सामने रखना चाहता हूं....

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं बहुत हो लिये। पन्द्रह मिनट आपको बोलते हो गये और अगर मैं आपको बोलने दूं तो जहां अन्य मेम्बर साहबान क्वैश्चन करना चाहते हैं उनको मैं एकोमोडेट नहीं कर सकूंगा।

श्री रामकृष्ण गुप्त : बहुत अच्छा। मेरी आखिरी अपील यही है कि चूंकि यह पेटीशन ६ साल से पेंडिंग है इसलिये इसको जल्द से जल्द तय कराने के वास्ते पूरी कोशिश की जाय।

सरदार इकबाल सिंह (फिरोजपुर): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो यही बात कहना चाहता हूं कि जो यह प्रेजेंट फाम किया गया है...

उपाध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिये, तकरीर नहीं कर सकते ।

सरदार इकबाल सिंह : ऐसे वक्त जबकि एक एलेक्शन पेटीशन चल रही हो, मैं यह तो मान सकता हूं कि उसका ट्रिब्यूनल नहीं बना लेकिन ताहम जब कोई एलेक्शन पेटीशन एक दफा दाखिल हो जाय तो वह एक किस्म की जुडिशिएल प्रोसीडिंग्स हो जाती है और उसमें यहां पर पार्लियामेंट के उन मेम्बरों का दखल देना कुछ मुनासिब नहीं. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैंने पहले भी कहा कि आप सवाल पूछिये, तकरीर आप नहीं कर सकते ।

सरदार इकबाल सिंह: इसलिये मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस मौके पर दखल देना मुनासिब नहीं और जो इंटरेस्टेड हैं वे उसमें दखल देना चाहते हैं ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं यह जानना चाहता हूं कि जो तीसरा न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है क्या उसका निर्माण ठीक हुआ है ? दूसरे, क्या यह बात सही है कि उसके सभापति श्री चड्ढा सेवानिवृत हो गये हैं । तीसरे, ३–१–५९ को जो कागजात न्यायाधिकरण को वापस भेजे गये हैं क्या उनके निपटारे के संबंध में कोई तारीख निश्चित की गई है ? अन्तिम प्रश्न यह है कि जिस दिन सभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था उस दिन के बाद कितने गवाहों की जांच और की जा चुकी है ?

†**चौ० रणबीर सिंह** (रोहतक): क्या यह सच है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों को तीन साल बाद इस मामले में सह-उत्तरबादी बनाया गया था ?

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : क्या सरकार इस चुनाव याचिका के निपटारे में देर के संबंध में जांच कराने के लिये तैयार है ? दूसरे, क्या सरदार प्रताप सिंह कैरों को यह नोटिस दिया गया है कि वह इस बात का उत्तर दें कि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप के कारण चुनाव लड़ने से वंचित क्यों न कर दिया जाय; और यदि हां, तो कब ?

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मामले के शीघ्र निपटारे के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ८९ के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग की शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? दूसरे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिनके अनुसार निर्वाचन याचिकाओं का निपटारा एक निश्चित अवधि में हो जाना चाहिये ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन)** : मैं सब बातें तारीखवार बताने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी प्रश्न जवाब देने से बाकी न रह जाय । १ मई, १९५५ को होशियारपुर चुनाव क्षेत्र से विधान मण्डल के एक स्थान के लिये उपचुनाव हुआ । उपचुनाव म ५००० मतों के बहुमत से श्री अमरसिंह निर्वाचित घोषित किये गये । १५ जुलाई १९५९ को श्री बलबीर सिंह नामक एक व्यक्ति ने श्री अमर सिंह के विरुद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत की । श्री बलवीर सिंह एक हारे हुए उम्मीदवार थे । मूल याचिका में न तो कहीं श्री प्रतापसिंह कैरों का उल्लेख है और न ही श्री दलजीत सिंह, संसद् सदस्य के बारे में कुछ कहा गया है । वास्तव में उनका उल्लेख हो भी नहीं सकता था ।

३ सितम्बर, १९५५ को पुराने अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव याचिका की सुनवाई के लिये सभापति की नियुक्ति हुई; आपको याद होगा कि इस अधिनियम में १९५६ में संशोधन किया गया था ।

---

†मूल अंग्रजी में

इस दिशा में बहुत से जो प्रश्न पूछे गये हैं, उन सब के बारे में यही उत्तर है कि संशोधन से पूर्व प्रस्तुत की गयी याचिका के लिये नये अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं थे। संशोधन से पहले अधिनियम के अन्तर्गत होशियारपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश श्री बख्शी को सभापति नियुक्त किया गया था। वह उसी चुनाव क्षेत्र के जिला न्यायाधीश थे। दो और सदस्यों की नियुक्ति भी होनी थी। उस समय नियमों के अन्तर्गत दो सदस्य न्यायपालिक अधिकारी होने चाहिये थे और एक वकील लिया जाना था।

१६ सितम्बर, १६५५ को श्री बख्शी ने त्यागपत्र दे दिया। उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। कोई भी इन परिस्थितियों में त्याग पत्र दे देता। खैर, न्यायपालिका की परम्पराओं के अनुकूल उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। उनके स्थान पर श्री करतारसिंह चड्ढा नियुक्त किये गये। वह लुधियाना के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश थे। २२ नवम्बर, १६५५ को न्यायाधिकरण के दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई; इनमें एक न्यायिक अधिकारी और दूसरा वकील था। यह महानुभाव क्रमशः श्री महाराज किशोर, सेवा निवृत्त जिलाधीश और श्री महेन्द्र सिंह पन्नू एक वकील थे। श्री पन्नू अच्छे प्रसिद्ध वकील और अब पंजाब में सहायक महाअधिवक्ता ह। २६ मार्च, १६५६ को न्यायाधिकरण ने अपनी प्राथमिक जांच आदि समाप्त कर दी। श्री महाराज किशोर को केन्द्रीय पुनर्वास मन्त्रालय में विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया गया; इसके फलस्वरूप मई १६५६ में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उस समय तक श्री प्रतापसिंह कैरों कहीं भी चित्र में नहीं थे। अतः यह आरोप लगाना कि इस व्यक्ति को न्यायाधिकरण के काम से हटा कर दूसरी जगह भेज दिया गया ताकि किसी की मदद की जा सके, ठीक नहीं है। उसके पश्चात् एक सज्जन, श्री बद्रीप्रसाद पुरी को जो कि लुधियाना में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश थे, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा श्री महाराज किशोर के स्थान पर नियुक्त किया गया।

फिर, श्री महेन्द्र सिंह पन्नू जो कि वकील सदस्य थे, इस बीच सहायक महाअधिवक्ता बना दिये गये। मेरी राय में सहायक महा-अधिवक्ता नियुक्त होने पर कोई व्यक्ति न्यायनिर्णेता होने के लिये अनर्ह नहीं हो जाता। मेरी नजर में ऐसे उदाहरण हैं जिनमें महा-अधिवक्ताओं को ऐसे विवादों में न्याय निर्णय के लिये कहा गया है जिनमें एक पक्ष सरकार थी और कई बार उन्होंने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया है। परन्तु श्री पन्नू के विरुद्ध यह कहा गया कि सहायक महाअधिवक्ता को अब चुनाव याचिका का अधिकारी नहीं रहना चाहिये। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने श्री पन्नू को इस बारे में बताया तो उन्होंने न्यायपालिका की परम्पराओं के अनुसार त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने पंजाब से बाहर के एक व्यक्ति को ६ नवम्बर, १६५६ को श्री पन्नू के स्थान पर नियुक्त किया। यह सज्जन इलाहाबाद के वकील श्री डी० डी० सेठ थे। इस प्रकार न्यायाधिकरण में परिवर्तन होते होते नवम्बर, १६५६ आया।

अक्तूबर, १६५७ को गवाहियों का परीक्षण आरम्भ हुआ, यह देखने के लिये कि प्रत्यक्षतः कोई मामला बनता भी है अथवा नहीं कि श्री प्रतापसिंह कैरों और श्री दलजीत सिंह ने भ्रष्टाचार किया है। श्री प्रताप सिंह कैरों उस समय विकास मन्त्री थे। इन दो व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाया गया था परन्तु उत्तरवादी के तौर पर इनका नाम नहीं दिया गया था। यही बात मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कही है। गवाहियों का परीक्षण किया गया। २६ अक्तूबर, १६५७ को न्यायाधिकरण ने एक के मुकाबले में दो रायों से यह निर्णय दिया कि प्रत्यक्षतः भ्रष्टाचार का मामला है और श्री प्रतापसिंह कैरो और श्री दलजीत सिंह को नोटिस दिये जाय। यहां यह बताना भी जरूरी है कि उपरोक्त व्यक्तियों पर किस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप थे, ताकि इसके बारे में लोगों में कोई गलत धारणा पैदा न हो जाये। एक आरोप था कि श्री प्रतापसिंह ने हरिजनों के एक गांव में जाकर कहा कि मैं इस गांव का विकास करूंगा और नलकूप लगवाऊंगा इत्यादि। भ्रष्टाचार की एक बात यह

[श्री अ० कु० सेन]

भी कही गयी कि एक गांव 'भजी' में सरदार अमरसिंह के समर्थन में एक सभा हुई और उसमें श्री प्रतापसिंह कैरों, पंजाब के विकास मंत्री, ने कहा कि यदि उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार, श्री अमरसिंह को वोट दिया तो गांव में भेड़ों के चराने पर लगी रोक हटा दी जायेगी; उन्होंने यह भी कहा कि वह गांव को और भी लाभ पहुंचायेंगे और इस प्रकार के वादे करके उन्होंने एक प्रकार से लोगों को घूस दी। यह आरोप लगाया गया हमारी चुनाव विधि के अन्तर्गत इसे भ्रष्टाचार कहा जा सकता है हालां कि इसका मतलब जैसे घूस देना नहीं जो एक आदमी दूसरे को देता है। लेकिन इस प्रकार के उपबन्ध से स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव होना सम्भव हो जाता है। अतः हमें परम्पराओं का पालन करना होता है। इस कारण उपरोक्त आरोपों की जांच की गयी। न्यायाधिकरण के बहुमत का विचार था कि प्रत्यक्षतः मामला बनता है परन्तु सभापति ने साक्ष्य को निराधार माना। खैर, श्री प्रतापसिंह कैरों और श्री दलजीतसिंह को, 'कारण बताओ' नोटिस दिये गये। इस पर इन दोनों महानुभावों ने संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को एक आवेदन पत्र दिया। यह आवेदन पत्र असफल रहा। जैसा कि होना था। और न्यायालय ने रूल जारी कर दिया। पंजाब उच्च न्यायालय ने ३ जनवरी, १९५९ को कागजात वापिस कर दिये मार्च १९५९ में मामले की सुनवाई आरम्भ हुई और लगभग ६० गवाहों की जांच की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बराबर न्यायाधिकरण को पत्र लिखते रहे और इस बात की याद दिलाते रहे कि उसे इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिय। न्यायाधिकरण का उत्तर जाता रहा कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है।

जैसा मैं कह चुका हूं कि इस मामले को लेकर सारे पंजाब में उत्तेजना पैदा हो गई है। अतः यह बड़ा आवश्यक है कि निर्णय देते समय न्यायाधिकरण इस बात का पूरा ध्यान रखे कि लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि मामले में न्याय नहीं किया गया है। इस दृष्टि से न्यायाधिकरण ने बड़ा परिश्रम किया है और प्रत्येक साक्षी का पूरा तरह परीक्षण किया है चाहे उसके खिलाफ कुछ भी आरोप लगाये जायें कि उसने अमुक पार्टी के साथ पक्षपात किया है।

इस चुनाव याचिका से हमारी प्रक्रिया के जो दोष सामने आये, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त समझते हैं। वास्तव में इन दोषों का पहले भी पता था और इन्हीं दोषों के कारण संसद् ने १९५६ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना स्वीकार किया था। इसके द्वारा एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गयी; साथ ही उसमें विलम्ब तथा अन्य ऐसी आकस्मिकताओं के लिये भी व्यवस्था की गयी, जिनके बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त को एक न्यायाधिकरण से मामला वापिस लेकर उसे दूसरे न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर देने का अधिकार नहीं है। मैं इस बात का खण्डन करता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसी तरह किसी के साथ पक्षपात किया है। मेरा विचार तो यह है कि हमारे देश में जिस ढंग की चुनाव मशीनरी का निर्माण हुआ है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिये। जो कुछ कहा गया है उससे तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया और उसकी जानकारी से ही यह सब देरी हुई। यह गलत बात है। हमें अपनी चुनाव मशीनरी पर बड़ा गौरव है और इस संसद् को उसके द्वारा स्थापित परम्पराओं पर पूर्ण विश्वास प्रदर्शित करना चाहिये। अभी हाल ही में बड़ी गर्म-जोशी के साथ केरल में चुनाव हुआ है, परन्तु किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयोग के विरुद्ध कहने का अवसर नहीं मिला। मुझे इस बात का खुशी है कि इस प्रकार के मामलों में संसद् और सारा देश इतनी दिलचस्पी लेता है और निगरानी रखता है। परन्तु इस बात का मुझे कोई सन्देह नहीं और सदन को भी इस बात का विश्वास होगा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले में चुनाव आयोग ने जो कुछ किया इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकता था।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, १४ मार्च, १९६० / २४ फाल्गुन, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

शुक्रवार, ११ मार्च, १९६०
२१ फाल्गुन, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२५७३—२६००
तारांकित प्रश्न संख्या		
७८२	बम्बई राज्य का विभाजन	२५७३—७६
७८३	पाकिस्तान में लगी भारतीय गैर-सरकारी पूंजी	२५७६—७८
७८४	इस्पात की खपत के बारे में विशेषज्ञ समिति	२५७८—८२
७८५	अल्प बचत योजना	२५८२-८३
७८६	रूरकेला में इस्पात का उत्पादन	२५८३—८५
७८७	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	२५८५
७८८	मेगनेशियम कारबोनेट	२५८६
७८९	तस्कर व्यापार तथा उत्पादन शुल्क सम्बन्धी मामले	२५८६-८७
७९०	कालिदास अकादमी, उज्जैन	२५८७—८९
७९१	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८	२५८९-९०
७९२	विधि आयोग का पांचवां प्रतिवेदन	२५९०-९१
७९३	भारत और जापान के बीच दोहरे कराधान सम्बन्धी करार	२५९१-९२
७९५	माध्यमिक प्रक्रम पर अनिवार्य विज्ञान शिक्षा	२५९२—९४
७९६	आयकर निर्धारण	२५९४
७९७	राष्ट्रमण्डल नौसेना अभ्यास	२५९५
७९८	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति	२५९५-९६
८००	सम्पत्ति बन्धक ऋण	२५९६—९८
७९४	'लिंक' पत्रिका का क्रय	२५९८—२६००
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६००—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
७९९	दिल्ली में आवारा बच्चे	२६००—०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

८०१ लागोस में आर्थिक मिशन २६०१
८०२ कृत्रिम वर्षा २६०१
८०३ पोलैण्ड से उधार २६०२
८०४ इस्पात के डलों का निर्यात २६०२
८०५ इस्पात के कारखानों को घटिया दर्जे के कोयले का सम्भरण . २६०२-०३
८०६ रूरकेला इस्पात कारखाना २६०३
८०७ नर्मदा नदी के तट पर भूतत्वीय महत्व के अवशेष . . २६०३-०४
८०८ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान . . २६०४
८०९ हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्तियां . . २६०४
८१० इस्पात कारखानों में लागत २६०५
८११ आजाद हिन्द फौज के गतिविधियों सम्बन्धी सामग्री . . २६०५
८१२ उपाधियों का प्रयोग २६०६
८१३ भिलाई के टैक्निशियनों का रूस में प्रशिक्षण . . २६०६
८१४ आसाम में तेल के निक्षेप . . . २६०६-०७
८१५ तेल शोधक कारखानों के लिये पाइप लाइनें . . . २६०७
८१६ पिछड़े हुए वर्गों के लिये स्वायत्तशासी केन्दीय बोर्ड . . २६०७
८१७ कलकत्ता में चांदी शोधक कारखाना २६०८

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१००० भारत-पाक सीमा पर पुलिस तैनात करने के लिये पंजाब को अनुदान . २६०८
१००१ वारंगल में स्मारक २६०८
१००२ पंजाब में आयकर पदाधिकारी . . २६०८-०९
१००३ भारत प्रशासन सेवा पदाली के पदाधिकारियों की संख्या . . २६०९
१००४ हैदराबाद का सालारजंग संग्रहालय . . २६०९
१००५ ऐतिहासिक पाण्डुलिपि क्रय समिति . २६१०
१००६ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . २६१०
१००७ शतरंज २६११
१००८ वेस्टमिन्स्टर बैंक, लन्दन में हैदराबाद की राशि . . २६११

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१००९	लखनऊ और केरल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के रहन-सहन की दशा . .	२६११
१०१०	हटमेंटों का किराया . . .	२६१२
१०११	एम० ई० एस० द्वारा किराया निर्धारण . .	२६१२–१३
१०१२	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण सम्मेलन . .	२६१३
१०१३	पोलैण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी . .	२६१३
१०१४	डीज़ल तेल	२६१३–१४
१०१५	प्रतिरक्षा कैंटीन कर्मचारियों के वेतन . . .	२६१४–१५
१०१६	१२४ इन्फेंटरी बटालियन के कमांडिंग आफ़िसर .	२६१५
१०१७	बंजर भूमि का उपयोग . . .	२६१५
१०१८	जम्मू और काश्मीर में सड़कें और पुल . .	२६१५–१६
१०१९	तम्बाकू उद्योग के लिये कोयले का यातायात .	२६१६
१०२०	पल्लव चित्रकारी . .	२६१६–१७
१०२१	विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषायें . .	२६१७–१८
१०२२	डाकुओं को शस्त्र बेचना	२६१८
१०२३	त्रिपुरा में प्रोद्यौगिक—आर्थिक सर्वेक्षण .	२६१८
१०२४	त्रिपुरा में पुलिस कर्मचारियों के लिये निवास स्थान .	२६१८–१९
१०२५	केन्द्रीय नष्ट-प्रायः पशुपक्षी अध्ययन सम्बन्धी संस्था .	२६१९
१०२६	हिन्दुस्तान तालीमी संघ का डिप्लोमा .	२६१९
१०२७	भंगड़ा नृत्य .	२६१९
१०२८	ब्रिटेन के विशेषज्ञों पर कर	२६२०
१०२९	राज्यों को शिक्षण अनुदान .	२६२०–२१
१०३०	पंजाब में सांस्कृतिक केन्द्र .	२६२१
१०३१	पंजाब में स्कूलों के छात्रावास .	२६२१–२२
१०३२	पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता .	२६२२
१०३३	अफ़ीम का तस्कर व्यापार	२६२२–२३
१०३४	प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय .	२६२३
१०३५	विदेशी मुद्रा . .	२६२३–२४
१०३६	त्रिपुरा के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक .	२६२४
१०३७	त्रिपुरा में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा . .	२६२४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०३८	अगरताला में प्राइमरी स्कूल	२६२४–२५
१०३९	क्षेप्यास्त्र की खरीद	२६२५
१०४०	अन्दमान में गोले का तेल निकाला जाना . . .	२६२५
१०४१	शिक्षा पर व्यय	२६२५
१०४२	रडार और क्षेप्यास्त्र	२६२६
१०४३	विदेशी पूंजी	२६२६–२७
१०४४	मनीपुर में जनगणना	२६२७
१०४५	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती	२६२७
१०४६	असिस्टेंटों के रिक्त स्थान . . .	२६२७–२८
१०४७	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां . . .	२६२८
१०४८	सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क मन्त्रणा . .	२६२८
१०४९	दिल्ली में मद्यपान-विरोधी प्रचार . . .	२६२९
१०५०	सतलुज के किनारों पर कोयले के निक्षेप . .	२६२९
१०५१	लोहे के कबाड़ का निर्यात .	२६२९–३०
१०५२	लोहे के कबाड़ की उपलब्धता . . .	२६३०–३१
१०५३	दिल्ली यातायात पुलिस में भर्ती . .	२६३१
१०५४	बस्तर (मध्य प्रदेश) में चांदी के निक्षेप . .	२६३१–३२
स्थगन प्रस्ताव	. . . . .	२६३२–३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	. . . . .	२६३३–३५

अध्यक्ष महोदय ने १० मार्च, १९६० को जोरहाट में हुई विमान दुर्घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री हेम बरुआ और श्री स० मा० बनर्जी ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७५।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत २२ अगस्त, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये इण्डियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा।

(तीन) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १५ नवम्बर, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(चार) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा।

(पांच) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(छै) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कापीराइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४५१।

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६, की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

होने वाली अवधि के लिये भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी-संस्करण) लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०९ में प्रकाशित सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० ।

(दो) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २११ ।

(तीन) दान कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दान कर नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१३ ।

(चार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २३९ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २६३६-३७

श्री रघुनाथ सिंह ने अपर्याप्त कोयला मिलने के कारण सवारी और माल गाड़ियों को चलाने में आशंकित बाधा की ओर इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . २६३७—३९

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने स्टेट बैंक के विवाद के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन . . . . . २६३९—५८

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, १९५९ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २६५८

अट्ठावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया . . . २६५८–७९

कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन २६७९–८१

श्री सुबिमन घोष ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा २६८२–८६

श्री रामकृष्ण गुप्त ने निर्वाचन याचिका के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के ३ मार्च, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी । विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

सोमवार, १४ मार्च, १९६०/२४ फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि

विधि मन्त्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।